हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, धर्मशाला, तपोवन-176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

20.12.2024/1100/av/DC/1

प्रश्न संख्या : 1632

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बड़ी हैरानी की बात है कि यह पिछले सत्र का प्रश्न है, तब भी यह सूचना एकत्रित की जा रही थी और अभी भी सूचना ही एकत्रित की जा रही है। मैंने केवल यह पूछा था कि कितने संस्थान खोलें। अगर मैं बंद किए हुए संस्थानों की सूचना मांगता तो वे हजारों में बंद किए हैं इसलिए उनकी सूचना एकत्रित करने में तो समय लग सकता था। परंतु खोले तो केवल गिने-चुने हैं। कुछ संस्थान आपकी पत्नी के विधान सभा क्षेत्र देहरा में खुले हैं, कुछ आपके नदौन विधान सभा क्षेत्र में, कुछ माननीय उप-मुख्य मंत्री तथा कुछ एक-दो और लोगों के विधान सभा क्षेत्रों में खुले हैं जोकि आपके खास हैं। इतनी-सी सूचना एकत्रित करने में भी अगर महीनों लग जाए तो इस सरकार की कार्य-प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके पास बहुत ही सक्षम अधिकारियों की टीम है। ये आज ही सूचना एकत्रित करके उसको कल इस सदन में देने की कृपा करें कि इस सरकार ने कितने संस्थान खोले हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री रणधीर शर्मा जी एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और इनके पास सारी जानकारी है तो इस प्रश्न को क्लॉज ही कर दिया जाए।

अध्यक्ष : ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर "सूचना एकत्रित की जा रही है" ही रहेगा।

समाप्त

20.12.2024/1100/av/DC/2

प्रश्न संख्या : 1776

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न था कि आई0जी0एम0सी0 में कौन-कौन से टैस्ट निःशुल्क हैं तथा कौन-कौन से शुल्क के आधार पर किए जाते हैं। मैं खुद आई0जी0एम0सी0 जाकर आया हूं और मैंने देखा कि वहां पर अधिकतर टैस्ट बाहर ही होते हैं। अगर आप आई0जी0एम0सी0 जाएं तो देखेंगे कि उसके आस-पास बहुत ज्यादा लैब्ज खुल गई हैं। वहां पर जो भी टैस्ट लिखे जाते हैं और अगर वे आई0जी0एम0सी0 में ही करवाने हो तो कहा जाता है कि मशीनरी खराब है। वहां पर एक ही टैस्ट के लिए 3-3, 4-4 जगह दौड़ाया जाता है और उन टैस्ट्स के लिए 1500 रुपये, 2000 रुपये से लेकर 10-10 हजार रुपये लिए जाते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में दी गई सूचना पूरी तरह से गलत है कि आई0जी0एम0सी0 में सारे टैस्ट होते हैं। वहां पर 90 प्रतिशत टैस्ट बाहर ही करवाए जाते हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इसकी प्रौपर सूचना दी जाए तथा आश्वासन दिया जाए कि एक समयावधि सुनिश्चित करके आई0जी0एम0सी0 के अंदर सभी टैस्ट्स करवाने का प्रावधान किया जाएगा।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र करसोग में सारे टैस्ट्स बाहर ही हो रहे हैं। वहां पर लोगों की आय इतनी ज्यादा नहीं है कि हरेक टैस्ट बाहर से करवा सकें। वहां के लोगों को अपना उपचार करवाने हेतु आई0जी0एम0सी0 शिमला आना पड़ता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार सारे टैस्ट्स की सुविधा वहीं के होस्पिटल में करने का प्रावधान करे ताकि लोगों को अपने टैस्ट करवाने हेतु बाहर न जाना पड़े।

टी सी द्वारा जारी

20.12.2024/1105/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

प्रश्न संख्या : 1776.....क्रमागत्

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक आई0जी0एम0सी0 में टैस्ट की बात है, पिछली सरकार के समय में 56 टैस्ट मुफ्त में करवाए जाते थे लेकिन जब हमारी सरकार आई तो उसके बाद 133 टैस्ट मुफ्त किए जाते हैं और सभी टैस्ट इन-हाउस हो रहे हैं। यदि कोई

आदमी बीमार होने पर अपना टैस्ट बाहर के लैब से करवाता है तो उस पर सरकार की कोई रोक नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट लैब के द्वारा भी पी0पी0 मोड पर टैस्ट हो रहे हैं। जहां तक करसोग की बात है, यह ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में हैल्थ सेक्टर बहुत निचले स्तर पर है। हमारे सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है और आने वाले समय में अगर विपक्ष साथ देगा तो सरकार सभी मेडिकल कॉलेज को हाई क्लास में कंवर्ट करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही गरीब और आम आदमी के लिए सरकार की ओर से 133 टैस्ट फ्री कर दिए गए हैं।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र करसोग में मशीनरी उपलब्ध है लेकिन रेडियोलॉजिस्ट न होने की वजह से टैस्ट नहीं हो पा रहे हैं और गरीब लोगों को सारे टैस्ट बाहर की लैब में करवाने पड़ रहे हैं। अधिकतर हॉस्पिटल्स में इस तरह का कारोबार चल रहा है कि टैस्ट को हॉस्पिटल्स में न करवाकर बाहर की लैब से करवाने की सलाह दी जाती है क्योंकि उनमें उन लोगों की कमिशन सैट होती है। इसलिए इसके लिए एक टाइम सैट किया जा कि करसोग हॉस्पिटल में आप कितने दिनों में रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध करवा देंगे।

दूसरा, मैंने पहले भी यह प्रश्न पूछा था और यह कहा गया था कि के0एन0एच0 में सराय बनाने के लिए 40 लाख रुपये दिए जाएंगे। लेकिन वे अभी तक नहीं आए हैं जबकि पूरे हिमाचल प्रदेश से आई0जी0एम0सी0 और के0एन0एच0 में लोग आते हैं। इसलिए वहां लोगों को ठहरने के लिए व्यवस्था की जाए ताकि मरीजों को परेशान न होना पड़े।

20.12.2024/1105/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो रेडियोलॉजिस्ट और अन्य हैल्थ स्टाफ की बात कर रहे हैं, इनकी कमी सभी स्वास्थ्य संस्थानों में हैं। इसलिए हमारी सरकार 68 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की कोशिश कर रही है। इनमें से कुछ जगह हम सफल हुए

हैं और कुछ जगह हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी, बात जो इन्होंने कही कि कई जगह मशीनें हैं लेकिन स्टाफ नहीं है तो इसमें ऐसा भी हो रहा है कि रेडियोग्राफर्स यहां से जॉब छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। पिछले दिनों जब हमने हैल्थ डिपार्टमैंट के साथ मीटिंग की थी तो यह बात सामने आई थी कि उनकी सैलरी बहुत कम है और हम उसको बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में संबंधित मंत्री व अधिकारियों से भी विचार-विमर्श जारी है। **जहां पर मशीनें उपलब्ध होंगी, वहां पर रेडियोग्राफर उपलब्ध करवाने की कोशिश निरंतर जारी रहेगी।**

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मंत्री जी रेडियोग्राफर उपलब्ध करवाने के लिए कोई निश्चित समय बताने की कृपा करेंगे? वहां पर पिछली सरकार के समय में डॉक्टर थे लेकिन इस सरकार के समय में वहां डॉक्टर भी नहीं है और ऐसा पिछले दो सालों से चल रहा है। वहां पर लोग इतने सक्षम नहीं है कि वे अपने पैसे खर्च करके अपना इलाज करवाने के लिए शिमला आ सके। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वहां कब तक स्टाफ और डॉक्टर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे?

मुख्य मंत्री : मैं आपकी पीड़ा को जानता हूं। यह पीड़ा सरकार और मंत्रिमण्डल सब में है। यह प्रश्न आई0जी0एम0सी0 से संबंधित था लेकिन फिर भी **जैसे ही रेडियोग्राफर की भर्त्ती होगी, आपके विधान सभा क्षेत्र करसोग के हॉस्पिटल में रेडियोग्राफर की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। ...(व्यवधान)**

अध्यक्ष : जब मुख्य मंत्री जी ने ऑलरेडी यह बोल दिया है कि there are shortcomings in the health sector at the rural level. जब एडमिट कर दिया है तो इससे आगे और क्या प्रश्न है? माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी आप पूछिए।

एन0एस0 द्वारा जारी .....

20-12-2024/1110/एन0एस0-एच0के0/1

प्रश्न संख्या : 1776 -----क्रमागत

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, यहां पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में 133 टैस्ट सरकार की तरफ से मुफ्त किए जा रहे हैं। सरकार ने वहां पर फ्री टैस्ट की लिस्ट लगा दी है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई0जी0एम0सी0, शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज या जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां पर ये टैस्ट फ्री नहीं हो पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अस्पताल का स्टॉफ सीधे तौर पर बोलता है कि अगर आपको टैस्ट की रिपोर्ट जल्दी चाहिए तो आप बाहर टैस्ट करवा लीजिए। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा कि सरकार की ओर से एक ऐसा आदेश दिया जाए कि 133 टैस्ट सरकारी अस्पतालों में फ्री हों और उसके लिए मरीज को बाहर न भेजा जाए। क्या ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा? दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार ने पूरे प्रदेश में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने हैं। सरकार का पहला बजट चला गया, दूसरा बजट खत्म हो गया और अब तीसरा बजट आने वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इन दो सालों के कार्यकाल में कितने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले गए हैं? ये जानकारी इस माननीय सदन में दी जाए।

Speaker : Hon'ble Chief Minister if you want to reply you can otherwise you can send the information to the Hon'ble Member. Hon'ble Member, you will be getting the information from the Hon'ble Chief Minister.

20-12-2024/1110/एन0एस0-एच0के0/2

प्रश्न संख्या : 2008

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, यह पोस्टपोन क्वैश्चन है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने शिमला की हेरिटेज बिल्डिंग्ज की जानकारी चाही थी। इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए इतने महीने का समय लग गया। मैं जानना चाहता हूं कि कितने भवन अनसेफ डिक्लेयर हुए हैं और इनके स्थानांतरण हेतु नए भवन कहां पर बनाए जा रहे हैं? छोटी-सी जानकारी के लिए इतना समय लग गया। आयुष मंत्री जी को तो अधिकृत किया गया है और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मसला बहुत

समायिक और महत्वपूर्ण है। क्या आप कल तक इस सारी डिटेल को इस माननीय सदन में रखेंगे? कई भवनों में कार्यालय चले हुए हैं तो उन कर्मचारियों को कहां पर शिफ्ट किया जाएगा? शिमला में उन भवनों में कर्मचारी रह रहे हैं और भवन अनसेफ डिक्लेयर हो गए हैं। कृपया करके आप इस मामले में इंटरवीन कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि अनसेफ करने का क्या आधार और कारण है? मैं आशा करता हूं कि इस माननीय सदन को मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जानकारी मिलेगी।

आयुष मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि सरकार, विभाग और मुख्यमंत्री जी स्वयं इस प्रश्न के उत्तर के प्रति संवेदनशील हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए एक सब-कमेटी का भी गठन किया गया है और पूरे प्रदेश में जितने भी भवन हैं, उनके ऊपर कार्य किया जा रहा है। इसकी भी सूचना ली जा रही है कि प्रदेश में कितने भवन अच्छी कंडीशन में हैं और खाली पड़े हुए हैं तथा उनको किस तरीके से टेकऑवर किया जाए व किस-किस विभाग को अधिकृत किया जाए। हमारे पास 45 विभाग हैं जिनकी अभी सूचना ली जा रही है। **मैं आपको आश्वासन देता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दे दिया जाएगा।**

प्रश्न संख्या : 2141 आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

20.12.2024/1115/RKS/HK/-1

प्रश्न संख्याः 2141

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न का यह जवाब दिया गया है कि इन्दौरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 01 सैन्य अधिकारी व 08 सैन्य जवानों को युद्ध हताहत (Battle Casualty) घोषित किया गया है। मेरा आग्रह है कि आप कृपया इन जवानों व अधिकारी के नाम भी बता दें। दूसरा, मेज़र दीक्षांत थापा वर्ष 2020 में लेह में एक ऑप्रेशन के दौरान शहीद हुए थे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है और क्या

उनके मरणोपरांत जो उनके परिवार को सुविधाएं प्रदान करने के आश्वासन दिए गए थे वे पूरे हो चुके हैं? यदि नहीं, तो वे आश्वासन कब तक पूरे हो जाएंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में सदन में जानकारी देना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में जो Battle Casualty घोषित किए गए हैं उन्हें स्पोकन लैंगुएज में शहीद भी कहा जाता है। सन् 1947 से अब तक हिमाचल प्रदेश के 1714 सैन्य जवान व अधिकारी युद्ध हताहत घोषित किए गए हैं। इन 1714 सैन्य जवानों व अधिकारियों में से 736 अधिकारी व जवान कांगड़ा जिला से संबंध रखते हैं जिनमें से 9 अधिकारी व जवान इन्दौरा विधान सभा निर्वाचन से हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा battle causalty के निकटतम परिजनों को अनुग्रह राशि दी जाती है। मुख्य मंत्री के निर्देशानुसार 02 सितम्बर, 2023 को battle casualty के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। इनके निकटतम परिजनों को हि0 पथ परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के भीतर निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा भी मिलती है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा battle casualty सैनिकों की पुत्र/पुत्रियों की शादी हेतु 50 हजार रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो स्पैसिफिक प्रश्न पूछा है आप कृपया उसी का उत्तर दें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पर्टिकुलर प्रश्न पूछा है मैं उसकी पूरी डिटेल इन्हें उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

20.12.2024/1120/बी0एस0/वाई के-1

प्रश्न संख्याः 2283

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी ने जिलावार तो पूरी जानकारी दी है कि किस जिला को प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत कुल कितने-कितने घर आबंटित किए

गए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नाचन विधान सभा चुनाव क्षेत्र को प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत कुल कितने घर आबंटित किए गए हैं? दूसरा जो घर आबंटित किए गए हैं, उनमें से कितने घरों के काम शुरू कर दिए गए हैं? और कितने घरों को पहली किस्त दे दी गई है?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस प्रश्न का बड़ा विस्तृत उत्तर विभाग ने दिया है, तकरीबन 81,928 घर दिए गए थे और उत्तर में जिलावार दर्शाया गया। परंतु यदि माननीय सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र की जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको निजी तौर पर इस सूचना को दे दूंगा।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो मकान केन्द्र सरकार से प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आए थे और जिनके मकान कच्चे थे उनके मकानों की रिपोर्ट्स ऑनलाइन वर्ष 2018 में गई थी। उसके आधार पर लगभग 93,000 मकान प्रदेश को मिले हैं। परंतु देखने में यह आ रहा है कि कई पंचायतों में जो मकान आबंटित हो गए हैं उन्हें भी मकान देने से मना किया जा रहा है। उनके नाम भी लिस्ट से काटे जा रहे हैं। यह वर्ष 2018 का सर्वे है, इसलिए हो सकता है कि कुछ केसिज में गरीब लोगों ने जिनके पास कच्चे मकान थे अपनी बेटी की शादी या अन्य आवश्यकता के कारण कर्जा ले करके एक कमरा पक्का डाल लिया हो। आज इस आधार पर इस बात का बहाना ले करके कि इसके पास एक पक्का कमरा है, इसलिए इसका नाम काट दो। इस आधार पर बहुत ही पात्र लोग थे, उनके मकान भी काटे जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये आदेश सरकार ने दिए हैं? यदि ये आदेश नहीं दिए हैं तो क्या ऐसे कार्यों को सरकार रोकने का प्रयास करेगी और जिनके नाम पंचायतों से काट दिए गए हैं क्या जो पात्र लोग हैं, सही दृष्टि से गरीब हैं जिनके वर्ष 2018 में प्रस्ताव गए हैं, उनको मकान मिल सके।

20.12.2024/1120/बी0एस0/वाई के-2

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 में जो मोबाइल एप के द्वारा प्रदेश में 1,54,370 परिवारों को पंजीकृत किया गया था। इसके जो मापदंड हैं वे भारत सरकार के मापदंड हैं न कि प्रदेश सरकार के हैं। Management Information System और जियो टैगिंग के हिसाब से इसका सर्वे हुआ था। हमारे अधिकारियों ने हर घर में जा करके पुनः उसकी वेरिफिकेशन की है। मैं समझता हूं कि यदि कोई पात्र व्यक्ति इसमें छूट गया है तो उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब तो सारा साफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है और साफ्टवेयर में अपलोड होता है। वर्ष 2018 के आधार पर काफी मकान दे दिए गए हैं परंतु कुछ उनमें छूट भी गए हैं, लेकिन इसमें फिर से सर्वे हुआ है और उसे साफ्टवेयर में अपलोड कर दिया गया है। क्योंकि इस दौरान यह भी देखा गया है कि जो इसमें 825 चयनित प्रार्थियों का देहांत हो चुका था। उनमें से तकरीबन 665 वैध आश्रितों को घर आबंटित कर दिए गए हैं और 160 ऐसे परिवार थे जिनके कोई वैध आश्रित नहीं थे और उन्हे ये घर आबंटित नहीं हुए हैं। **फिर भी अगर कोई छू**टे हैं, **वे जनरल हाउस में आ जाएंगे और उन्हें साफ्टवेयर में डलवा दिया जाएगा।**

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

20.12.2024/1125/dt/yK.-1

प्रश्न संख्याः... 2283 जारी

अध्यक्षः माननीय पंचायती राज मंत्री, मैं इस प्रश्न के संबंध में एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे लोग जिन्होंने बीच में प्रमाण पत्र बनवा लिए उनके लिए क्या कोई प्रावधान है?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः: अध्यक्ष महोदय, इसके कुछ रूल व रेगुलेशन्ज हैं, अगर किसी ने बीच में प्रमाण पत्र बनवाया है तो वह इसके लिए पात्र नहीं हो पायेगा, क्योंकि उसकी जियो-टैगिंग होती है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी।

श्री जीत राम कटवालः माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना जानना चाहूंगा कि दो माह पूर्व केंद्र सरकार से ऐसे कितने घरों की स्वीकृति प्राप्त हुई है? विभागीय उत्तर में जो 81,928 घरों का विवरण दिया गया है ये स्वीकृति कब की है और केंद्र सरकार से विशेष पैकेज के अंतर्गत और कितने घरों की स्वीकृति प्राप्त हुई और उनमें से कितने घरों का आबंटन हो चुका है? ये सूचना अगर जिलावार आप उपलब्ध करवा सकते हैं तो उन आंकड़ों को इस सदन में दीजिए; और जो शेष बचे प्रार्थी हैं उन्हें कब तक घरों का आबंटन कर दिया जायेगा?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रेदश को किसी भी प्रकार का विशेष पैकेज केंद्र की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है। मैं ये भी कहना चाहूंगा और जैसा मैंने पूर्व में भी बताय कि मोबाईल एप के द्वारा 1,54,370 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 86,390 लोग ही पात्र पाए गये। आवास एवं सर्वे की प्राथमिकता सूची को पूर्ण करते हुए चालू वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के लिए 92,364 आवासों का लक्ष्य रखा गया है लेकिन किसी भी प्रकार का विशेष पैकेज प्रदेश सरकार का प्राप्त नहीं हुआ है।

20.12.2024/1125/dt/yK.-2

श्री पवन कुमार काजलः अध्यक्ष महोदय, कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में जो कुल आवास आबंटित हुए हैं उनकी संख्या 1352 है। इसमें से 904 की स्वीकृति तो मिल गई है और 448 आवासों का आबंटन अभी पैंडिंग है। जैसा की माननीय मंत्री जी ने जियो-टैगिंग की बात की, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जियो-टैगिंग वर्ष 2018 में की गई थी लेकिन ये आवास 2024 में स्वीकृत हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये जो शेष 448 आवासों का आबंटन हैं इनके लिए पुनः सर्वे करवाया जाना जाये ताकि पात्र लोगों को आवास मिल सके। इसके अतिरिक्त 160 के लगभग ऐसे मामले भी है जहां पर प्रार्थी की

मृत्यु हो गई है लेकिन अगर उसके परिवार वाले पात्र हैं तो उन्हें ये आवास मिलने चाहिए, लेकिन ऐसे मामले भी अभी पैंडिंग हैं। इसलिए मैं पुनः माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो शेष 448 आवासों का आबंटन होना है उनके लिए आप शीघ्र सर्वे करवायें ताकि पात्र व्यक्तियों को आवास मिल सकें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री पवन कुमार काजल जी से कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो 160 लोगों का जिक्र किया कि वे लोग legal heir होने के नाते आवास हेतु पात्र नहीं पाये गये थे, उसके कई कारण हो सकते हैं। वर्ष 2018 में जो आवास सैंक्शन हुए थे अभी हाल ही में उनकी जियो-टैगिंग करवाई गई है उसके बाद ही ये आवास स्वीकृत हुए हैं। वर्ष 2024 में लगभग 92364 आवासों के आबंटन का लक्ष्य रखा गया है। अगर इनके लिए पात्र व्यक्ति नहीं मिलता तो ये आबंटन लैप्स हो जाते हैं और उनके लिए स्वीकृत राशि वापिस चली जाती है और जिस पात्र व्यक्ति के आवास हेतु वह राशि स्वीकृत होती है अगर वह पात्र व्यक्ति जीवित नहीं होता तो वह राशि लैप्स हो जाती है

श्री एन.जी. द्वारा जारी

20-12-2024/1130/ए.जी.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 2283.....जारी

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री.....जारी

और 2024-25 के बाद सर्वे के आधार पर निर्णय किया जाएगा। यदि कोई छूट गया है तो उन्हें ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन करने के लिए कहा जा सकता है। हम इसके लिए सर्वे को दोबारा से भी करवा सकते हैं। प्रदेश सरकार व माननीय मुख्य मंत्री की यही मंशा रहती है कि गरीब आदमी की हर संभव मदद की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि हम समय-समय पर मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत भी गरीब लोगों को मकान आबंटित करते रहते हैं क्योंकि कुछ लोग इस योजना में कवर नहीं हो पाते। मेरा सभी से आग्रह है कि यदि कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने से छूट गया है तो उसे मेरे ध्यान में लाया जाए।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने लगभग 90000 घरों के रूप में प्रदेश सरकार को बहुत बड़ा पैकेज दिया है और यह एक प्रकार से स्पेशल राहत भी है। मेरा आग्रह है कि माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी को इसके लिए भारत सरकार व आदरणीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि जो ये घर आए हैं तो इनका लाभ लेने के लिए लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में घरों के लिए ईमारती लकड़ी की आवश्यकता होती है और वह उन्हें नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा कई स्थानों पर पंचायत सचिवों व जी.आर.एस. ने अपने-अपने जुगाड़ बिठाए हुए हैं। उन जुगाड़ों के बारे में मैं इस माननीय सदन में नहीं बताना चाहूंगा। मेरा आग्रह है कि इसे रोकने के लिए विभाग द्वारा निर्देश जारी किए जाएं क्योंकि पंचायत सचिवों व जी.आर.एस. ने उन लोगों के साथ सेटिंग की हुई है जिनके घर थोड़े ठीक हैं और

उन्हें भी इस योजना का लाभ देने का वायदा किया हुआ है। इसी कारण कुछ पात्र लोग छूट जा रहे हैं क्योंकि कुछ प्रधानों की भी मनमानी चली हुई है। वे लोग तो अपना वोट बैंक देख रहे हैं क्योंकि वर्ष 2025-26 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने प्रस्तावित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जैसे ब्लॉक लेवल पर कोई समिति आदि का गठन करेंगे जोकि पात्र लोगों

की पहचान करके उन्हें इन घरों का लाभ दिलवा सके? मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो ब्लॉक्स (चम्बा व तिस्सा) में लगभग 5000 मकान आए हैं। इसके अलावा मेरा आग्रह है कि इन घरों के लिए ईमारती लकड़ी की भी व्यवस्था की जाए। मेरा यह भी आग्रह है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे पात्र व्यक्तियों को प्रधान, पंचायत सचिव व जी.आर.एस. आदि की वजह से योजना से बाहर न होना पड़े।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी या अन्य कोई भी अपनी मनमानी कर रहा है तो उसे हमारे ध्यान में लाया जाए और उस पर कड़े-से-कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने हमें कोई विशेष पैकेज नहीं दिया है। वर्ष 2018 के जो मकान प्रदेश में आए हैं वे किसी भी विशेष पैकेज के तहत नहीं आए हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार भी इसमें अपना योगदान देती है। केन्द्र सरकार से 65-65 हज़ार रुपये की दो किश्तें मिलती हैं और 20 हज़ार रुपये प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए भी प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रावधान किया गया है।

20-12-2024/1130/ए.जी.-एन.जी./3

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला सिरमौर में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 9461 घर स्वीकृत हुए हैं और यह वर्ष 2018 के सर्वे के अनुसार हैं। इसमें से लगभग 2000 अपात्र व्यक्ति बाहर निकल गए हैं क्योंकि उन्होंने या तो अपना घर स्वयं बना लिया है या कल्याण विभाग की ओर से उन्हें घर मिल गया है। इसके अलावा कल्याण विभाग के पास जिला सिरमौर के लोगों के लगभग 2500 आवेदन लम्बित पड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक प्रस्ताव पास करके इस योजना में बचे हुए घरों को दोबारा

से सर्वे करवाकर पात्र लोगों को या कल्याण विभाग के पास लम्बित पड़े आवेदनकर्ताओं को दे दिए जाएंगे या इनके पैसे केन्द्र सरकार को वापिस दे दिए जाएंगे? क्या सरकार इस पर कोई विचार करेगी?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि यह सारा सिस्टम वैब बेस्ड है। एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है और सारा डाटा उसमें अपलोड किया जाता है। वैरिफिकेशन करने के बाद जितने आवेदनकर्ता अपात्र पाए जाते हैं तो उन सबके घरों के पैसे केन्द्र सरकार को वापिस चले जाते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि वर्ष 2018 में घर आवंटित होने के बाद पुनः सर्वे किया गया था जिसमें 92364 आवासों को आवंटित करने का लक्ष्य तय किया गया था। यह जरूरी नहीं है कि जितने भी आवेदन (लगभग 80 से 86 हज़ार) आए हैं उन सबको मकान अलॉट कर दिए जाएंगे। जो पैसे बच जाएंगे वे केन्द्र सरकार को वापिस चले जाएंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास विभाग के घरों का कल्याण विभाग के घरों से कोई संबंध नहीं है। कल्याण विभाग में जो अप्लाई करता है वह अलग है और

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

20-12-2024/1135/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्या : 2283 जारी--

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी---

रूरल डवलपमैंट का अलग है। जो वैल्फेयर में दिए जाते हैं, वह मुख्य मंत्री आवास योजना के माध्यम से दिए जाते हैं और एक व्यक्ति को, हमने कई ऐसे इंस्टांस देखे हैं कि लोगों ने वैल्फेयर डिपार्टमैंट में भी अप्लाई किया है और ब्लॉक में भी अप्लाई किया है। एक पात्र व्यक्ति को एक ही मकान मिलेगा चाहे वह किसी भी स्कीम से हो। **अगर कोई सर्वे में छूट गया है तो उसको दोबारा से लिया जाएगा।** ..(व्यवधान)

अध्यक्ष : रणधीर जी, ऐसा है कि इसी प्रश्न पर आधे घण्टे का समय हो गया है। You can bring a discussion under Rule 61. I will permit that because there are lot of suggestions.

20-12-2024/1135/केएस/एजी/2

प्रश्न संख्या : 2284

श्री चंद्र शेखर : अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से माननीय उप-मुख्य मंत्री जी के समक्ष अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ पीड़ा इस सवाल के माध्यम से रखना चाहता हूं। मेरे मूल प्रश्न का विस्तृत जवाब भी आया है। पिछली बार भी जब मैं इस प्रश्न को ले कर आया था, माननीय मंत्री जी उस समय विशेष वजह से सदन में नहीं थे और राजेश धर्माणी जी के पास यह कार्यभार था।

अध्यक्ष जी, जो यह मेरा डिपो है, यह वर्ष 2020 में पिछली सरकार के समय में धर्मपुर को मिला। सरकाघाट डिपो बहुत पुराना है और वर्ष 1983-84 का डिपो था। उसी को तोड़कर धर्मपुर का नया डिपो बना। यह दास्तां वहीं से शुरू हुई और आज की परिस्थितियां यह है कि इसमें 51 बसें हैं। बिल्कुल नई बसें इसमें 6 हैं। यह डिपो जुगाड़ से बना है। इसमें कुछ बसें पालमपुर से लाई गईं, कुछ शिमला से, कुछ ऊना से और कुछ कहीं और से आईं। इस तरह से इस डिपो को खड़ा कर दिया गया। वर्तमान में स्थिति यह है कि 51 बसों में से 36 बसें वे हैं जिनकी समयावधि भी पूरी हो गई है और उन्हें जितने किलोमीटर चलाया जाना था, वह भी पूरा हो चुका है। आलम यह है कि दो बड़ी गंभीर दुर्घटनाएं पिछले 6 महीने के अंदर इस डिपो के अंदर घटीं। एक बार चलती बस के दोनों के दोनों टायर खुलकर सड़क पर गिर गए और बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बड़ी मुश्किल से बची। दूसरी घटना यह घटी कि बस ड्राइवर ने बस खड़ी की और चाय पीने के लिए उतरा। खुशनसीबी यह रही कि उसमें कोई सवारी नहीं थी और सामने-सामने वह पूरी की पूरी बस जल गई। लोग कहते हैं कि बस खड़ी हो गई। आज हालत यह है कि मैं कहता हूं कि बस खड़ी हो गई तो अच्छी बात

है, अगर खड़ी नहीं हुई तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। 51 में से 36 बसों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और कुल 6 बसें हमारे पास नई हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप सप्लीमेंट्री पूछिए।

20-12-2024/1135/केएस/एजी/2

श्री चंद्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि 17 ड्राइवरों की हमारे पास कमी है और पीछे जब शादियों का सीज़न था, उस वक्त 11 ड्राइवर विभिन्न कारणों से छुट्टी पर चले गए। लगभग 26-27 रूट वहां पर बंद करने पड़े। रोज़ाना जो कर्मचारी और स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरा प्रश्न एक ही है कि हमारे पास एक स्थायी वर्कशॉप भी नहीं है। मेरी दास्तां उप-मुख्य मंत्री जी बेहतर समझ रहे हैं और वह कागज़ों में भी दिख रही है। मैंने इनसे दौरे के लिए भी कहा है। मैं चाहता हूं कि जब नई बसें आएं तो उसमें भी हमें बसों का कोटा उसी हिसाब से दिया जाए। दूसरा, जो ड्राइवरों का टोटा है, इसको भी सरकार पूरा कर लें और इस डिपो को पूरी तरह से अब गोद ले लें। पिछली सरकार के समय में तो यह डिपो जैसे-तैसे चलाया गया है।

उप-मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने जीवनकाल के 50वें साल में प्रवेश कर रहा है और पथ परिवहन निगम ने इस प्रदेश के लोगों की बहुत सेवा की है। जिस प्रदेश में रेल मार्ग व हवाई मार्ग नहीं हैं वहां पर सड़क मार्ग और उससे भी ऊपर पथ परिवहन निगम लोगों की सेवा में लगा हुआ है और लगभग रोज़ाना साढ़े चार-पांच लाख लोग इन बसों में सफर कर रहे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

20.12.2024/1140/av/एएस/1

प्रश्न संख्या : 2284------- क्रमागत

उप-मुख्य मंत्री---- जारी

जहां तक माननीय सदस्य ने धर्मपुर डिपो का मसला उठाया है, मैं सबसे पहले तो सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हम फ्लीट में इज़ाफा व परिवर्तन कर रहे हैं। इसी साल लगभग 701 गाड़ियों की प्रोक्योरमैंट हो रही है। उसमें 327 इलैक्ट्रिक बसिज, 250 डिजल बसिज, 100 टैम्पो ट्रैवलर तथा लगभग 24 वॉल्वोज हैं। इन 701 गाड़ियों के आने से स्थिति में काफी परिवर्तन आएगा। यहां पर जहां तक माननीय सदस्य ने नियमों की बात की है तो एक गाड़ी को 8 लाख किलोमीटर या 9 वर्ष चलने के बाद कंडम माना जाता है। परंतु यदि गाड़ी की फिटनैस ठीक हो तो उसको 15 वर्षों तक सड़क पर रख सकते हैं। उसमें यह जरूरी नहीं है कि अगर गाड़ी ने 8 लाख किलोमीटर या 9 वर्ष पूरे कर दिए हैं तो उसको हटाना ही है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक हम उसको 15 वर्षों तक चला सकते हैं। वैसे माननीय सदस्य जो अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो पूर्व में रहे परिवहन मंत्री भी वहीं से थे। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि इनके डिपो में 51 बसिज और 174 आदमी हैं। इसका मतलब वहां पर एक बस के लिए तीन से ज्यादा लोग उपलब्ध हैं। मानकों के तहत 4 के हिसाब से तो वहां 238 लोग चाहिए परंतु मैं समझता हूं कि वे मानक बाबा आदम के जमाने के हैं। वे मानक हमें मौजूदा परिस्थितियों में बदलने पड़ेंगे क्योंकि सड़कों में सुधार हो गया है और बसें भी नई आ रही हैं। यहां पर जिस हिसाब से माननीय सदस्य बात कर रहे हैं तो अभी 3.28 के हिसाब से बसिज का मानक चल रहा है। लेकिन 51 बसिज के लिए 62 ड्राइवर्ज हैं। माननीय सदस्य ठीक कह रहे होंगे लेकिन हो सकता है कि किसी एक दिन आर0एम0 ने ज्यादा लोगों को छुट्टी दे दी हो। ये किसी पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हों जब 17 लोगों को छुट्टी दे दी परंतु 51 बसिज के लिए 62 ड्राइवर्ज और 77 कंडक्टर्ज हैं। इसका मतलब वहां पर 11 ड्राइवर्ज और 26 कंडक्टर्ज एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य की चिंता से वाक़िफ हूं। इन्होंने जो 36 बसिज की रिप्लेसमैंट की बात

की है कि 51 में से 36 अपनी समय-सीमा या किलोमीटर्ज पूरे कर चुकी हैं तो **मैं इनको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहां पर जैसे ही नई बसिज आएंगी हम**

20.12.2024/1140/av/एएस/2

उनको रेशनेलाईज करेंगे और जहां-जहां पर भी हम बसिज दे पाएंगे वहां-वहां पर देने का प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य ने वैसे भी मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने का निमंत्रण दिया है, मैं खुद भी देखूंगा कि वहां पर डिपो का क्या हाल है और उसमें क्या सुधारवादी कदम उठाए जा सकते हैं। हम इनकी चिंता में बिल्कुल शामिल हैं।

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी वर्ष 2022 में बरसात के कारण हुए नुकसान से कुछ रूट्स बंद हो गए थे। उस समय सरकार और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने कहा था कि हमने 24 घण्टे के अंदर-अंदर सारी सड़कें खोल दी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सुन्दरनगर-सिहली वाया सब्याहण रूट चल रहा था लेकिन बरसात के कारण कुछ समय के लिए बंद किया गया परंतु आज तक लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद भी उस पर बस नहीं चल रही है। दूसरा, सुन्दरनगर से चाय का डोरा-खनोखर से सलवाणा बहुत ही कामयाब बस थी लेकिन उस बरसात में बंद होने के बाद अभी तक उस रूट को बहाल नहीं किया गया। तीसरा, सुन्दरनगर से सलवाणा-ज्योर-बैहना-डैहर बस जाती थी, इसको लंबे समय से केवल ज्योर से ही वापिस कर दिया जाता है।

टी सी द्वारा जारी

20.12.2024/1145/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

प्रश्न संख्या : 2284..क्रमागत्

श्री राकेश जम्वाल..... जारी

यह लोक निर्माण मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं उनका ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बस रिटेनिंग वॉल न लगने के कारण दो वर्षों से बंद पड़ी हुई है। आपने कहा था कि सारे रूट जल्दी-से-जल्दी ठीक कर दिए जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सुन्दरनगर-सलवाणा-जेवर-बहला और डैहर रोड में जो डंगा लगना है उसको लगवाने के आदेश देने की कृपा करें। उप-मुख्य मंत्री महोदय इन तीनों रुटों का जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया था और आपने आश्वासन दिया था कि इन रूटों पर जल्दी-से-जल्दी बसें चला दी जाएगी। इसके कारण वहां के लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी आ रही है। इन दो सड़कों की लोक निर्माण विभाग ने फिटनैस सर्टिफिकेट दे दी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जल्दी-से-जल्दी इन रूटों पर बस चलाने की कृपा करें। सत्ता पक्ष के विधायक ही अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं तो विपक्ष के सदस्यों का क्या होगा? मेरा आग्रह है कि मुख्य मंत्री जी सुन्दरनगर की ओर भी ध्यान दें।

अध्यक्ष : वैसे तो यह प्रश्न it is not arising out of this Question but the Hon'ble Minister do you want to say something on this.

20.12.2024/1145/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न धर्मशाला डिपो को लेकर के स्पेसिफिक हैं। यदि माननीय सदस्य अपने डिपो को लेकर कोई जानकारी चाहते हैं तो अलग से सवाल कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एच0आर0टी0सी0 में सुधार लाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास चल रहे हैं। इसकी आय में बढ़ोतरी हो उसका भी प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप सबके सहयोग की जरूरत है। यह एच0आर0टी0सी0 की बस आपके दिल के बहुत करीब की बस है और आपसे हमारा आग्रह रहेगा कि एच0आर0टी0सी0 जिस ढंग से प्रदेश के लोगों की सेवा कर रही है उसमें अपना सहयोग दें क्योंकि इनमें 96 प्रतिशत रूट घाटे के हैं। ...(व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एच0आर0टी0सी0 के किसी भी ड्राइवर, कंडक्टर या अन्य कर्मचारी की

सैलरी व पेंशन बकाया नहीं है। ...(व्यवधान) आप प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं और आपके समय में भी 3-3, 4-4 महीने तक पेंशन नहीं दी जाती रही है। लेकिन मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एच0आर0टी0सी0 के लोगों को समय पर सैलरी व पेंशन मिले। मैं वित्त मंत्री के नाते मुख्य मंत्री जी का भी आभारी हूं। हमें सरकार की ओर से लगातार ग्रांट आ रही है और हम 07.65 करोड़ रुपये की ग्रांट लेकर सभी एच0आर0टी0सी0 के कर्मचारियों को सैलरी दे रहे हैं। एच0आर0टी0सी0 के कर्मचारियों को 55 महीने का ओवर टाइम नहीं मिला था उसके लिए भी इन्होंने 50 करोड़ रुपये की कमिटमेंट की है। उसमें से 15 करोड़ रुपया दे दिया गया है। इसलिए हमारी कोशिश निरंतर जारी है। इन कर्मचारियों का मेडिकल अलाउंस देने का भी प्रयास किया जा रहा है। माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी ने भी इस डिपार्टमेंट को रन किया है ये जानते हैं कि हररोज 3200 बसें चलती हैं और कहीं-न-कहीं कोई भी बस धुंआ छोड़ देती है। जब 3200 बसें चलेंगी तो कुछ-न-कुछ तो होगा ही लेकिन हिमाचल प्रदेश में इन बसों द्वारा जो सेवा दी जा रही है उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एच0आर0टी0सी0 पर मेहरबान रहें।

20.12.2024/1145/टी0सी0वी0/ए0एस0-3

प्रश्न संख्या : 2285

श्रीमती रीना कश्यप : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि एल0डब्ल्यूएस0एस0 बोहल टालिया (जोला फागू) हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है? इसका उप-मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैं उससे सहमत हूं। आपने इसका विस्तार से उत्तर दिया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि इस योजना का जो दूसरा चरण है, उसमें जो पम्पिंग मशीनें हैं वे बहुत पुरानी हैं।

एन0एस0 द्वारा ------जारी

प्रश्न संख्या : 2285-----क्रमागत

श्रीमती रीना कश्यप ----- **जारी**

और उन्हें बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इस योजना का सभी गांव को लाभ मिले। मेरा निवेदन है कि इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाए। मेरा उप-मुख्यमंत्री जी से एक और निवेदन रहेगा कि मैंने विधायक प्राथमिकता में भी एक स्कीम भेजी है जिसके अंतर्गत पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी पेयजल योजनाएं हैं उनकी ओल्ड पंपिंग मशीनें चेंज होनी हैं। अगर मेरी यह स्कीम सैंक्शन हो जाती है तो पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में पानी की समस्या हल हो जाएगी। इसके लिए आप आश्वासन दें कि यह योजना शीघ्र स्वीकृत होगी।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की चिंता से वाकिफ हूं। इस मूल परियोजना की शुरुआत वर्ष 2010-11 में हुई और वर्ष 2017 में पूर्ण हुई। इस योजना के लिए 65.75 लाख रुपये खर्च किए गए। बाद में पता चला कि इस क्षेत्र के कुछ गांव जैसे जोला फागू की बस्तियां छूट गई थीं। फिर दूसरी बार 55.06 लाख रुपये की राशि दी गई थी। इसके बावजूद अभी भी वहां पर दिक्कत है और इस योजना को सही करने के लिए इतनी ही राशि डिपार्टमैंट और मांग रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब इसके लिए किसी ढंग से राशि का प्रबंध करते हैं ताकि इस योजना को सही तरीके से चलाया जा सके।

20-12-2024/1150/एन0एस0-डी0सी0/2

प्रश्न संख्या : 2286

श्री अजय सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बंदरों और आवारा पशुओं के बारे में था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत गंभीर समस्या है चाहे बंदरों द्वारा फसलों का नुकसान हो, चाहे शहर के अंदर बंदरों का

आतंक है। महिलाएं और बच्चे गलियों में निकलते हुए डरते हैं। प्रश्न के उत्तर में तीन पीड़ित व्यक्तियों के नाम व राहत राशि की जानकारी दी गई जोकि बहुत कम है। बहुत लोग अपनी शिकायत ही नहीं करते हैं। अब बंदरों का इतना आतंक हो गया कि लोगों के घरों के अंदर घुस रहे हैं। सरकार ने सुझाव तो दिए हैं कि जब बंदर झगड़ रहे हों तो उसमें हस्तक्षेप न करें और खुले में खाना न डालें। अध्यक्ष महोदय, इसमें तो लोग अपने ऊपर लगाम लगा लेते हैं लेकिन अब बंदर घरों के अंदर आने शुरू हो गए हैं। मेरा प्रश्न है कि गौवंश शहर के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में हो गए हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि नाहन विधान सभा क्षेत्र या जिला सिरमौर में एक गौ- सेंक्चुरी खोली जाए। एक गौ-सेंक्चुरी राजगढ़ में खोली गई है लेकिन उसमें भी पशुओं को रखने के लिए जगह नहीं है। अभी हमने हाल ही में अपने एक्सपेंडिचर और ट्रांसपोर्टेशन से 17-18 पशुओं को इस सेंक्चुरी में भेजा है लेकिन अब उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। समस्या बहुत गंभीर है। इसके अतिरिक्त आवारा कुत्तों का भी बहुत आतंक हो गया है और शहरों में बहुत बड़ी तादाद में हो गए हैं। स्कूल जाने वाले कई बच्चों और महिलाओं को काट भी चुके हैं। मेरे क्षेत्र में डॉग शेल्टर बनना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत समय से प्रक्रिया चली है लेकिन अभी तक धरातल में नहीं पहुंची है। जब तक डॉग शेल्टर नहीं बनेंगे तब तक इस समस्या से निजात नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस पर तत्काल प्रभाव से कोई कार्रवाई करें ताकि शहरी क्षेत्र के लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके।

मुख्यमंत्री ----आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

20.12.2024/1155/RKS/डीसी/-1

प्रश्न संख्याः 2286... जारी

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। बंदर पहले से घरों में घुसते रहे हैं। गांव में पहले स्लेट के मकान होते थे और बंदर उन स्लेटों को हटाकर रसोई घर में घुस जाते थे। बंदरों से शहरों में ही परेशानी नहीं हो रही है बल्कि गांव में भी लोगों ने अपनी फसलों को उगाना बंद कर दिया है। जैसे ही फसलों का अंकुर फूटता है बंदर उन फसलों को खा जाते हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सभी सरकारों ने गंभीरता से विचार किया है। हमने भी नसबंदी केंद्र स्थापित किए हैं। अब तक 1,87,000 बंदरों की नसबंदी की जा चुकी है। जब मैं विधायक था तो मैंने भी कई बार इस समस्या को उठाया है। बंदरों को मारने की भी अनुमति दे दी गई थी। बंदरों के प्रति हमारी धार्मिक भावना है लेकिन इस चीज को भी उस दृष्टि से नहीं देखा गया था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि जब आने वाले समय में पौधरोपण होगा तो उस समय हम 60 प्रतिशत फलदार और 40 प्रतिशत दूसरे पौध वन भूमि में लगाएंगे ताकि बंदर जंगलों में ही रुक सकें। पहले बंदर जंगलों में कैंथ व अन्य फलों को खाकर वहीं रहते थे। हम प्रयास कर रहे हैं कि जंगलों में फलदार पौधे लगाए जाएं ताकि बंदर वहीं रुक सके। दूसरा, आवारा पशु भी बड़ी चिंता का विषय बने हैं। जब पशु दूध देते हैं तब तक तो उनका पालन-पोषण किया जाता है। पहले बैल खेत जोतने के काम आते थे लेकिन अब यह काम पावर टिलर द्वारा किया जा रहा है। हमारी सरकार आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए नीतिगत बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। इसमें प्राकृतिक खेती भी एक प्रयास है। प्राकृतिक खेती में गेहूं और मक्की इत्यादि फसलों की बुआई के लिए जो गोबर का उपयोग किया जाता है उसमें सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। लेकिन इन चीजों के लिए सामाजिक भागीदारी भी बहुत जरूरी है। शहर में तो 10-12 बंदरों का झुण्ड होता है लेकिन गांव में तो 50-100 बंदरों का झुण्ड इकट्ठा चलता है। आज नील गायें इतनी ज्यादा हो गई है कि वे सड़कों के किनारे अचानक से आ जाती है। कई बार वे रात को गाड़ियों से टकरा जाती है जिससे एक्सीडेंड होने का खतरा बढ़ जाता है। ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा व जितने भी बोर्डर एरियाज हैं वहां बहुत ज्यादा नील गायें हैं। कई बार ये गायें सड़क के बीच आकर गाड़ी से टकरा जाती है। यह बात भी सही है कि कुत्तों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है। मैंने भी एक आवारा कुत्ते को अपने निवास स्थान में रखा है। हमें इन कुत्तों की देख-रेख पर भी ध्यान देना है।

20.12.2024/1155/RKS/डीसी/-2

हमें डोग शैल्टर इत्यादि बनाने पर भी विचार करना होगा। गांव में मूल समस्या आवारा पशुओं और बंदरों की है जिससे निजात दिलाने के लिए हमें किस दृष्टि से आगे बढ़ना है, उस पर विचार किया जाएगा।

20.12.2024/1155/RKS/डीसी/-3

प्रश्न संख्या : 2287

राजस्व मंत्री : सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

20.12.2024/1155/RKS/डीसी/-4

शून्य काल

अध्यक्ष : जैसा मैंने कहा था और बुलेटिन में भी हमने सभी माननीय सदस्यों को सूचना दी है कि आज शून्य काल होगा। अभी मेरे पास लगभग 06 विषय लिस्ट हुए हैं। मेरा सबसे पहले कुमारी अनुराधा राणा से अनुरोध है कि आप कृपया अपना विषय रखें।

टोल टैक्स

कुमारी अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में भाग लेने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। महोदय, फोरलेने के कार्य के बाद धोलू नाला में टोल टैक्स स्थापित किया गया है।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

20.12.2024/1200/बी.एस./एच के-1

कुमारी अनुराधा राणा जारी...

कटौलू नाला में जो हमारा टोल टैक्स फोर लेन कार्य के बाद लगा था उसके आगे लगभग 50 किलोमीटर की कम दूरी है। टकौली में एन.एच.ए.आई. के द्वारा एक टोल टैक्स लगाया गया था परंतु पिछली आपदा में जब सड़कें क्षतिग्रस हो गई थी तो इस टोल टैक्स को हटा दिया गया था। हम अभी समाचार पत्र में एक आर्टिकल पढ़ रहे थे और मीडिया कवरेज में भी यह आया है कि एन.एच.ए.आई. के द्वारा फिर से टोल टैक्स को वहां पर स्थापित किया जाएगा। वह चाहे टकौली की बात हो या ढोलू नाला की बात हो जो मनाली सब-डिवीजन में आता है। मैं सदन के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं कि जैसा हम देख रहे हैं कि संसद में केन्द्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी द्वारा संसद में दो बार इसका ऐलान किया जा चुका है कि 60 किलोमीटर के दायरे में एक से ज्यादा टोल टैक्स नहीं हो सकते। इसलिए ढोलू नाला और कटौली नाला की जा दूरी है वह 50 किलोमीटर के अन्तर्गत है। इसके बावजूद समझ नहीं आता कि दो टोल टैक्स का वहां पर क्या आधार है और किस आधार पर उन्हें वहां पर लगाया गया है? इससे संबंधित मैंने एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने मुझे जानकारी दी गई कि वे टैक्निकली देखते हैं कि कोई पुल या टनल है तो इसमें ये अपना दायरा बढ़ा करके बताते हैं जो मेरी भी समझ में नहीं आया। हमने इनकी साइट में भी चैक करने की कोशिश की परंतु मुझे ये मिल नही पाया। मैं सदन के माध्यम से इस विषय को सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं और निवेदन करना चाहती हूं कि जब केन्द्रीय मंत्री जी ने पवित्र संसद में यह घोषणा की है कि 60 किलोमीटर के दायरे में दो टोल टैक्स नहीं हो सकते तो ये किस आधार पर दो टोल टैक्स लगाए गए? साथ ही कुल्लू मनाली से हमारे लाहौल को सिर्फ दो या तीन घंटे लगते हैं। वहां से आने जाने की सुविधा बहुत आसान हो चुकी है। इसलिए लोग वहां एक दिन में आने जाने का सफर तय करते हैं और उन्हें बार-बार टोल टैक्स देना पड़ता है। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इस पर कार्रवाई की

जाए और इस विषय को केन्द्रीय मंत्री या केन्द्र सरकार तक पहुंचाया जाए ताकि इस पर एक्शन लिया जा सके।

20.12.2024/1200/बी.एस./एच के-2

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कुमारी अनुराधा राणा जी ने जो निवेदन किया है यह विषय एन.एच.ए.आई. से संबंधित है और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पीछे 18.12.2024/1200/बी.एस./एच के-2

भी जब त्रासदी का महौल था, उस समय भी कटौली का टोल टैक्स था, उस पर मुख्य मंत्री जी ने निवेदन किया था और इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर लिया गया था। यह टोल टैक्स आगे कुल्लू, मनाली और लाहौल के लोगों को प्रभावित करता है। इस विषय को प्राथमिकता के तौर पर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से उठाएगी।

20.12.2024/1200/बी.एस./एच के-3

भेड़ पालकों की समस्या बारे

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी भेड़ पालकों को अपने व्यवसाय में आ रही समस्या बारे अपना विषय उठाएंगे।

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, आपने मुझे शून्य काल में महत्वपूर्ण विषय को उठाने का मौका दिया। मैं गद्दी समुदाय से संबंध रखता हूं और हमारे समुदाय के हजारों लोग अपने पंरपंरागत भेड़ पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं और वर्तमान परिस्थितियों में यह व्यवसाय और इसे करने वाले लोग सरकार के उदासीन रवैये के कारण इस व्यवसाय को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। भेड़ पालकों को अनेकों समस्याएं आपने व्यवसाय में आती हैं। प्लायन के दौरान प्रतिवर्ष अनेकों घटनाएं पशुओं की चौरी की होती हैं, जिस पर लीपापोती करके केस को दबा दिया जाता है। पिछले वर्ष की बात है और मेरे अपने परिवार की बात है। मेरे चाचा जी थे उनकी 12 भेड़ों को दारचा में चुरा लिया गया। मेरे आग्रह करने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ में चारागाहों का

सिकुड़ता आकार भी समस्या पैदा कर रहा है। चारागाहों के क्षेत्रों में लोगों ने अवैध कब्जे किये हैं। साथ-ही-साथ आबादी बसने के कारण चारागाहों का क्षेत्रफल कम हो रहा है और इस व्यवसाय से जो प्रॉड्यूस पैसा होता है, ऊन को खरीदने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस न प्रबंध है और न प्रावधान है। वन रक्षा के प्रबंध भी इस व्यवसाय में आड़े आ रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले का वीडिया

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

20.12.2024/1205/dt/hk-1

शून्य काल जारी...

डॉ0 जनक राज जारी...

सोशल मीडिया में एक विडियो वायरल हुआ था जिसमें हमारे क्षेत्र के कुछ भेड़ पालक रोते हुए सरकार से यह गुहार लगा रहे थे की वर्षा न होने के कारण भेड़ों को घास उपलब्ध नहीं हो पा रहा और इसके अतिरिक्त हमारी और भी समस्याएं हैं। जब पलायन के दौरान महामारी फैलती है, जिसे फुट-माउथ डिजीज कहते हैं, तो समय पर उनको उपचार नहीं मिल पाता, दवाइयां लेने के लिए उन्हें दर-दर भटकना पड़ता है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि ये लोग सरकार से किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मांग रहे केवल ये एक आश्वासन सरकार से मांग रहे हैं कि इनको अपना काम करते हुए जो समस्याएं आ रही हैं उस पर सरकार विचार करे और उनके लिए कोई नीति बनाए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है उसके संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं कि कल भी मुझसे भेड़ पालक मिले थे और जो इन्होंने बात उठाई है कि उनके कई चरागाह आदि बंद हो चूके हैं और कई जगह ऐसी अधिसूचना हो गई है कि वहां पर चरागाह नहीं बना सकते। भेड़ पालक चरागाह में अपनी भेड़-बकरियों को चराने ले

जाता है और वह भेड़-बकरियां ही उसकी आजीविका का साधन होती हैं। सरकार इस विषय पर गंभीरता से सोच-विचार करेगी और जो चरागाह हैं उन पर वन विभाग द्वारा कोई आपति न दर्ज करवाई जाये, इस विषय पर भी हमारी सरकार गंभीरता से विचार करेगी।

20.12.2024/1205/dt/hk-2

(शून्य काल में श्री केवल सिंह द्वारा फोर लेन के कारण लोगों को आ रही असुविधा के संबंध में उठाया गया मामला)

श्री केवल सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपने शून्य काल में मुझे एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, नैशनल हाइवे निर्माण के अंतर्गत पठानकोट-मनाली हाइवे का निर्माण कार्य चल रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुर में सिंहू से लेकर कटवां तक और कंढवाल से आगे जहां-जहां भी नैशनल हाइवे का कार्य चल रहा है, इसमें कोई दोराय नहीं कि काम जोरों पर चला हुआ है, उससे कई लोग प्रभावित हुए हैं। अभी कुछ समय पहले ही जब गेहूं बीजने का समय था न जाने कितनी ही कूल्हें नैशनल हाइवे बनने के कारण बंद हो गई हैं जिसके कारण सैंकड़ों कनाल भूमि गेहूं की उगाई से वंचित रह गई हैं। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृषित करना चाहता हूं क्योंकि मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में सिंहू से लेकर कटवां तक लगभग 22 कूल्हें थीं। मेरा ये प्रश्न है कि क्या प्रदेश सरकार इस मामले को नैशनल हाइवे अथोरिटी ऑफ इण्डिया के साथ उठायेगी? दूसरा, नैशनल हाइवे बनने के कारण कई जगह क्रासिंग भी बंद हो गईं हैं और स्कूल जाने वाले बच्चों को इस कारण परेशानी आ रही है। शाहपुर और द्रमण के बाजारों को आजकल नैशनल हाइवे ऑथोरिटी के द्वारा उखाड़ा जा रहा है क्योंकि वहां से हाइवे निकलना है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से माननीय श्री राजीव भारद्वाज जी सांसद हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने

आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही इस क्षेत्र का दौरा करेंगे। क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि वह शाहपुर व द्रमण के बाजार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई को वह 5 मीटर तक कम करेंगे। क्या इसमें सत्यता है? केंद्रीय मंत्री कब तक यहां का दौरा करेंगे? क्योंकि ये मामला लोक सभा के अंदर उठाया गया और केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा इस प्रकार की स्टेटमेंट भी दी गई है कि वह इन क्षेत्रों को दौरा करेंगे। इसके अतिरिक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पानी की अधिकतर योजनाएं व बिजली के खंबे और कूल्हें, ये तीनों चीजें प्रभावित हई हैं। इसलिए मैं इस माननीय सदन का ध्यान भी इस

20.12.2024/1205/dt/hk-3

ओर आकृषित करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो इस विभाग के मंत्री हैं क्या उनके पास इस संबंध में कोई जानकारी है? नैशनल हाइवे का काम चलने के कारण रोड के किनारे जितनी भी वर्षा शालिकाएं या अन्य शैड बने थे वह भी प्रभावित हुए हैं। नैशनल हाइवे के संबंधित प्रोजैक्ट डायरैक्टर ने इस क्षेत्र का दौरा किया था लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि ये मेरे हाथ से होने वाला कार्य नहीं है, ये मामला आर0ओ0 स्तर का है, क्योंकि इसकी डी0पी0आर केंद्र से बनकर आई है, इसलिए डी0पी0आर0 में वह अपने स्तर पर बदलाव नहीं कर सकते। इसी से संबंधित कुछ मामले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे भी जो कंपनसेशन से संबंधित हैं। आठ से दस लोग ऐसे हैं जिनके कंपनसेशन अभी तक भी नहीं दिए गये हैं। यह जो मामला कंपनसेशन से संबंधित है इसमें एक दुकान के लिए तो एक लाख रुपये दे दिये गये हैं और दूसरे के लिए 50,000 रुपये दे दिये। यह मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। इनमें से कई लोगों की कूल्हें हैं, कई रास्ते हैं,

श्री एन.जी. द्वारा जारी

20-12-2024/1210/वाई.के.-एन.जी./1

श्री केवल सिंह पठानिया.....जारी

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एन.एच.ए.आई. के कारण जो फसलों का नुकसान हुआ और कुहलों से फसलों को पानी नहीं लगा है तथा वहां पर कृषि नहीं हो पाई है तो क्या एन.एच.ए.आई के माध्यम से उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा? मेरे विधान सभा क्षेत्र में एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिए ऑल्टर्नेट रूट क्या है? पिछले काफी समय से अभी तक केवल रजौल तक ही कार्य लगा हुआ है और उसके बाद काम बंद पड़ा है। हमें मालूम ही नहीं है कि एन.एच.ए.आई. अपना रास्ता कहां से निकालेगा? मैं माननीय सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Speaker : Nobody wants to intervene? Your concern will be conveyed to the NHAI and the Government of India also.

20-12-2024/1210/वाई.के.-एन.जी./2

(माननीय सदस्य, श्री सुख राम चौधरी द्वारा शून्य काल के दौरान भारी बरसात से हुए नुकसान के संदर्भ में उठाया गया विषय।)

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष 25 व 26 सितम्बर को भारी बरसात के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुई। खारा का खाला में बाढ़ आने के कारण सैंकड़ों बीघा फसलों को नुकसान हुआ। इसके अलावा स्थानीय लोगों की सैंकड़ों बीघा उपजाऊ भूमि भी बाढ़ के पानी में बह गई। अम्बी के खाला पर एक पुल बना था और वह भी बरसात में डैमेज हो गया है। वहां पर लोक निर्माण विभाग द्वारा एक नोटिस लगा दिया गया है कि यह पुल चलने योग्य नहीं है। मैं प्रदेश सरकार से मांग

करता हूं कि जिन किसानों की सैंकड़ों बीघा फसलों को नुकसान हुआ उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। मैं सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि संबंधित विभाग के किसी भी अधिकारी ने अभी तक उन किसानों की फसलों को हुए नुकसान का निरीक्षण नहीं किया। इसके अलावा जिनकी उपजाऊ भूमि को नुकसान हुआ है और वह फसल बोने के लायक नहीं रह गई है, क्या सरकार उनकी भुमि की चैनेलाइजेशन करने के लिए किसी प्रकार के फण्ड का प्रावधान करेगी?

Speaker : Hon'ble Members you wants to intervene or not? Your concern will be conveyed to the respective Department. जो भी कार्रवाई होगी उससे आपको भी सूचित कर दिया जाएगा।

20-12-2024/1210/वाई.के.-एन.जी./3

(माननीय सदस्य, श्री संजय रत्न द्वारा शून्य काल के दौरान स्वतंत्रता सैनानी स्मारक, दाड़ी के संदर्भ में उठाया गया विषय।)

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि दाड़ी में आज से 9-10 साल पहले स्वतंत्रता सैनानी स्मारक बनाने के लिए नींव रखी गई थी लेकिन आज तक उसमें कोई भी काम नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस पर संज्ञाल लें और इस समारक को जल्द-से-जल्द से बनवाने का प्रयास करें। जिन स्वतंत्रता सैनानियों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और जिनकी वजह से हम विधान सभा, लोक सभा व राज्य सभा में बैठे हुए हैं तथा यह देश चल रहा है, उनकी याद हमारे बीच में बनी रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी इतिहास के बारे में पता चल सके। आने वाली पीढ़ियों को यह भी पता चलना चाहिए कि हमारे देश की आजादी की लड़ाई में किन-किन शूरवीरों का योगदान रहा है और किनकी वजह से हम खुले आसमान

में सांस ले रहे हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि स्वतंत्रता सैनानी स्मारक, दाड़ी को जल्द-से-जल्द बनावाया जाए। इसके अलावा स्वतंत्रता सैनानी व उनके परिवारों की कुछ मांगें हैं इसके लिए उनके बोर्ड को भी जल्द-से-जल्द पुनर्गठित किया जाए ताकि उनकी मांगों को समय रहते पूर्ण किया जा सके। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको इसकी सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी।

20-12-2024/1210/वाई.के.-एन.जी./4

(माननीय सदस्य, श्री त्रिलोक जम्वाल द्वारा शून्य काल के दौरान नई पंचायतों के गठन के संदर्भ में उठाया गया विषय।)

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान प्रदेश सरकार नई पंचायतों का गठन करने जा रही है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार ने कुछ कंडिशन्ज़ लगाई हैं। मैं माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब आप नई पंचायतों का गठन कर रहे हैं और उसके लिए आपने जो प्रक्रिया अपनाई है तो उस प्रक्रिया के माध्यम से कुछ पंचायत प्रधान अपना प्रस्ताव दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। जो पंचायत प्रधान अपनी पंचायत को अलग करने का प्रस्ताव नहीं दे रहे हैं तो क्या वे पंचायते भी अलग होंगी?

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

20-12-2024/1215/केएस/वाईके/1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी---

मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहता हूं कि जो पंचायतें क्वालिफाई करती हैं, जिनमें दो-ढाई या तीन हजार से ऊपर संख्या है, उनका सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। अगर

सारा रिकॉर्ड हमारे पास है तो क्या वे पंचायतें हमारे लैवल पर ही, सरकार के लैवल पर ही अलग नहीं हो सकतीं? सभी प्रधान हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, डैपुटेशन हमारे पीछे लगे हैं कि आप भेजिए। जिला पंचायती राज ऑफिस से जितने आए, उतने भेज दिए बाकियों को कह रहे हैं कि जनरल हाउस हो। तो मैं केवल माननीय मंत्री जी से यह चाहता हूं कि सारा रिकॉर्ड हमारे पास है तो हम यहीं से कॉमन डायरैक्शन कर दें कि 1800-2000 से ऊपर जो भी आपका क्राइटेरिया है, हजार-हजार की पंचायत बन जाए, यहीं से लागू हो जाए। धन्यवाद।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा और न केवल सदस्य को, पूरे हाउस को बताना चाहूंगा क्योंकि जनगणना का काम आरम्भ हो रहा है और क्राइटेरिया के हिसाब से नई पंचायतों के प्रपोज़ल मंगाए गए हैं और सभी के लिए यह एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। कई जगह प्रस्ताव जनरल हाउस से पास नहीं हुए हैं। पंचायतों के कई प्रधान अपनी ही राजनीति के चक्कर में नहीं भेजते हैं। तो आप मुझे इसके बारे में डायरैक्ट भी भेज सकते हैं और डी.सी. के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अभी क्राइटेरिया में ऐसा नहीं है कि जनरल हाउस से पास होना ज़रूरी है। आप भेज सकते हैं और उसके बाद विचार किया जाएगा कि बनानी है या नहीं बनानी है क्योंकि फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट भी बहुत ज्यादा स्टेट के ऊपर है। अभी प्रपोज़ल मंगवाई हैं जैसा भी उचित होगा देखेंगे। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है तो आप डायरैक्टली हमारे ऑफिस में दे दीजिए और मैं इस माननीय सदन के सदस्यों को यह कहना चाहता हूं। यह जनरल स्टेटमैंट है।

Speaker : Hon'ble Revenue Minister, Shri Jagat Singh Negiji wants to intervene.

20-12-2024/1215/केएस/वाईके/2

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज हिमाचल प्रदेश विधान सभा में एक इतिहास रचा जा रहा है। एक नया अध्याय जुड़ गया है और एक नई परम्परा शुरू की गई है। हम बड़े लम्बे समय से, कई सरकारों के समय में मांग करते रहे कि ज़ीरो आवर लागू किया जाए। आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आपने ज़ीरो आवर की शुरुआत की और माननीय विधायकों के लिए एक और मौका मिलेगा। विधान सभा के अंदर उसी दिन एक-डेढ़ घंटा पहले अपनी बात रखने का बहुत अच्छा प्रावधान आपने किया है। आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपको बधाई देता हूं। एक जो नया इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा में आपने शुरू किया है और जिसके लिए लम्बे समय से चर्चा होती रहती थी लेकिन इसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। मैं यह बात ज़रूर कहना चाहूंगा कि यह जो शून्यकाल इंट्रोड्यूस किया है, इसमें माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा प्रकाश डालें कि व्यवस्था क्या रहेगी? क्या यह पूरे एक घंटा या आधा घंटा चलेगा और उसमें अधिक से अधिक कितने लोग बोल सकते हैं? या निर्धारित किया जाएगा कि उसमें जितने बोल दिए उतने ही बोलेंगे, उससे ज्यादा नहीं बोल पाएंगे? इसके अलावा यहां पर शून्यकाल के दौरान जो-जो विषय उठाए जाएंगे, क्या तुरंत विभाग के मंत्री द्वारा उस पर रिस्पाँड करने की कुछ व्यवस्था हो सकती है? मुझे लगता है कि वह बात सिर्फ एक तरफ से कम्युनिकेट हो पाएगी लेकिन बाद में उसका जवाब हो सकता है कि कैजुअल तरीके से आए, उसमें गम्भीरता न रहे। अच्छा तो यही होगा, स्वस्थ परम्परा के मुताबिक होगा कि अगर मिनिस्टर इंचार्ज को भी उस बारे में इन्फोर्मेशन जाए और डिपार्टमैंट उस बारे में जो जानकारी यहां पर उपलब्ध करवा सकते हैं, शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट नोटिस में, तो यहीं से इस सदन में ही उसको उपलब्ध करवाया जाए तो अच्छा रहेगा। धीरे-धीरे इसकी आदत अब आने वाले समय में सभी माननीय सदस्यों को पड़ेगी, उनको एक अवसर मिलेगा। लेकिन इसकी व्यवस्था से सम्बन्धित कुछ चीजें स्पष्ट हो जाए। सभी सदस्यों को लिखित

रूप से भी आ जाए और इसके साथ-साथ अगर आप इस सम्बन्ध में मौखिक रूप से भी कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि वह जानकारी मिलनी चाहिए। धन्यवाद।

अध्यक्ष अ0व0 की बारी में-

20.12.2024/1220/av/एजी/1

अध्यक्ष : वैसे तो हमने ऐप के माध्यम से पूरा बुलेटिन आपके मोबाइल में डाला है। इसकी शुरुआत क्योंकि इस सत्र से होनी थी तो उसकी पूरी प्रक्रिया उस बुलेटिन में उपलब्ध है जिसकी हम आपको प्रिंटिड कॉपी दे देंगे। यह लोक सभा की तर्ज़ पर है तथा विषयों की सार्थकता विधान सभा सचिवालय तय करेगा और यह भी देखा जाएगा कि क्या वे विषय पिछले एक वर्ष के अंदर इस माननीय सदन में चर्चा हेतु तो नहीं आए हैं। माननीय सदस्य अपने विषय को दो या तीन मिनट के अंदर रखेंगे। वह विषय किसी विभाग, माननीय मंत्री या केंद्र सरकार से संबंधित होगा तो उस विषय को वहां तक हमारा सचिवालय पहुंचाएगा। हमने इसकी पहले ही पूरी डिटेल्ड इंफोर्मेशन दी है and already that is on the apps of all the Hon'ble MLAs. I don't know whether you have seen that bulletin or not. If you will go through the bulletins, there is complete details which we have already reflected in that bulletin. अभी हमारी यह कोशिश है क्योंकि कई माननीय सदस्यों के दो-दो, तीन-तीन विषय आ चुके हैं। आज हमने केवल एक-एक विषय लिया है। अभी केवल एक विषय बचता है और इसकी मैक्सिमम टाइमिंग आधा घण्टा है। अगर विषय आधे घण्टे से पहले ही खत्म होता है तो जीरो आवर को उस समय समाप्त भी किया जा सकता है। इसका नोटिस विधान सभा शुरू होने से डेढ़ घण्टा पहले विधान सभा सचिवालय को मिल जाना चाहिए। उसके बाद विधान सभा सचिवालय अपना एप्लिकेशन ऑफ मांइड और अध्यक्ष की कंसैंट के बाद डिटेल्ड करते हैं जैसे हमने आज भी किए हैं। हमारे पास आज भी कुछ विषय आए हैं उसमें से मैं एक को अलाउ कर रहा हूं। यह विषय माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा का है और हमारे पास अभी पांच मिनट का समय है बाकी माननीय सदस्य का एक-एक विषय उठ गया है जोकि कल को लिस्ट हो जाएंगे। अगर ज्यादा आएंगे तो बैलट किए जाएंगे, वैसे अभी तो बैलट की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा आएंगे तो विषय की सार्थकता और गंभीरता को देखते हुए विषय को प्राथमिकता दी

जाएगी। यहां पर जो भी विषय आएंगे हम उनकी टाइमिंग नोट करेंगे तथा उनमें से पहले दस विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, बोलिए।

20.12.2024/1220/av/एजी/2

Health and Family Welfare Minister: Mr. Speaker, Sir, it is a welcome step. I must congratulate you to accept this very important procedure that has been set up in the House, जो Parliament of India में है। My colleague Professor Chander Kumar ji will also bear me out वहां यह होता है कि जो भी अपना विषय उठाना चाहते हैं वह ऑन द स्पॉट भी होता है और आप उसको पहले भी दे सकते हैं। But the response by a particular Minister is not really very conducive because suddenly a point is not given/circulated to the Ministers, then what will they respond. Response should be after a certain time जो आप निश्चित करेंगे कि इतने समय बाद विभाग इसका उत्तर देगा so that is what when you are deciding all the details. This is my humble suggestion that it should be given after some time, maybe, a week or whatever. Thank you.

Speaker: As pointed out by the Hon'ble Minister, we have already said that it is not obligatory on the part of the Ministry concerned that they are to reply to the proposition immediately the moment it is raised by the Hon'ble MLA. However, he has to be informed with the information and this Vidhan Sabha Secretariat will ensure the issues which are raised here that are responded well to the Hon'ble Members and action is taken accordingly.
अभी माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा का एक विषय आया है। हमारे पास अभी समय है इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि वे यहां पर अपना विषय रखें and that is related to "Bharat Spirit proposes to set up some". What is your issue? Please say.

श्री हरदीप सिंह बावा जी टी सी द्वारा जारी

20.12.2024/1225/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

शून्य काल ... जारी ।

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस माननीय सदन में आपने मुझे शून्य काल के दौरान मुझे अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित विषय को उठाने का मौका दिया। नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक एथैनॉल प्लांट स्थापित हो रहा है। वैसे तो वहां तीन प्लांट प्रपोज्ड हैं जिनमें से एक फंक्शनल है और दूसरा प्लांट Bharat Spirit is about to functional. इसके संदर्भ में मैं माननीय सदन में अपनी बात रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार इस प्लांट में पानी की बहुत ज्यादा खपत होनी है। इसके लिए वाटर कैनल बननी थी लेकिन वह नहीं बनाई गई। इस प्लांट के लिए सिर्फ पीने को बोर करने ही की अनमति थी। मेरी जानकारी के मुताबिक वहां 12-13 बड़े बोर किए गए हैं। यह प्लांट ग्राम पंचायत रेडू नेशनल हाईवे पर लगा है। इसके आसपास 35-36 पीने के पानी की स्कीमें हैं। अभी हाल ही में चार दिन पूर्व उप-मुख्य मंत्री जी का दौरा नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र में था। मैंने उनके ध्यान में भी यह विषय लाया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे आश्वास्त किया है कि इसके बारे में विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा। उसके पश्चात् 15 तारीख को नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री जी का दौरा था। उस दिन भी मैंने यह बात उनके समक्ष रखी और उन्होंने भी इसकी छानबीन करने का आश्वासन दिया है। इन दो दिन के दौरे के दौरान मुख्य मंत्री और उप-मुख्य मंत्री द्वारा 28 सिंचाई स्कीमों और छह पीने के पानी की स्कीमों के उद्घाटन किए गए यानी दो दिन में लगभग 43 करोड़ रुपये की स्कीमों के उद्घाटन इसी चंगर एरिया में हुए हैं। इसके अलावा और भी 28 स्कीमों के उद्घाटन होने हैं। यदि इसके बारे में जांच न की गई तो हमारी पानी की सारी स्कीमें ठप हो जाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल शक्ति विभाग इसमें कार्रवाई करने की कृपा करें।

Speaker: The Hon'ble Chief Minister and the Hon'ble Deputy Chief Minister are already seized of the matter, as you said in your statement. I hope they will be taking action shortly. If anyone of them wants to intervene, then he can. Hon'ble Deputy Chief Minister wants to intervene.

20.12.2024/1225/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपको शून्य काल आरम्भ करने की बहुत-बहुत बधाई। आपने दो दिन पहले नेवा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश विधान सभा को पूरे देश के साथ जोड़ा और आज आपने शून्य काल शुरू कर दिया है। आपके कार्यकाल में बड़े क्रान्तिकारी फैसले लिए जा रहे हैं इनके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा जी ने यहां पर जो मसला उठाया है उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि नालागढ़ विधान सभा में पानी का स्तर पहले ही बहुत नीचे है और लगभग 70 प्रतिशत पानी की खपत हो चुकी है। इसलिए यदि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने पानी का बंदोबस्त करना है तो वहां पर रि-चार्जिंग करने के बारे में सोचना पड़ेगा। ये जो बड़े कारखाने लगे हैं, ये एग्रीमैंट के प्रावधानों का उल्लघंन करके पानी बोर कर रहे हैं। **मैं विभाग की ओर से अधिकारियों को वहां पर भेजूंगा और यदि उन्होंने एग्रीमैंट का उल्लंघन किया होगा तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।**

शून्य काल समाप्त।

एन0एस0 द्वारा अध्यक्ष शुरू ....

20-12-2024/1230/एन0एस0-ए0एस0/1

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(I) जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40(7) तथा वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित);

(II) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24;

(III) जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित);

(IV) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः 21/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018, दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;

(V) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 20-17 जोकि अधिसूचना संख्याः 22/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018, दिनांक 06.08.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.08.2018 को प्रकाशित;

20-12-2024/1230/एन0एस0-ए0एस0/2

(VI) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः 23/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018, दिनांक 20.09.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.09.2018 को प्रकाशित;

(VII) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (3) और 15 की उपधारा (5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः 24/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-33/2018, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.12.2018 को प्रकाशित;

(VIII) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः 25/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-33/2018, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.12.2018 को प्रकाशित;

(IX) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः 26/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-33/2018, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.12.2018 को प्रकाशित;

(X) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः 27/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-33/2018, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.12.2018 को प्रकाशित;

20-12-2024/1230/एन0एस0-ए0एस0/3

(XI) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः 28/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-33/2018, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.12.2018 को प्रकाशित;

(XII) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः 29/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-33/2018, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.12.2018 को प्रकाशित; और

(XIII) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः 30/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-33/2018, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.12.2018 को प्रकाशित।

20-12-2024/1230/एन0एस0-ए0एस0/4

अध्यक्ष : अब शिक्षा मन्त्री, कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

शिक्षा मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

I. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा-V के

लिए), ग्रुप-सी (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः ईडीएन-सी-ए(3)-1/2024, दिनांक 10.10.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.10.2024 को प्रकाशित; और

II. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षक (कक्षा-VI से कक्षा-XII के लिए), ग्रुप-सी (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024

जोकि अधिसूचना संख्याः ईडीएन-सी-ए(3)-2/2024, दिनांक 10.10.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.10.2024 को प्रकाशित।

अध्यक्ष : अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, अनसंधान अधिकारी, ग्रुप-ए (अलिपिकवर्गीय), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः आर0डी0-ए(3)-1/2024, दिनांक 31.05.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.09.2024 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री द्वारा प्राधिकृत आयुष मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

आयुष मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा अधिनियम, 1986 (1986 के अधिनियम संख्या 14) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

20-12-2024/1230/एन0एस0-ए0एस0/5

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अनिल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक -एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति का 88वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग से सम्बन्धित है;

2. समिति का 89वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग से सम्बन्धित है;
3. समिति का 90वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग से सम्बन्धित है;
4. समिति का 91वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग से सम्बन्धित है;
5. समिति का 92वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग से सम्बन्धित है; और
6. समिति का 93वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग से सम्बन्धित है।

20-12-2024/1230/एन0एस0-ए0एस0/6

अध्यक्ष : अब श्री विनोद कुमार, कार्यकारी सभापति, कल्याण समिति समिति के प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री विनोद कुमार,: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कल्याण समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक -एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति का 28वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित "बाल अधिकार संरक्षण आयोग" से
2. सम्बन्धित गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और
3. समिति का 29वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि जनजातीय विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है।

अध्यक्ष : अब श्री भवानी सिंह पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, लोक उपक्रम समिति, के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक -एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति का 22वां प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि योजना विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ;
2. समिति का 23वां प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि श्रम एवं रोजगार विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
3. समिति का 24वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2024-25) जोकि मानव विकास समिति के अन्तर्गत मांग संख्याः30-विविध सामान्य सेवाएं के अन्तर्गत सूचना एवं जन-

सम्पर्क विभाग की अनुदान मांगों से सम्बन्धित समिति के द्वितीय मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2022-23) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित है।

20-12-2024/1230/एन0एस0-ए0एस0/7

विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री सुख राम चौधरी कार्य- सलाहकार समिति का नवम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि उसे अंगीकार किया जाए।

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य- सलाहकार समिति का नवम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित करता हूं तथा प्रस्ताव करता हूं कि उसे अंगीकार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने नवम् प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।"

तो प्रश्न यह है कि "यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने नवम् प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है ?"

प्रस्ताव स्वीकार

विधेयक पर विचार-विमर्श और पारण

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29)पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

20-12-2024/1230/एन0एस0-ए0एस0/8

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2-3 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

आगे .....आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

20.12.2024/1235/RKS/एएस/-1

अध्यक्ष... जारी

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29)को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29)को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29)को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29)को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

" हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29) पारित हुआ"

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

20.12.2024/1235/RKS/एएस/-2

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुसूची विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

20.12.2024/1235/RKS/एएस/-3

"हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30)पारित हुआ"

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31)पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुसूची विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

20.12.2024/1235/RKS/एएस/-4

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31)को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

"हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31) पारित हुआ"

श्री बी.एस. द्वारा जारी

20.12.2024/1240/बी0एस0/डी सी -1

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

20.12.2024/1240/बी0एस0/डी सी -2

पारण

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32)को पारित किया जाए।
अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

"हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) पारित हुआ"

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33)पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33)पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33) पर विचार किया जाए।

20.12.2024/1240/बी0एस0/डी सी -3

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33) पर विचार किया जाए?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2-3 विधेयक का अंग बने।

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

खण्ड 2 औरइ 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बनें?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

पारण

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33)को पारित किया जाए।
अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33)को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024
20.12.2024/1240/बी0एस0/डी सी -4
(2024 का विधेयक संख्यांक 33)को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

"हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33) पारित हुआ"

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34)पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34)पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2-3 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बनें?

(प्रस्ताव स्वीकार)

20.12.2024/1240/बी0एस0/डी सी -5

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

पारण

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34)को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34)को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34)को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

"हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34) पारित हुआ"

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

20.12.2024/1245/डीटी/डीसी-1

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35)पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35)पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35)पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35) पर विचार किया जाए?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

अनुसूची विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35) को पारित किया जाए।

20.12.2024/1245/डीटी/डीसी-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35)को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35)को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

"हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35) पारित हुआ।"

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36)पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36)पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36)पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36)पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

20.12.2024/1245/डीटी/डीसी-3

खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36)को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36)को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36)को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36)को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

"हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36) पारित हुआ"

श्री एन.जी.द्वारा जारी

20-12-2024/1250/एच.के.-एन.जी./1

बिल नम्बर 36 के पारण के पश्चात.....जारी

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-2 विधेयक का अंग बना।

20-12-2024/1250/एच.के.-एन.जी./2

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) ध्वनिमत से पारित हुआ।

20-12-2024/1250/एच.के.-एन.जी./3

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 6 तक विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-2, 3, 4, 5 व 6 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

20-12-2024/1250/एच.के.-एन.जी./4

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) ध्वनिमत से पारित हुआ।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 39) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 39) पर विचार किया जाए।

20-12-2024/1250/एच.के.-एन.जी./5

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 39) पर विचार किया जाए।

इस पर माननीय सदस्य, श्री त्रिलोक जम्वाल व श्री जीत राम कटवाल के संशोधन आए हैं लेकिन वे फोरमेट में नहीं हैं। यद्यपि आप अपना वक्तव्य दे सकते हैं, whatever you want to say. माननीय श्री त्रिलोक जम्वाल जी, आप बोलिए।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार सरकारी कर्मचारियों के भर्ती नियमों के संदर्भ में संशोधन लेकर आई है। जो संशोधन सरकार लेकर आई है

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

20-12-2024/1255/केएस/एचके/1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी---

वह बिल्कुल कर्मचारियों के खिलाफ है। जो कर्मचारी अनुबंध पर लगे हैं, सरकार जो नियम-6 और 8 में संशोधन करने जा रही है और नियम-8 के तहत जो इसमें मैंशन किया है कि जो भी कर्मचारी 12 दिसम्बर, 2003 के बाद अनुबंध पर लगे हैं। अपने सारे बैनिफिट्स लेने के लिए जब प्रदेश सरकार ने इन्कार किया तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जब प्रदेश सरकार हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में हार गई, एग्ज़ीक्यूशन पिटिशन फाइल हुई, उसमें हार गई तो एक ऐसा तुगलकी फ़रमान ले कर आए कि वर्ष 2003 के बाद जो भी कर्मचारी अनुबंध पर लगे हैं, लगभग 20 वर्षों से हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, जिन कर्मचारियों की ये दुहाई देते थे, जो अनुबंध पर लगे हैं, उनको जो भी बैनिफिट्स मिले हैं, जो 8 नम्बर की अमेंडमेंट है उसके तहत वह जैसे ही पास होगा, तुरंत विद्ड्रॉ हो जाएंगे। आपने लिखा है, जो अमेंडमेंट की है और अमेंडमेंट भी रेट्रोस्पेक्टिव है। अगर प्रदेश सरकार अमेंडमेंट करना चाहती है तो प्रॉस्पेक्टिवली करें। हम उसका समर्थन करेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे लेकिन अगर आप अमेंडमेंट ले कर आए हैं और उसमें उन कर्मचारियों को जो भी बैनिफिट्स मिले हैं, पहले वे कोर्ट में घूमते रहे। जैसे ही अमेंडमेंट पास होगी सारे कर्मचारियों को तुरंत इस एक्ट के

विरुद्ध कोर्ट में जाना पड़ेगा। उनकी रिज़र्वेशन का क्या होगा, उनकी प्रमोशन का क्या होगा, उनके पैंशनरी बैनिफिट्स का क्या होगा? कुछ भी नहीं सोचा।

अध्यक्ष महोदय, कुछ भी नहीं सोचा गया और सीधा एक्ट पास कर दिया क्योंकि कमिटमैंट्स इतनी ज्यादा की थीं जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। सेक्शन-8 पहली लाइन में क्या कहता है, हम कहते हैं कि हम लोकतंत्र में जीने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, यह डैमोक्रेसी का मंदिर है। हमारा लैजिस्लेचर कानून बनाता है। हम लोग कानून बनाते हैं और उसको ज्यूडिशरी उसको रिव्यू करती है, इंटरप्रिटेशन करती है और उसके बाद एग्जीक्यूटिव में उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। जो कागज तीनों प्रोसैसों से निकल गया और ज्यूडिशरी ने अपना फाइनल वर्डिक्ट उसके ऊपर दे दिया उसके बाद वर्तमान प्रदेश सरकार दोबारा एक नया लैजिस्लेशन ले कर आई है, नई अमेंडमेंट ले कर आई है। और उसमें पहली लाइन में लिखा है :- 'Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court; law, rule, notification, order etc.,

20-12-2024/1255/केएस/एचके/2

for the period commencing on and from 12th December, 2003 and ending on the date of commencement of this Act', it means that by today itself or by tomorrow when this amendment will be published in the Gazette. 'In Column number 10 of the Recruitment and Promotion Rules notified in exercise of powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the words "on contract basis", not only 'on contract basis' the another word or such similar words conveying the same meaning, meaning thereby the person appointed on contract basis, para teachers, or any other policies, चाहे वह कोई भी है, उनको जो बैनिफिट्स कोर्ट के द्वारा मिले हैं या जो बैनिफिट्स उनको पहले आपने दे दिए हैं, आप इस ऑर्डर के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत सारी रिकवरी करना चाह रहे हैं। ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो वर्ष 2003, रेट्रोस्पेक्टिवली 20 साल पहले कितनी सरकारें आईं और कितनी सरकारें चली गईं, किसी ने ऑर्डर पास नहीं किया। आप कोर्ट में

कर्मचारियों को इतना परेशान करोगे, कॉट्रेक्ट के बंधुओं को इतना परेशान करोगे, वे सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। आपने पोस्टें एडवर्टाइज़ कीं। पब्लिक सर्विस कमिशन ने इन्टरव्यू लिया, रोस्टर लगा उसके माध्यमसे सलैक्ट हुए। उन्होंने आर्टिकल-14 के तहत,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी..

20.12.2024/1300/av/वाईके/1

श्री त्रिलोक जम्वाल---- जारी

पेरिटी मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको पेरिटी दी। आपने आधों को लाभ दे दिए, अब यह होगा कि जब यह एक्ट कोर्ट में जाएगा तो हम नेशनल न्यूज पर मिलेंगे। यह छोटी बात नहीं है, आप अगर आज ऐसा ऑर्डर पास कर देंगे कि जिन विधायकों ने वर्ष 2003-04 में चुनाव जीता था उनके आप आज सारे लाभ विड्रो कर रहे हैं, सबसे रिकवरी कीजिए। यह किस प्रकार का संशोधन है? आप देखिए, जो बन्धु सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गए। एक मेरे सामने स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है। हम कोट्र्स में सारे दरवाजे खटखटा कर आए। हम हारे, लोग एग्जिक्यूशन में गए। जब हमारी प्रोपर्टी जैसे हिमाचल भवन अटैच हुआ था वैसे जब दूसरा ऑर्डर सामने आया तो यह सरकार संशोधन लेकर आ गई। आप कहते हैं कि हम ओ0पी0एस0 दे रहे हैं। इस ऑर्डर के तहत उसका क्या होगा? ये जो संशोधन लाए गए हैं इसमें व्यक्ति को न तो सीनियोरिटी मिलेगी और न प्रमोशन मिलेगी, जिनको सीनियोरिटी और प्रमोशन दे दी उसको विड्रो करना पड़ेगा। जिनको एरियर्ज मिल चुके हैं उनसे सारी रिकवरी करनी पड़ेगी। सरकार के ऊपर ऐसी कौन-सी आफत आ गई है कि इसको तुरंत करना पड़ रहा है? हम लोग यहां इस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। लेकिन इसका मतलब तो यह है कि सरकार जो भी संशोधन लेकर आए तो वह प्रोस्पैक्टिवली हो। अगर वह हमें ठीक लगेगा तो हम उसका समर्थन करेंगे और अगर नहीं लगेगा तो उस पर विचार करेंगे। लेकिन किसने नियुक्तियां दीं, लोग पब्लिक सर्विस कमीशन में गए। वहां से प्रौपर प्रोसिजर से सलैक्ट हुए। आपने जब बैनिफिट नहीं दिए तो कोर्ट में गए। अब कोर्ट से बैनिफिट मिल गया और सारे चैनल क्लीयर हो गए। लेकिन आप दोबारा से उसी राउंड

ऑफ लीटिगेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं। यह एक्ट जैसे ही पास होगा वही क्लॉक दोबारा घूमेगी। उसके बाद वहां से जैसे हमारे बाकी एक्ट्स के साथ हुआ वैसा ही इस एक्ट के साथ भी होगा। आप फिर लोकतंत्र के मंदिर की बात करते हैं तो बच क्या गया? जिन्होंने कानून बनाया उसके ऊपर नोटिफिकेशन हुई। आर्टिकल-309 के तहत आर0 एण्ड पी0 रूल्ज बनें। उन्हीं रूल्ज के तहत आपने नियुक्तियां दीं। इस नोटिफिकेशन के बाद वे सारे लोग जो कमीशन से क्वालीफाई होकर लगे हैं, डेली वेजर्ज कहलाए जाएंगे। उनका कोई राइट

20.12.2024/1300/av/वाईके/2

नहीं होगा। जब उनको सर्विस दी तो क्या वे इम्प्लॉई नहीं थे? आप कह रहे हैं कि वे जबसे नियमित होंगे उनको तब से ही गवर्नमैंट इम्प्लॉई का स्टेटस मिलेगा। इसलिए ये जो संशोधन लेकर आए हैं, it is bad in the eyes of law and it should be withdrawn here only. अगर हम लोग ऐसे ही करते रहें यानी ऐसे ही यहां से रेट्रोस्पेक्टिवली ऑर्डर/अमेण्डमैंट्स लाते आए तो कल को कहीं ऐसी अमेण्डमैंट तो नहीं आ जाएगी कि जो इम्प्लॉई है, वह इम्प्लॉई नहीं रहेगा। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीरियस है। दिनांक 12.12.2003, एस0सी0 और एस0टी0 की रिज़र्वेशन का क्या होगा जो उनको प्रमोशन में मिलने वाली थी, वह विड्रो हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि 'Justice delayed is justice denied' आप उनको 15 वर्षों बाद देंगे जबकि कोर्ट कह रहा है कि उनको कल से दीजिए। इसलिए मुझे लगता है कि यह जो अमेण्डमैंट लेकर आए हैं इसको विड्रो किया जाना चाहिए, यही मेरी सब्मिशन है। धन्यवाद।

Speaker : We will take up this issue after lunch. The House adjourned for lunch break and we will reassemble at 2.05 PM. Thank you very much.

20.12.2024/1405/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 02.05 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्ष : बिल नम्बर 39 पर चर्चा चल रही है, अब श्री जीत राम कटवाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 39) सरकार ने सदन में रखा है। उसके ऊपर जो मैंने अमेंडमैंट दी है उसमें मैं दो प्वाइंट्स पर बोलूंगा। उसमें एक जो रेट्रोस्पेक्टिविटी होती है, उसके बारे में मैं मानता हूं कि सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए क्योंकि retrospective enforcement of any provision is not good in the eyes of law except but for very specific circumstances if there are, it is in case of positivity. किसी को पॉजिटिव मैनर में रेट्रोस्पेक्टिविटी का कोई प्रावधान हो तो वह लागू होता है। सामान्यतः यह उसमें करटेल करना मुझे मुश्किल लगता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है। जैसे सैक्शन-6 है इसमें seniority from the date of appointment not anything like date of confirmation. तो कांट्रैक्ट और बाकी सब्सिक्वेंट सरकार के प्रोविजन्स हैं उसके अनुसार सीनियोरिटी अप्वाइंटमैंट से दी जाती है और अप्वाइंटमैंट किसी पोस्ट वैकेंसी के अंगेस्ट करते हैं तथा अप्वाइंटमैंट के सोर्सिज भी डिफरेंट होते हैं। Sometime it is by promotion and sometime it is by lateral entry, the persons who are already in Government job और इसकी इंटर-सी सीनियोरिटी किसी रेशो में होती है तथा गवर्नमैंट में एक एफ0आर0-49 भी होता है जिसमें no junior can draw higher pay and allowances than to his immediate senior person. तो यह बात भी सरकार ध्यान में रखें। इससे लगता है कि इस एक्ट के पास होने से या आगे बढ़ने से ये चीजें आगे कन्फ्रंट तो करेंगी और वैसे भी यह लिखा हुआ है कि

Provided also that the service benefits already extended to the persons for the service other than regular service shall stand withdrawn.

एन0एस0 द्वारा जारी ...

20-12-2024/1410/एन0एस0-ए0जी0/1

श्री जीत राम कटवाल ----- जारी

दिनांक 12 दिसम्बर, 2003 के बाद जितनी भी रेग्युलराइजेशन है, जितनी भी वेकैंसीज फिल-अप हुई हैं या अप्वायंटमैंट हुई हैं तो उसमें ऐसा कहा गया है कि इसी एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत उनको कंसीडर किया जाएगा या रेग्युलराइज किया जाएगा और उनको एडमिनिस्टर्ड करने का जो तरीका होगा तो वह यह एक्ट होगा जो आज हमारे सामने है। वैसे भी दो-तीन प्रोपोजीशन आती हैं, ऑब्सेशन होता है, ऑफिशिएटिंग उसको नहीं मानते हैं। अगर वह अन-इंटरप्टिंगली चलता रहे और किसी वेकैंसी के अंगेस्ट है तो उसकी अप्वायंटमैंट रेग्युलर मानी जाती है। डिफरैंट कोर्टस जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसे रेफरैंसिज आए दिन सरकार के पास आते हैं। कहीं-न-कहीं कोई कमी या लकुना रहता है और सरकार को करेक्ट करने के निर्देश मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार व मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि इस एक्ट के ऊपर गवर्नमैंट के कंप्लशन हो सकते हैं, फाइनैंशियल सिचुएशन सत्ता पक्ष व विपक्ष सभी को ध्यान रखनी पड़ती है। बेसिकली जो आदमी वोट देता है उसका भी पैसे के ऊपर अधिकार है। जितनी भी हमारी वोट देने वाली जनता है, वह सभी कुछ-न-कुछ अपेक्षा रखती है। सरकारी कर्मचारियों का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है और प्रदेश के विकास में इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है तथा अपने जीवन का बहुत अच्छा पीरियड सरकार की सेवा में लगा कर इस प्रदेश का विकास करने व मॉडल स्टेट के रूप में विकसित करने में योगदान रहा है। मैं कहूंगा कि इन अप्वायंटमैंट्स और इस तरह के सेंसटिव इश्यूज पर सरकार ठीक ढंग से विचार करे। रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन्ज लागू होने से उनको नुकसान न हो जो आदमी पहले से लाभ ले रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इसे पास कर लेंगे तो बहुत ज्यादा लिटिगेशन बढ़ेगी। लोगों को पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है और कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए उन्हें कोई ज्यादा देर नहीं लगती है। इसके बारे में एक Maharashtra Deputy

Engineers Versus State of Maharashtra and others, 2nd May, 1990 का एक फैसला है और यह फैसला बड़े बैंच का है, शायद तीन या पांच जजिज का बैंच है। इस फैसले को आज भी हिमाचल में कोट और फॉलो किया जाता है। कांस्टिच्यूशनल बैंच का फैसला मानते हुए आप इसके ऊपर गौर करें और कर्मचारियों का जो ड्यू है तथा टर्म्ज एंड कंडीशन्ज, सर्विस कंडीशन के लिहाज से जो अपेक्षा होती है वह भी करटेल नहीं होना चाहिए। इसमें रेग्युलेशन का एक तरीका है और वह ठीक होना चाहिए। सीनियोरिटी की जो बात है

20-12-2024/1410/एन0एस0-ए0जी0/2

तो कई बार हम चुनावों के दौरान बोलते हैं कि सीनियोरिटी हम ये देंगे या वे देंगे। वर्तमान सरकार ने भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रावधान जो कन्फ्रंटिंग या कोर्ट में लिटिगेशन की तरफ जाते हों तो वे ज्यादा कन्ड्यूसिव नहीं लगते। ये प्रशासन व कर्मचारियों के लिए भी कन्ड्यूसिव नहीं लगते हैं। जनरल, सरकार की कर्मचारियों के माध्यम से एक प्रोफिशिएंसी या एफिशिएंसी होती है और पूरे सिस्टम का एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है तथा आज जो हम यहां पर चर्चा करते हैं तो आम आदमी तक जो योजनाएं या सर्विसीज देते हैं उनके ऊपर भी अच्छा प्रभाव नहीं रहता। मैं यही कहूंगा कि जो मैंने फैसला Maharashtra Deputy Engineers Versus State of Maharashtra and others, 2nd May, 1990 का कोट किया, यह बड़े बैंच का फैसला है और फॉलो होता है। यह मैंने पर्सनली देखा है और हिमाचल में भी फॉलो होता है तथा कोट होता है।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

20.12.2024/1415/RKS/ए.स./-1

श्री जीत राम कटवाल... जारी

उन्हें इस तरीके से कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए कि वे मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाएं। यह भी प्रशासन के हित में नहीं है। मेरा आग्रह है कि सैक्शन 6 व 8 की रेट्रोस्पेक्टिविटी के बारे में विचार किया जाए। Retrospectivity for negative thing is bad in the eyes of law; for some positive exceptional saving clauses, provisos, it is admissible sometimes. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा दिए गए संशोधन पर अवश्य विचार करेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष : श्री रणधीर शर्मा जी।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 39) पर जो अमेंडमेंट लाई है, इस पर हमारे साथियों ने विस्तृत रूप से चर्चा की है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कॉंट्रैक्टर इम्प्लॉइज हैं ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन व सर्विस सलैक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरव्यू क्वालिफाइ करके आते हैं। सरकार की पॉलिसी के तहत दो साल बाद इन्हें नियमित किया जाता है। इन कर्मचारियों का यह पीरियड सीनियोरिटी और अन्य लाभों के लिए कंसिडर हो इसका लाभ कर्मचारियों ने कोर्ट में जाकर लिया है। लेकिन आज इस अमेंडमेंट को लाकर हम उनके बेनिफिट को छीन रहे हैं। यह बिल्कुल कर्मचारी विरोधी अमेंडमेंट है। इससे इस सरकार का कर्मचारी विरोधी चेहरा उजागर होता है। यह चाहे रेट्रोस्पेक्टिव हो या प्रोस्पेक्टिव, किसी भी स्तर पर अमेंडमेंट लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट से निर्णय होने के बाद आप अमेंडमेंट ला रहे हैं जो ठीक नहीं है। आप बहुमत में है इसलिए आप इस अमेंडमेंट को पास कर देंगे लेकिन वे कर्मचारी फिर कोर्ट जाएंगे। सरकार जो पैसा बचाने की बात कर रही है उससे ज्यादा पैसा वकीलों को दिया जाएगा। इसलिए मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि आप प्रेस्टिज इश्यू न बनाकर इस अमेंडमेंट को प्रदेश व कर्मचारी हित में वापिस लें।

अध्यक्ष : डॉ0 हंस राज जी।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा इस विधेयक में जो संशोधन लाया गया है उसमें मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जो बातें सर्वश्री त्रिलोक जम्वाल, जीत राम कटवाल और श्री रणधीर शर्मा जी ने रखी हैं उनमें सबसे बड़ा पंगा यह है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति डायरेक्ट टी.जी.टी. लगता है और उसे पांच साल का कॉंट्रैक्ट पीरियड दिया जाता है और उसके साथ कोई रेग्यूलर जे.बी.टी. लग जाता है तो वह जे.बी.टी. जब परमोट होगा तो वह टी.जी.टी. उस जे.बी.टी. के अधीनस्थ आ जाएगा। मैं मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि उप-मुख्य मंत्री जी ने कई बार अपने राजनीतिक भाषणों में कहा है कि हम अनुबंध कर्मचारियों को सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन आप यह अमेंडमेंट लाकर दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। हमने कॉलेज कैडर के कर्मचारियों को 40-50 लाख रुपये का लाभ एरियर के रूप में दे दिया है और दूसरी तरफ आप इस अमेंडमेंट को लाकर उन सब कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जिन लोगों ने ओ.पी.एस. के माध्यम से आपकी सरकार लाने में मदद की थी वही कर्मचारी जो लगभग 1.36 लाख हैं, इस अमेंडमेंट की तरफ देखेंगे कि यह विषय नहीं आना चाहिए था। मेरा सरकार से यही आग्रह है कि आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि उस संदर्भ में इस बिल को नहीं लाना चाहिए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं। मैं कहना चाहूंगा कि विषय कुछ और है और चर्चा किसी और विषय पर हो रही है। माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने एक बात कही कि ये कर्मचारी डेली वेजिज या कॉंट्रैक्ट पर हो जाएंगे। यह बिल किस लिए लाया गया है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। इसमें फाइनेंशियल बात नहीं है। ये लोग कोर्ट में जाकर अपने कॉंट्रैक्टर पीरियड को रेग्यूलर करने की बात करते हैं। कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया जाता है कि जिस तारीख से इन्होंने ज्वाइनिंग की है उस तारीख से उन्हें रेग्यूलर लाभ दिए जाएं।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

20.12.2024/1420/बी.एस./ए.एस.-1

मुख्य मंत्री जारी...

कोर्ट ऐसा निर्णय करता है कि हां इन्होंने जिस डेट से ज्वाइनिंग की है फिर से उसका सारा लाभ मिल उन्हें दिया जाए। इससे कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का कोई महत्व नहीं रह गया है। यदि कॉन्ट्रैक्ट इंप्लॉइको सारे लाभ देने हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी लाने का कोई लाभ नहीं है। यह उस समय की एक गलती थी, यह एक्ट का एक सैक्शन था जसमें लिखा गया था कि रेग्यूलर/कॉन्ट्रैक्ट एंप्लॉइ लिखा गया था। उसके आधार पर जो कोर्ट में केस प्रस्तुत किया जाता था। उस गलती को मिटाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट शब्द को हटाना चाह रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट शब्द से क्या होगा कि रेग्यूलर कर्मचारियों को डिमोट करना पड़ सकता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को 2-3 साल के लिए साइन कर रहा हूं। यह ठीक है कि 15-20 कर्मचारी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायाल में गए। वर्ष 2003 से कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी चल रही है। अगर वर्ष 2003 से उन सभी को नियमित करने लग जाएं तो उन्हें प्रमोशन भी देना पड़ेगा और अन्य लाभ भी देने पड़ेंगे। इन सभी चीजों को ध्यान में रख कर इस बिल को लाया गया है और जो गलती है, उसे ठीक किया गया है। इसके माध्यम से अभी कुछ कर्मचारियों ने कोर्ट के माध्यम से जबरदस्ती एरियर लेने की कोशिश की है और वे एरियर ले गए हैं। उसी को आधार मान कर अन्य कर्मचारी भी कोर्ट जा सकते हैं, यह बिल प्रदेश हित में है। जो लाखों कर्मचारी लगे हैं क्या उन्हें डिमोट करना है? यह भी सोचने का विषय है। इसलिए इस बिल को लाया गया है और इस बिल में कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफाई किया गया है। आपने एक और प्वाइंट बोला था। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी एंप्लॉइ कॉन्ट्रेक्ट पर हैं या टेंपरेरी बेस पर रख दिए गए हैं। पहले रूल-12 बना था उसके आधार पर भी इन्हें रख दिया जाता था कि इसे लगा दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट 10-12 साल का होता था। अगर उसे 12

साल के लाभ दे दिए जाएं तो जो उसके साथ क्लर्क लगा है उसका कितना नुकसान होगा? इस संर्दभ में यह बिल लाया गया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो शंकाएं होंगी वे शंकाएं धीरे-धीरे बदलती रहती है। मैं यही कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

20.12.2024/1420/बी.एस./ए.एस.-2

अध्यक्ष :

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 39) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2-12 तक विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 और 12 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

पारण

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 39) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 39)को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 39) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 39) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

20.12.2024/1420/बी.एस./ए.एस.-3

हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 39)पारित हुआ"

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 40) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 40) पर विचार किया जाए। इस पर माननीय सदस्य श्री रणधीय शर्मा जी का संशोधन आया है लेकिन संशोधन का पैरामीटर उसमें नहीं है। यदि आप बोल सकते हैं।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

20.12.2024/1425/dt/DC-1

अध्यक्षः इसमें माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी की ओर से कुछ संशोधन आये हैं लेकिन जो अमेन्ड्मेन्ट इनके द्वारा दी गई है, वह इस बिल के पैरामीटर में नहीं आती,

यद्यपि आप बोल सकते हैं। Whatever the concerns which the Hon'ble Member has, he can ventilate all those concerns in discussion.

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, ये जो हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक-2024 का विधेयक संख्या 40 में सरकार जो संशोधन लेकर आई है और खंड 4 की धारा 65 में जो संशोधन कर रही है, इससे अनेक शंकाएं पैदा हो रही हैं। इसमें ये प्रावधान किया जा रहा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय उसके द्वारा लोक सेवक के रूप में कार्य करते समय किए गये कार्य के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा। मुझे लगता है ये संशोधन गलत काम को प्रेरित करने वाला संशोधन है। कोई अधिकारी ठीक काम करता है उसको तो गिरफ्तार करने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता और अगर कोई अधिकारी गलत काम करता है तभी उसकी गिरफ्तारी की बात आती है। इसलिए अगर किसी अधिकारी ने गलत काम किया है तो उसको गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को सरकार की परमीशन लेने की आवश्यकता क्यों है? अधिकारियों से सरकार ही काम करवाती है। आज अधिकारी इस डर से कि मैं गलत काम करूंगा तो मुझपर कल को कार्रवाई होगी और मेरी गिरफ्तारी भी हो सकती है और मेरा करियर भी खराब हो जायेगा, गलत काम नहीं करेगा, चाहे सरकार में बैठे लोग गलत काम के लिए दवाब भी डालें फिर भी अधिकारी अपनी समझ के मुताबिक जो ठीक होता है, वह करता है। परन्तु ये संशोधन आने के बाद अधिकारी गलत काम करना भी शुरू करेंगे क्योंकि जब तक किसी भी पार्टी की सरकार पांच साल के लिए सत्ता में है तब तक तो वह गिरफ्तार नहीं होंगे और कई ऐसे अधिकारी होंगे जो सरकार जाने से पहले रिटायर हो जायेंगे और ऐसे अधिकारी गलत काम करके चले जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये संशोधन कहीं-न-कहीं पुलिस के जो अधिकार हैं उनको कर्टेल करने की बात तो करता ही है साथ में सरकार के दवाब और प्रभाव में अधिकारियों से गलत काम करवा ले, इसके रास्ते खोलता है। इस संशोधन के बाद सरकार जो चाहे वह अधिकारियों से करवायेगी और कहेगी कि हम बैंठे हैं आप को कोई भी गिरफ्तार नहीं करेगा। कई अधिकारी तो सरकार के साथ या उससे पहले रिटायर हो जायेंगे। इस तरह से तो गलत काम होते रहेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय ये संशोधन प्रदेश हित में नहीं है। सरकार की जो

मंशा है इससे जाहिर होती है कि सरकार ने जैसे काम दो साल में किए हैं उसके लिए अधिकारियों को इस संशोधन के द्वारा और खुली छूट दी जा सके, उस काम के लिए यह संशोधन लाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। मै यही कहना चाहता हूं कि इस संशोधन को वापिस लिया जाये।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी इस संशोधन बोलेंगे।

श्री त्रिलोक जम्वालः अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक-2024 का विधेयक संख्या 40 में सरकार जो संशोधन लेकर आई है और खंड 4 की धारा 65 है जिसमें पहले 3 कलॉज हैं, कलॉज-1,कलॉज-2 व कलॉज-3 और जो चौथा कलॉज हम इसमें इंटरोडयूज करने जा रहे हैं उस कलोज में लिखा है कि (4).' No Police Officer shall arrest a public servant for any act done while discharging his duties as public servant except with the prior sanction of the Government'.

हिन्दी में श्री एन0जी0द्वारा जारी...

20-12-2024/1430/डी.सी.-एन.जी./1

श्री त्रिलोक जम्वाल------अंग्रेजी के पश्चात.....जारी

माननीय अध्यक्ष जी, आज तक पुलिस एक्ट में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। जब भी कोई ऐसा विषय आता है तो हमारी पुलिस अपना काम बड़ी निष्पक्षता से करती है। लेकिन इस संशोधन के बाद जो लोग ब्राइबरी लेते हैं, क्या उनको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी? यदि कोई विजिलैंस का केस होगा तो क्या इस संशोधन की आड़ में उसे छोड़ा जाएगा? इस एक्ट में लिखा है कि जब वह पब्लिक ड्यूटी डिसचार्ज करे तब वह कुछ भी करे तो उसे

हिमाचल पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, ऐसा क्यों? जब यह मूल एक्ट बना था और मुझे लगता है कि उस समय भी काफी चर्चा के बाद ही बना होगा तथा तब क्यों नहीं इस प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता पैदा हुई?

अध्यक्ष महोदय, हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जो सैंटर लेजिसलेशन का काम है, हम उसमें एंक्रोचमेंट कर रहे हैं? क्या इसमें सी.आर.पी.सी. नहीं लगेगी और क्या उसका प्रोसिज़र नहीं चलेगा? जोकि अब चेंज होकर भारतीय सुरक्षा संहिता बन गया है। उसमें सैक्शन-35 है और सी.आर.पी.सी. में सैक्शन-197 था। उसमें सभी प्रोटैक्शन्ज़ उपलब्ध हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी स्पेसिफिकली व्यक्ति/अफ़सर को बचाने के लिए यह डिज़ाइन किया जा रहा हो? इस संशोधन से बिलकुल क्रिस्टल क्लियर है और किसी भी प्रकार की दोराय नहीं है क्योंकि यह इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि 'public servant for any act' अब आप बताइए कि पोक्सो एक्ट का क्या होगा? यदि कोई टीचर किसी बच्चे से मिसबिहेव करेगा तो उस पर कार्रवाई करने के लिए क्या सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी? पहले सरकार को कागज़ आएगा और उसके बाद उसे अरेस्ट किया जाएगा। हम कई बार देखते हैं कि समाज में कुछ डॉक्टर्स के ऊपर एलिगेशन्ज़ लगते हैं कि पेशंट के साथ मिसबिहेव हुआ है।

उस परिस्थिति में क्या डॉक्टर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा? उसके लिए क्या पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी? यदि कोई पटवारी/तहसीलदार पैसे ले रहा है तो क्या उसे अरेस्ट करने के लिए पहले सरकार के पास जाना पड़ेगा? इस संशोधन के माध्यम से कोई भी पुलिस अधिकारी किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाएगा। आप गलत काम को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार का संशोधन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के कारण तो सैंटर्ल एक्ट या सी.आर.पी.सी.का कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। आप देखिए कि Prevention of Corruption Act 17 A में पब्लिक सरवेंट को ऑलरेडी प्रोटैक्शन मिल हुई है तो फिर ये नया एक्ट क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इससे किसी विशेष व्यक्ति को स्पेसिफिक बैनेफिट मिलेगा। इससे एक संदेह और पैदा होता है कि यदि आने वाले समय में कोई भी अधिकारी किसी फाइल पर कुछ भी लिख दे तो उसे किसी का कोई डर नहीं होगा। वैसे भी यदि किसी अधिकारी पर कोई केस चलाना होता है तो सरकार से उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। वह तो सरकार की sole discretion है कि अनुमति देनी है या नहीं। लेकिन कोई heinous crimeमें मर्डर कर देता है तो क्या उस पर कार्रवाई करने के लिए भी सरकार से अनुमति लेने पड़ेगी?

अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो ऑर्डर है और सरकार ने इस ऑर्डर में जो लिखा है तो मुझे लगता है कि इससे हमारे सैंटर्ल एक्ट्स में एंक्रोचमेंट की जा रही है। इस प्रकार के संशोधन नहीं होने चाहिएं ताकि ऐसा न हो कि कुछ लोगों का हौसला इतना बढ़ जाए कि वे कुछ भी कर दें और सरकार उन पर लीगल एक्शन भी न ले सके। इससे ब्राइबरी के केस 2-3 गुणा बढ़ जाएंगे। इससे अनेक प्रकार के heinous crimeको बढ़ावा मिलेगा। मेरा मानना है कि इस संशोधन को विड्रो करना चाहिए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी, आप बोलिए।

मुख्य मंत्री.....श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

20.12.2024/1435/केएस/एचके/1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वकील भी हैं और रणधीर शर्मा जी ने भी लॉ की है। अब ये जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, जो डिस्चार्जिंग की डैफिनेशन को ये डिफाइन कर रहे हैं, इस मामले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई भी क्राइम, रिश्वत और मर्डर से रिलेटिड जो भी क्राइम

है, उसमें किसी प्रकार से कोई रोक नहीं है। उसमें वे ही धाराएं लगती हैं जो सी.आर.पी.सी. की और नई आचार संहिता के साथ लगती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह क्या है? एक तरफ तो आप कर्मचारियों की बात कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा। एक तरफ जो ईमानदार कर्मचारी है, कोई पुलिस का अधिकारी अपने ही अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर ले और गवर्नमैंट को ही पता न हो तो यह गवर्नमैंट से परमिशन का एक प्रोविज़न है। कोई इसमें बड़ा लॉ नहीं बदला गया है। जो पटवारी रिश्वत लेते पकड़ा जाएगा वह ऑन द स्पॉट क्राइम हो गया, उसको पकड़ लिया गया तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इसके लिए सेप्रेटली एस.ओ.पी. और जारी करेंगे। किसी ने मर्डर कर दिया, उसमें धारा 302 ही लगेगी। ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारी है, मैंने मर्डर कर दिया, गवर्नमैंट परमिशन नहीं देगी तो मुझे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। क्राइम जो भी करेगा, अरेस्ट होगा। कोई गवर्नमैंट का कर्मचारी या अधिकारी द्वेष भावना से कोई बात रखता है जिसमें कोई कॉज़ ऑफ एक्शन नज़र ही नहीं आता है, एफ.आई.आर. दर्ज करवा जाता है और गवर्नमैंट को पता ही नहीं लगता ऐसे केसिज़ आए हैं। पब्लिक सर्वेंट जो भी हैं उनके खिलाफ ऐसी बातें आई हैं तो इस सरकार को उनकी प्रोटैक्शन के लिए कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया और बिना मतलब के एफ.आई.आर. दर्ज होगी तो उसके खिलाफ हम यह एक्ट लाए हैं और एक्ट में कोई ऐसी चेंजिंग की बात नहीं है कि भारतीय न्याय संहिता और जो सी.आर.पी.सी. है, उसमें कोई इनफ्रिंजमैंट ऑफ राइट नहीं है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। जिसने चोरी की होगी उसको उसी समय स्पॉट पर पकड़ लिया जाएगा। यही मैं आपको इस संदर्भ में बताना चाह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसका जो प्रोविज़न है वह पी.सी. एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रप्शन एक्ट के तहत है। वह तो बड़ा स्ट्रिक्ट है। हमने तो इसको बड़ा लिबरल रखा है। आपकी जो शंका है वह यह है कि कोई चोरी करेगा, डाका डालेगा, कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा जाएगा, वह ऑन द स्पॉट ही पकड़ा जाता है। वह क्राइम के स्पॉट्स पर होता है। उसको कोई प्रोटैक्शन नहीं है।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, वह तो समझ आता है और मुझे लगता है कि यह अमेंडमेंट उसके लिए है भी नहीं। परंतु यह लिखा है कि "लोक सेवक को उसके द्वारा लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए" अब इसका अर्थ क्या है कि किसी काम को मंत्री ऑफिसर को कहता है कि ऐसी फाइल बना कर लाओ और यह निर्णय करो। ऑफिसर उस फाइल पर साइन करता है। जो शंका है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं और अल्टीमेटली वह काम गलत होता है। कल को कोई भी एजेंसी, विजिलेंस ही नहीं वह ई.डी. भी हो सकती है, कोई भी एजेंसी इन्क्वायरी करती है और वह ऑफिसर दोषी पाया जाता है कि उसने यह फाइल गलत साइन की तो फिर उस एजेंसी को उसको पकड़ने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार ने ही क्योंकि दवाब डालकर गलत साइन करवाएं हैं इसलिए सरकार क्यों परमिशन देगी? इसलिए इस तरह के गलत काम की हम बात कर रहे हैं। मर्डर या चोरी तो अलग है परंतु जो फाइलों में, फाइल वर्क में गलत काम होगा, जो गलत फाइलें होंगी, उसमें अगर कोई एजेंसी जांच करते हुए गलती को पकड़ती है तो उस एजेंसी को भी अरेस्ट करने के लिए सरकार से पर्मिशन लेनी पड़ेगी और सरकार तो संरक्षण देगी ही क्योंकि उसने तो पहले ही दवाब डालकर गलत काम करवाया है। मैंने जो शंका जाहिर की थी, जब तक सरकार है, तब तक वह अधिकारी रिटायर हो जाएगा तो परपज़ तो हल हो गया तो मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत नहीं है। पोलिटिक्स है, आज सरकार इनकी है, कल को हमारी भी हो सकती है। जो आप कह रहे हैं वह बात समझ आती है। मैंने वह शंका भी प्रकट नहीं की। जो मैंने शंका प्रकट की, उस पर आपका स्पष्टीकरण ही नहीं आया। इसलिए आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? इतने सालों से भी यह चल रहा था। आज अचानक यह अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, माननीय मुख्य मंत्री जी यही बता दें? सरकार चलाने में क्या दिक्कत हो रही है?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

20.12.2024/1440/av/hk/1

श्री रणधीर शर्मा------- जारी

जिसके कारण यह अमेण्डमैंट लानी पड़ी? हम समझते हैं कि ये जो अधिकारियों के माध्यम से गलत काम करवाए जा रहे हैं यानी यदि कोई अधिकारी नहीं करता है तो वह करे, इसके लिए आप यह अमेण्डमैंट लेकर आए हैं इसलिए हम इसका विरोध करते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी बैठे-बैठे मेरे ध्यान में एक शब्द आया कि माननीय सदस्य 'काल्पनिक बुद्धिमत्ता' का परिचय दे रहे हैं। ये कल्पनाएं करते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारे प्रोविजन्ज हैं, माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल ने ठीक पूछा। हमने उनकी बात का सही जवाब दिया लेकिन आप कल्पना के आधार पर बातें कर रहे हैं कि यह होगा, वह होगा जबकि बिजनैस मेनुअल में सब कुछ है। भ्रष्टाचार के केसिज में किसी को किसी भी प्रकार की प्रोटैक्शन नहीं है। 'काल्पनिक बुद्धिमत्ता', मैंने आपके लिए यह एक अच्छा शब्द ढूंढा है, आप कल्पनाओं में अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया जबकि इसमें उस इम्प्लॉई के लिए सारी प्रोटैक्शन्ज हैं जोकि अपना काम ईमानदारी से करता है। ...(व्यवधान) उसमें प्रोटैक्शन नहीं है बल्कि वह सिर्फ परमिशन लेगा और यह जरूरी है। आप अपनी बुद्धिमत्ता को थोड़ा स्टेबल कीजिए, मैं आपको फिर समझा रहा हूं। अगर कोई पटवारी किसी से रिश्वत मांगता है तो वह क्राइम उसी समय रजिस्टर हो जाएगा। उसके खिलाफ उसी समय एफ0आई0आर0 दर्ज हो जाएगी। विजिलैंस मेनुअल में यह सारा प्रोविजन है और उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ जो अधिकारी अपनी द्वेष भावना से बिना किसी कॉज ऑफ एक्शन के एफ0आई0आर0 दर्ज कर लेते हैं उनकी परमिशन के संदर्भ में है और मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि अगर इसके लिए भी मेनुअल में प्रोविजन है तो फिर यह अमेण्डमैंट क्यों लाई जा रही है? पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों करेगी जो ईमानदारी से काम करेगा? ऐसा कौन-सा पुलिस अधिकारी है जोकि सिर्फ द्वेष भावना से सीधा गिरफ्तार करे। वह तो तभी करेगा जब उसके खिलाफ कोई गलत बात पाई जाएगी। एफ0आई0आर0 तो सैंकड़ों रजिस्टर होती है उसमें सारे गिरफ्तार थोड़े ही

20.12.2024/1440/av/hk/2

होते, गिरफ्तार तो तब होते हैं जब जांच के बाद कोई दोषी पाया जाता है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको पुलिस गिरफ्तार करती है, उस गिरफ्तारी के लिए सरकार से परमिशन लेने की क्या आवश्यकता है? सरकार की यह किस प्रकार की मजबूरी है, आप इस बात को स्पष्ट कीजिए? आप कह रहे हैं कि इसके लिए भी प्रोविजन है, उसके लिए भी प्रोविजन है तो यह अमेण्डमैंट क्यों लाई जा रही है? यह अमेण्डमैंट इसलिए शंका पैदा कर रही है कि आप अपने अधिकारियों से गलत काम करवाएंगे और उनको बचाने के लिए एक गारंटी हो गई कि आप जो मर्जी करें, हमारे रहते आप गिरफ्तार नहीं होंगे। उनको इनडायरैक्टली इस प्रकार की गारंटी देने के लिए यह अमेण्डमैंट लाई गई है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ...(व्यवधान) हम कह रहे हैं कि कोई गलत करेगा तो उसके बारे में जांच होने के बाद वह अंदर जाए। ...(व्यवधान) आप (उप-मुख्य मंत्री) कह रहे हैं कि सरकार से परमिशन लिए बिना न अंदर जाए। सरकार की परमिशन क्यों जरूरी है, आप इस बात को स्पष्ट कीजिए? ...(व्यवधान) ऐसे कौन अंदर करता है, कमाल है। आज तक कौन-कौन ऐसे ही अंदर कर दिए गए?

Speaker : Hon'ble Member Shri Randhirji, please address to the Chair. ...(Interruption) No cross talks please. Hon'ble Member Shri Trilok Jamwalji, what is your clarification?

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेण्डमैंट है इसका फेट व इम्प्लीकेशन क्या होगी, हम उसकी चर्चा के लिए ही यहां बैठे हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो प्रोविजन अमेण्ड हो रहे हैं। इसमें 65 और 95 सेक्शन अमेण्ड हो रहे हैं, we are referring to Section 65 only.

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि दो वर्ष के बाद इसमें अमेण्डमैंट लेकर आना पड़ा? अभी पिछले एक्ट में जो अमेण्डमैंट आई थी और आज इस हाउस के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट की बात ...(व्यवधान) मैं इसी पर आ रहा हूं

क्योंकि जब हाउस के अंदर चर्चा नहीं होगी, सीधा बिल आएगा और उसको पास कर देंगे। ...(व्यवधान) हमारी इसमें जो शंका है, हम उसके बारे में सरकार से पूछना चाहते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है

टी सी द्वारा जारी

20.12.2024/1445/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

श्री त्रिलोक जम्वाल .. जारी

यह जो आप अमेंडमैंट लेकर आए हैं यह आज से पहले इंट्रोड्यूस क्यों नहीं हुई? क्या इससे पहले इस माननीय सदन में कोई बुद्धिजीवी नहीं थे। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जब सी0आर0पी0सी0 में सारे प्रोविजन्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रप्शन एक्ट और आई0पी0सी0 में यह सब कुछ है तो हिमाचल प्रदेश पुलिस के इस रूल्ज को अमेंडमैंट करने की क्या जरूरत पड़ गई? जब इस एक्ट की इंटरपिटिशन होगी, जैसा मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं और जब मेरे और आपके जैसा वकील न्यायालय में खड़ा होगा और इसको लेकर आएगा तो आपका क्या बिजनेस मैनुअल चलेगा? क्या एक्ट के ऊपर मैनुअल चल सकता है? It is an Act. आप कानून बनाने जा रहे हैं और कानून को क्या मैनुअल सुपरसीड कर देगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इंटरनल बिजनेस और एक्ट में रात-दिन का फर्क है। आप एक कानून बना रहे हैं। आप एक रिटन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इस एक्ट के ऊपर जितनी भी नोटिफिकेशन्ज होंगी, रेगुलेशन्ज और रूल्ज होंगे, वे इसके ऊपर नहीं चलेंगे क्योंकि यह एक्ट बनने जा रहा है। इसलिए ये हम पर्ची के ऊपर इंटरपिटिशन दे रहे हैं और जब यह पढ़ा जाएगा तो यह 65 (4) पढ़ा जाएगा। जिससे बिल्कुल लीबर्टी मिल जाएगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय यह जो 65 (4) है इसको विदड्रा करना चाहिए, नहीं तो लूट की खुली छुट मिल जाएगा।

Speaker : The Hon'ble Chief Minister, the Hon'ble Member is asking that why the police powers are being curtailed?

20.12.2024/1445/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये सब राजनीतिक बातें हो रही हैं। मैंने कहा कि इसके बारे में एक एस0ओ0पी0 जारी कर देंगे। ये दो मुहीं बात करते हैं। इसका मतलब है कि ये प्रदेश के कर्मचारियों के हित में नहीं है। आप प्रदेश के कर्मचारियों के किसी भी हित में नहीं है। यदि इनको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो एक एस0ओ0पी0 जारी कर देंगे। उसके माध्यम से इनको सब कुछ पता चल जाएगा। बाकी राजनीति करने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के हितों की रक्षा कोई सरकार कर रही है तो हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, ये पहले एस0ओ0पी0 जारी करें उसके बाद एक्ट को पास करें। हमें भी पता चले कि आप एस0ओ0पी0 में क्या लिखेंगे। आप बिल में अमेंडमैंट करवा लेंगे लेकिन एस0ओ0पी0 का कोई पता नहीं कि वह क्या होगी। ...(व्यवधान) ये कर्मचारियों के लिए नहीं अधिकारियों के लिए हैं। हम सबके काले धंधे जानते हैं। यह उन अधिकारियों के लिए हैं जिनसे आप फाइलों पर गलत साइन करवाएंगे। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं।

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 40) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 40) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 40) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 40)पर विचार किया जाए?

20.12.2024/1445/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।
तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 तक विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2,3,4 व 5 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

पारणः

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 40) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 40)को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 40) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 40) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 40)पारित हुआ"

अध्यक्ष एस0 द्वारा शुरू

20-12-2024/1450/एन0एस0-वाई0के0/1

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 42) पर विचार किया जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 42) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 42) पर विचार किया जाए। माननीय सदस्य बोल सकते हैं तथा माननीय राजस्व मंत्री उसका उत्तर देंगे। इस बिल पर कोई संशोधन नहीं है। अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। श्री रणधीर शर्मा जी आप बोलिए।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 42) में सरकार संशोधन लेकर आई है। जैसे भूमिका में भी स्पष्ट किया गया है कि राधा स्वामी सत्संग, ब्यास एक धार्मिक और अध्यात्मिक संगठन है। देशभर में इनके अनुयायी हैं। जिला हमीरपुर के भोटा में इनके पास जमीन है जिसमें एक चेरिटेबल अस्पताल चलाया गया है। ये सारी जमीन राधा स्वामी सत्संग, ब्यास के नाम है। वे भी चाहते हैं कि उनकी जमीन का कुछ हिस्सा मेडिकल ट्रस्ट जो श्री जगत सिंह जी के नाम पर बना है जिसके अधीन यह अस्पताल है उस ट्रस्ट के नाम की जाए। यह ठीक है परन्तु जो अमेंडमैंट है वह किसी एक संस्था को लाभ देने के लिए नहीं लाई जा सकती। हम भी चाहते हैं कि सत्संग ब्यास वालों की समस्या है और उसका समाधान हो। हम भी उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। उनके द्वारा जो धार्मिक और अन्य सेवा कार्य चलते हैं उनकी भी सराहना करते हैं। विशेष कर भोटा में जो अस्पताल चल रहा है उसका स्थानीय लोगों को काफी लाभ है। इसलिए उस कार्य की भी सराहना करते हैं। लेकिन उनकी समस्या के समाधान के लिए जो अमेंडमैंट आ रही है तो मुझे लगता है कि कहीं इसका कोई दुरुपयोग न हो। सरकार ने भी जल्दबाजी में अमेंडमैंट तैयार की। हमें भी जानकारी मिली कि कैबिनेट में भी सहमति नहीं मिल पा रही थी। आप लोग भी समझते हैं कि यह अमेंडमैंट अगर रही तो अनेक संस्थाएं या सोसायटीज इसका दुरुपयोग करेंगी।

20-12-2024/1450/एन0एस0-वाई0के0/2

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि इस अमेंडमैंट में कुछ ऐसे सेफगार्ड जरूर रखने चाहिए ताकि दुरुपयोग न हो। इसके लिए कुछ ऐसे कदम जरूर डालने चाहिए। यह बात ठीक है कि इस संस्था की समस्या का समाधान हो जाए और अन्य स्तर पर इसका दुरुपयोग भी न हो। कहीं ऐसा न हो कि इसका दुरुपयोग करके हिमाचल में जमीनों का गोरखधंधा शुरू हो जाए। ऑफटर ऑल लैंड सीलिंग एक्ट धारा-118 हिमाचल के हितों के लिए बनी है। हम बार-बार रिलैक्सेशन दे रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कि हितों के विपरीत काम होना शुरू हो जाए। यही हमारा शक है और

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

20.12.2024/1455/RKS/एजी/-1

श्री रणधीर शर्मा .... जारी

इसलिए मुझे लगता है कि सरकार इस अमेंडमेंट को जल्दबाजी में लाई है। इस अमेंडमेंट को सलैक्ट कमेटी को भेजना चाहिए ताकि इस पर विस्तृत विचार किया जा सके। इसमें ऐसे सेफगार्ड इंसर्ट किए जाएं ताकि इसका दुरुपयोग न हो। हिमाचल प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखने के लिए जो हमारी पूर्व सरकारों ने निर्णय लिए हैं उन निर्णयों का उद्देश्य भी पूरा हो सके। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस अमेंडमेंट को विधान सभा सचिवालय की सलैक्ट कमेटी को भेजा जाए ताकि कमेटी इस पर विस्तृत विचार कर सके और उसके बाद इसे सदन में लाया जाए।

20.12.2024/1455/RKS/एजी/-2

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, राधा स्वामी सत्संग ब्यास आध्यात्मिक संगठन के बारे में हमारी भी बहुत आस्था है। समाज के लिए इस संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई है निश्चित रूप से उसमें इस संगठन का बहुत योगदान है। यह संस्था सेवा के कार्य भी करती है। कोविड के दौर में इस संस्था ने आगे बढ़कर मदद की थी। इन सभी विषयों को देखकार इस संस्था की मदद करने के लिए रास्ता निकालने की बात समझ में आती है लेकिन प्रदेश-हित सर्वोपरि है। भाई रणधीर शर्मा जी ने ठीक कहा कि एक व्यक्ति या संस्था के लिए देश व प्रदेश में कोई कानून नहीं बना है। क्या यह कानून की नजर में परमिसिबल है, यह भी सोचने की बात है। इस संस्था का भोटा में एक चैरिटेबल अस्पताल चलता है और उनका विषय जी.एस.टी. से संबंधित है। यह मामला

हमारी सरकार के समय भी सामने आया था। यह विषय हमारी सरकार से पूर्व श्री वीरभद्र सिंह और प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व वाली सरकार के पास भी आया था। जब यह विषय हमारे मंत्रिमंडल के सामने आया तो इस विषय में लगभग अढ़ाई घंटे चर्चा हुई थी। सबकी मदद करने की मंशा थी लेकिन इसके बावजूद भी मदद करने कोई रास्ता नहीं निकल पाया। अगर मदद करने का रास्ता निकलता भी है तो उसके कारण ऐसी चीजें सामने आएंगी जिनका दुरुपयोग होने की संभावना है। जो देवी-देवताओं के नाम जमीन है वह लैंड सिलिंग एक्ट 1972 के तहत वेस्ट हो गई है। राजाओं की हजारों बीघा जमीन भी वेस्ट हो गई है। मुझे लगता है अगर यह अमेंडमेंट लाई गई तो यह विषय बहुत खुल जाएगा। बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे हैं जो इन चीजों की आड़ में आने वाले समय में कोर्ट जाकर इस तरह की परिस्थितियां पैदा करेंगे जिससे आप जो अमेंडमेंट प्रपोज कर रहे हैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। मदद करने की मंशा सबकी होनी चाहिए। हमारी भी मदद करने की मंशा है क्योंकि वह संस्था सेवा के काम भी करती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जल्दबाजी करना उचित नहीं है।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

20.12.2024/1500/बी.एस./ए.एस.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

इसलिए मैं सारी चीजों को ले करके, क्योंकि इसमें हमें यह भी देखना है कि बहुत सारी जमीन तो लोगों ने डोनेट की है। क्या लोगों द्वारा डोनेट की हुई क्या उस जमीन के संदर्भ में इस एक्ट में कोई निर्णय ले सकते हैं? इसलिए मुझे लगता है कि सारी चीजों को ले करके विचार करने की आवश्यकता है और उस पर सरकार अवश्य विचार करे। जो हमारा 118 लैंड सिलिंग एक्ट है, ये दोनों चीजें हैं। इनमें इस सप्रिट की अनुमति नहीं देते। जो विशेष कर आपने इस एक्ट पर संशोधन प्रपोज किया है, इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तीन सरकारों में जब यह प्रस्ताव लाया गया था इसमें विस्तार से चर्चा करने के बाद, जब आदरणीय वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे उस वक्त भी यह पैडिंग रहा और रुका रहा। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य मंत्री रहे तो उस वक्त भी यह मामला

कैबिनेट में आया और फिर रुका रहा और हमारी सरकार के दौरान भी इसमें बहुत विस्तार से चर्चा होने के बाद यही पाया गया कि इसमें करने में जो कॉम्पलीकेशन्ज आ रही वह एक दिक्कत है। उसका रास्ता क्या निकल सकता है? उस रास्ते को निकालने के लिए मुझे लगता है कि बेहतरीन तरीका यही है कि आपने इसे, क्योंकि हमारी सरकार के समय इस एक्ट में अमेंडमेंट तक विषय पहुंचा नहीं था। यह कैबिनेट तक आया और फिर इस पर चर्चा हुई उसके बाद वहीं पर चर्चा करने के बाद पैडिंग/विदड्रॉ हो गया था। आप इसे ले करके आ ही गए हैं, हम इस मंशा के साथ की मदद का रास्ता निकाला जाए लेकिन इसमें जल्दबाजी न की जाए। इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। यही मेरा विनम्र निवेद करता हूं।

Speaker: Anybody else wants to speak. Shri Kewal Singh Pathania was with the list. This is the same Ceiling Act.

20.12.2024/1500/बी.एस./ए.एस.-2

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और यह जो राधा स्वामी संस्था है, हम हिमाचल प्रदेश और बाहर भी बहुत से इनके अनुयायी वहां जाते हैं और गरीब लोगों की आस्था भी इसके साथ जुड़ी है। हमारी भी यह मंशा है और सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों चाहते हैं कि हम इसकी मदद करें। परंतु जब यह एक्ट 1972 में एनेक्ट हुआ Land Ceiling and Land Tenancy Act उस वक्त स्वर्गीय हमारे प्रथम मुख्य मंत्री डॉ0 वाई0एस0 परमार जी थे और इसके ऊपर बहुत गहन विचार किया गया और यह एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस एक्ट को अपने राज्य में लागू किया। जो इसमें धाराएं रखीं, इसमें यही था कि जो कृषि योग्य भूमि है जो लैंड सिलिंग एक्ट के तहत आती है और उस वक्त जो लैंडलॉर्ड थे उन्हें मौका दिया गया कि आप अपने ऑब्जैक्शन फाइल करें। उस वक्त समय पर जिन्होंने ऑब्जैक्शन फाइल किए उससे 50 प्रतिशत भूमि उनके पास रह गई और बाकी जो जमीन थी वह पेरेंट्स के नाम चढ़ गई और वे मुजारा एक्ट के तहत मालिक बन गए और सिलिंग एक्ट में ऐसा हुआ कि उसमें उन्होंने

एक सीमा रखी कि इससे ज्यादा जमीन कोई भी नहीं रख सकता और उस वक्त यूनिट्स बने और जिन्होंने समय के ऊपर अपनी एप्लिकेसन्ज फाइल कर दी उतने यूनिट्स उन्हें मिल गए चाहे वे

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

20.12.2024/1505/AS/DT-1

कृषि मंत्री जारी...

लैंडलार्डज थे, राज-महाराजा थे हिमाचल प्रदेश में उनके परिवार थे। इस एक्ट को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और उस वक्त ये कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में जो एक्ट इनैक्ट हुआ है उसमें लोगों के अधिकार चले गये हैं। जो राज परिवारों से संबंध रखते थे या जो लैंडलार्डज थे वे कोर्ट गये। लेकिन उस समय हिमाचल प्रदेश की भूमि व्यवस्था को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय सुनाया कि क्योंकि हमारे जोत बहुत छोटे हैं, लैंड हाल्डिंग्ज बड़ी छोटी हैं, इसलिए दोनों जो एक्ट इनडक्ट किये गये हैं वह in the larger perspect लोगों की स्मॉल लैंड हाल्डिंग्ज की वजह से उच्चतम न्यायालय ने 1972 का जो लैंड हाल्डिंग्ज एक्ट था उसे अपहैल्ड कर दिया। बहुत से लोग उच्चतम न्यायालय में गये और उनकी अपील भी खारिज हो गई। इस कारण उस समय यह एक कांप्रेहेंसिव लॉ हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट किया गया। ये सही बात है कि बहुत सी एजेंसियां टिचर्ज के रूप में हिमाचल प्रदेश में आ रही हैं और पालमपुर में तो इस प्रकार की एजेंसियां बहुत ज्यादा आ गई हैं जैसे राधा स्वामी सतसंग वाले वहां पर गये हैं, बापू आशा राम, राम देव की पंतजलि ट्रस्ट वहां पर आ गया है। हमारे हिमाचल प्रदेश के एग्रो-क्लाइमेट को देखकर बहुत सारे रिलीजियस प्रीचरज हमारे राज्य में अपनी संस्था को स्थापित करने लगे हैं क्योंकि हमारे प्रदेश में भी बहुत से लोग ऐसी संस्थाओं के अनुयायी बन गये हैं। हमारे प्रदेश की बहुत सी भूमि ऐसी संस्थाओं को दी जा रही हैं हालांकि रजिस्ट्री उनके नाम पर नहीं हो रही है। वह हमारे लोगों को पकड़ते हैं और उनके नाम रजिस्ट्री करवाते हैं और जमीन खरीद कर अपनी संस्था का काम वहां शुरू कर देते हैं।

हम लोग भी बड़ी श्रद्धा के साथ उन लोगों को मिलने के लिए जाते हैं। अगर आप स्पेसिफिक एरियाज के लिए इस एक्ट को ला रहे हैं तब तो मंशा ठीक है, अगर इसे आप वाइड पसर्पेक्टिव में देखें तो बहुत सी एजेंसियां इसमें आ जाएंगी। जिससे आगे के लिए हिमाचल प्रदेश में जितनी भी जमीने हैं उस प्रभाव पड़ेगा। मैं देख रहा था कि इसका दायरा भी बढ़ाया जा रहा है जिसमें कुछ हैक्टयर तक रिलेक्शेसन दी जा सकती है। Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 के सैक्शन-118 में भी यही हुआ है। हमने तो 1972 का एक्ट तो इनैक्ट कर दिया लेकिन उसमें एक रोशनदान रख दिया और वह रोशनदान है सैक्शन-118, उस रोशनदान

20.12.2024/1505/AS/DT-2

के तहत अभी भी हम लोगों को परमिशन दे रहे और उसमें हमारी एग्रीकल्चर लैंड जा रही है। उसमें रजिस्ट्रीज यहीं के लोगों के नाम हो रही हैं। जितने भी लोग इस प्रकार की जमीन खरीद रहे हैं वह वहां पर होटल बना रहे हैं। जिस भूमि में वे होटल बना रहें हैं उस जमीन में उनकी ऑनरशिप नहीं है। वह किसी हिमाचली को पकड़ते और उसके नाम जमीन की रजिस्ट्री करवा लेते हैं। इस प्रकार से ये बेनामी रजिस्ट्रियां हो रहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इसके लिए भी हमें रास्ता निकाल लेना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इसके रीपर्कशन्ज अच्छे रहें।

Speaker: Only the view point of the Hon'ble Agriculture Minister, to the extent of the Land Ceiling Act, will be a part of the record rest will not be a part of the record. Now, Shri Ashish Butail will take part. Only please confine to the Section 5 which is being amended with a priviso, very specifically for 32 acres.

श्री आशीष बुटेल: अध्यक्ष महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सैक्शन-5 में जो अमेन्ड्मेंट यहां पर लाई गई है you have mentioned that to be confined with the Section-5 but I just want to take another point of view for this.

Hon'ble Speaker, Sir, there is a permissible area under Section-4 which is defined in this Act. जो पर्मिस्सिबल एरिया इस एक्ट के सैक्शन-4 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है और सैक्शन-5 में जिन-जिन को भी परमिशन मिली है सब के लिए वही पर्मिस्सिबल एरिया है। वहां पर 10 एकड़ से लेकर 15 एकड़ तक और फिर 30 एकड़ तक का वह पर्मिस्सिबल एरिया है जहां पर एग्रीकल्चर क्रोप एक साल में अगर दो बार होती है तो उसको 10 एकड़ का एरिया मिलता है, जहां पर एग्रीकल्चर क्रोप एक बार होती है उसको 15 एकड़ का एरिया मिलता है और ऑचर्ड या अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं उसको 30 एकड़ का एरिया मिलता है, जो कि आज इस अमेन्ड्मेंट में भी लिखा गया है कि जो मैक्सिमम एरिया हम चेंज करने के लिए दे रहे हैं या जो हम प्रोविजन सैक्शन-5 में अमेन्ड्मेंट के द्वारा ला रहे हैं, वह 30 एकड़ तक का है which is very much within the permissible area defined by this Act. तो मुझे ऐसा लगता है कि

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

20-12-2024/1510/ए.एस.-एन.जी./1

श्री आशीष बुटेल-------अंग्रेजी के पश्चात.....जारी

इसमें न केवल राधा स्वामि सतसंग को लेकिन सैक्शन-5 के अंतर्गत जितने भी एग्ज़म्पशन्ज़ हैं, जैसे religious activities, tea gardens etc., इन सभी को otherwise be permissible area by law आपको देना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी हम उसमें फॉल्टर कर रहे हैं। यदि इस ओर भी हम ध्यान दें तो मुझे लगता है कि सरकार बिलकुल ठीक एक्ट लेकर आ रही है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

20-12-2024/1510/ए.एस.-एन.जी./2

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां पर बिल नम्बर-42 पर विचार किया जा रहा है। इसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष और इनके अन्य साथियों ने अपनी-अपनी बात रखी है। केवल माननीय सदस्य, श्री आशीष बुटेल जी ने इस बिल का समर्थन किया है और बाकि साथियों ने एक ही सांस में they are blowing hot and cold ये (विपक्ष के सदस्यों को बोलते हुए) एक तरफ से कहते हैं कि मदद करो और दूसरी तरफ कहते हैं कि टांग खींचो। ये एक बात नहीं कहते, या तो कहो कि 'मत करो' और या कहो कि 'करो'। यदि आप दोनों तरह से बोलोगे तो कैसे काम होगा? ...(व्यवधान) मैं तो वही बोल रहा हूं जो आप लोगों ने कहा है। आपकी मंशा है कि पट व चित, दोनों आपकी ही हो। ऐसा कैसे चलेगा? आप लोगों ने जो बातें यहां पर रखी हैं मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। इस एक्ट के सैक्शन-5 में यह संशोधन लाया गया है। इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सैक्शन-5 में पहले से ही किस-किस को एग्ज़म्पशन्ज़ मिली थीं? इसमें बहुत सारी संस्थाओं को एग्ज़म्पशन्ज़ दी गई थीं। जिसमें सरकार, लोकल बॉडीज़, हाइडल प्रोजैक्ट्स, इंडस्ट्रीज़ और टी-एस्टेट्स शामिल हैं। वर्ष 2013 में एक संशोधन लाया गया था जिसके माध्यम से religious, spiritual or charitable institutions को भी इसमें एग्ज़म्पशन्ज़ दी गई थीं। इसी संशोधन के तहत बहुत सारे religious, spiritual or charitable institutions को फायदा हुआ था और उन्होंने 150 बीघा की सीमा से ज्यादा जमीनें अपने पास रखी हैं। जिस विशेष केस का जिक्र यहां पर किया जा रहा है और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इनकी सरकार के समय में भी ये संस्था मदद मांगने के लिए आई थी लेकिन ये मदद नहीं कर पाए। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि प्रदेश में अब व्यवस्था परिवर्तन की सरकार और इनकी मदद करने वाले आ गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ वर्ष पहले की बात करना चाहता हूं जब माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी प्रदेश के मुख्य मंत्री हुआ करते थे। उस समय इनकी (विपक्ष की ओर देखते हुए) सरकार ने कानून न लाकर केवल एक समान्य अधिसूचना के माध्यम से इसी संस्था को लैंड सीलिंग एक्ट में एग्ज़म्पशन दी थी। यदि आपको इसकी कॉपी चाहिए तो मैं

दे दूंगा। राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 2002 में इस प्रकार की एक अधिसूचना जारी की गई थी। हम तो कानून में संशोधन लाकर एग्ज़म्पशन दे रहे हैं लेकिन आपने तो अधिसूचना के माध्यम से एग्ज़म्पशन देकर कानून का उलंघन किया था। आप अधिसूचना जारी करके

20-12-2024/1510/ए.एस.-एन.जी./3

किसी भी कानून को नहीं बदल सकते। आपकी सरकार के समय में इस प्रकार का दुरुप्योग हुआ है। जिससे इस संस्था ने अनेक जमीनें अपने नाम पर कर ली हैं। आपके समय में यह सब गैर-कानूनी व असंवैधानिक तरीके से हुआ है। वर्ष 2013 में फिर से एक संशोधन लाया गया और इस संस्था के अलावा अन्य धार्मिक व चैरिटेबल संस्थाओं को भी 150 बीघा से अधिक जमीन रखने की अनुमति प्रदान की गई। उस दौरान एक शर्त भी लगाई गई थी कि 150 बीघा से अधिक जितनी भी जमीन रखी जाएगी उसे किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था को न बेचा और न लीज़ पर दिया जा सकेगा। उस अतिरिक्त जमीन को किसी भी प्रकार से ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। अब ये संस्था हमारे पास आई है और इन्होंने कहा कि हम चैरिटेबल काम कर रहे हैं और हमें इस प्रावधान में एग्ज़म्पशन चाहिए। उसी के तहत हमने एक संशोधन लाया है और विपक्ष के लोग चिंता कर रहे थे कि इसका दुरुप्योग नहीं होना चाहिए तथा इसका उपयोग अन्य संस्थाएं भी करेंगे तो

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

20.12.2024/1515/केएस/डीसी/1

राजस्व मंत्री जारी ---

हमने किसी एक संस्था को नहीं, जो भी चैरिटेबल, रिलिजियस या स्पिरिचुअल संस्था, जिसके पास यह जमीन है और जिसको नहीं बेचने का कानून है, उसको हम एक टाइम का एग्ज़म्पशन दे रहे हैं। उसके पास जितनी मर्जी जमीन हो, ...(व्यवधान) नहीं, फिर

आपने इसको ठीक से नहीं पढ़ा है। उसको हमने सिर्फ 30 एकड़ तक का, एक टाइम का, उसके पास तो पांच-छः हज़ार बीघा है, हम कह रहे हैं कि सिर्फ 30 एकड़ तक जमीन सिर्फ एक टाइम आगे दे सकते हैं और उसमें भी कंडिशन है और वह भी खाली होटल बनाने के लिए नहीं बेचेंगे। चेरिटेबल, स्पिरिचुअल और रिलिजियस परपज़ के लिए, अगर ये तीन चीजें नहीं होंगी तो यह जो जमीन आप ट्रांसफर करेंगे, वह सरकार को वापिस हो जाएगी चाहे हमने बिल्डिंग भी क्यों न बनाई हो। तो इसमें सभी बातों का ध्यान रखा गया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह अमेंडमेंट लाया गया है। मैं समझता हूं कि यह नियमों के विरुद्ध नहीं है। हमने नोटिफिकेशन से नहीं किया है। हम तो अमेंडमेंट द्वारा ला रहे हैं और जो माननीय सदस्यों ने शंकाएं ज़ाहिर कीं हैं, मैं समझता हूं कि मैंने उसका जवाब दे दिया है। तो मैं निवेदन करुंगा कि इसको पास किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दे दिया है। माननीय कृषि मंत्री ने भी कहा कि एक परपज़ के लिए लाए हैं। श्री रणधीर शर्मा जी और माननीय विपक्ष के नेता पूर्व मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, भोटा के संदर्भ में जो विरोध कर रहे हैं वह जायज नहीं है। ...(व्यवधान) सलैक्ट कमेटी को भेजने की जो ये बात कह रहे हैं और इस प्रकार का विरोध करके ...(व्यवधान) ये विरोधी हैं।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि जो राधा स्वामी चेरिटेबल ट्रस्ट है, जो हॉस्पिटल के लिए प्रदर्शन कर रहा है। ...(व्यवधान) He is saying something else. You are taking it otherwise. ये बोल रहे हैं कि राधा स्वामी चेरिटेबल ट्रस्ट जो वहां पर प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है,उसको कंसिडर करते हुए। ...(व्यवधान) कृपया बैठिए। मुख्य मंत्री जी, आप ज़रा क्लैरिफाई कर दीजिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं? ...(व्यवधान)

20.12.2024/1515/केएस/डीसी/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह विरोध नहीं तो क्या है? हम राधा स्वामी सत्संग ब्यास को चैरिटेबल के लिए जगह के लिए कानून ला रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि राधा स्वामी को हम हिमाचल बेच रहे हैं। अध्यक्ष जी, इनकी बात को आप रिकॉर्ड में लीजिए। ये बेचने की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

Speaker : Let him complete, thereafter I will give you chance to speak. ...(Interruption).

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई भी लाइन गलत नहीं बोली है। हिमाचल बेचने की बात जय राम ठाकुर जी ने की है। आप कह रहे हैं हिमाचल बेचने की बात। आपने कहा हिमाचल बेच रहे हैं। ...(व्यवधान) हिमाचल बेचने की बात रणधीर शर्मा जी कर रहे हैं।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप स्थिति स्पष्ट कर दो। ...(Interruption). Please let him speak. Please sit down. ...(Interruption).

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाह रहा हूं। हम न हिमाचल के हितों को बेच रहे हैं। सिर्फ एक चेरिटेबल संस्था राधा स्वामी सत्संग ब्यास है जिसका कि रणधीर शर्मा जी और जय राम ठाकुर जी विरोध कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूं। ...(व्यवधान) मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाजपा की करनी ओर कथनी में कितना अंतर है?

Speaker : Nothing has come on the record. ...(Interruption)

मुख्य मंत्री : इन्होंने कह दिया। इन्होंने कह दिया कि सलैक्ट कमेटी को दो। ...(व्यवधान)

Speaker : But they have not opposed it.. ...(Interruption).

मुख्य मंत्री : इन्होंने कह दिया। इन्होंने कह दिया कि सलैक्ट कमेटी को दो। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष अ0व0 की बारी में...

20.12.2024/1520/av/डी सी/1

मुख्य मंत्री ------- जारी

...(व्यवधान) यह विरोध बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इनकी करनी और कथनी में अंतर है। इनके भाजपा के विधायक भोटा अस्पताल के बाहर बैठते हैं और यहां बैठकर बोलते हैं कि सलैक्ट कमेटी को दिया जाए। ...(व्यवधान) मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को एक रुपये स्कवेयर फुट के हिसाब से बद्दी में जगह दे दी गई। एक चैरिटेबल राधा स्वामी सत्संग ब्यास जो हमारे हमीरपुर के गरीब लोगों की सेवा करता है, उसको सलैक्ट कमेटी में लाने के लिए बोल रहे हैं। मैं यहां जो कह रहा हूं वह बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। आप लोग दो मुंही बात करते हैं। वहां भोटा अस्पताल के बाहर दो विधायक इसलिए बैठे कि भोटा अस्पताल को खोल दिया जाए। हम चाहते हैं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास का होस्पिटल खुलना चाहिए। यहां आकर विरोध करना और इसको सलैक्ट कमेटी को देने के लिए कहना, यह किस प्रकार की नीयत है? जमीन-जायदाद यहीं रह जाएगी परंतु जो नेक काम करने वाला व्यक्ति व संस्था है, उस राधा स्वामी सत्संग ब्यास होस्पिटल भोटा को हम कानून के दायरे में लेकर आए हैं। हम किसी उद्योगपति को एक रुपये स्कवेयर फुट के हिसाब से जमीन देकर पैसा कमाने के लिए इसे लेकर नहीं आए हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले अपना पैसा लगाते हैं। ...(व्यवधान) मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि इनको यह तकलीफ बोलने से पहले होनी चाहिए थी, जो यहां पर श्री जय राम ठाकुर जी और श्री रणधीर शर्मा जी बार-बार कह रहे थे कि सलैक्ट कमेटी को भेजो। ...(व्यवधान) यह एक प्रकार से विरोध ही होता है। ...(व्यवधान) अब मुझे कह रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है और मैं हिमाचल का हित बेच रहा हूं। ...(व्यवधान) आप मुझे कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ आ रहा है और मैं तभी कह रहा हूं। आप समझिए, यह एक सोशल ऑर्गेनाईजेशन है। यह संस्था गरीब व आम लोगों की मदद करती है। ...(व्यवधान) आपने बड़े-बड़े उद्योगपतियों को 600 बीघा जगह एक रुपये में दे दी है। इस संस्था को तो लोगों ने अपनी भावना से जगह दान की है। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार की मंशा सच्ची व नीयत

अच्छी है। हमारा यह ईमानदार प्रयास है तथा हमने यह किसी एक के लिए नहीं लाया है। हम उन संस्थाओं का सम्मान करते हैं जोकि नेकी के काम करती हैं। वह संस्था वहां होस्पिटल चलाकर गरीब व दीन लोगों की सेवा तथा दुःख बांटने का कार्य कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह विरोध करने वाले

20.12.2024/1520/av/डी सी/2

व्यक्ति नहीं है। यहां व्यवस्था परिवर्तन करने का दौर चल रहा है। अगर भविष्य में और भी व्यवस्था परिवर्तन करनी पड़ी तो हम हिमाचल के हितों को सर्वोपरि रखकर वह व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी, बोलिए।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी कई बार विधायक रह चुके हैं और एक बार हम इकट्ठे भी विधायक रहे हैं। उस दौरान जब किसी बिल पर संशोधन आते थे तो माननीय मुख्य मंत्री जी उस वक्त विधायक होते हुए उस पर बोलते थे। उस दौरान इन्होंने भी बहुत बार कई बिलों को सलैक्ट कमेटी को भेजने की बात की है। हम सभी विधायक जानते हैं कि सलैक्ट कमेटी को भेजने का मतलब उसका विरोध करना नहीं होता। मुख्य मंत्री जी, आप जानबूझकर इस कार्य को राजनैतिक रंग दे रहे हैं।

टी सी द्वारा जारी

20.12.2024/1525/टी0सी0वी0/एच0के0-1
श्री रणधीर शर्मा... जारी

हमने जो कहा वह स्पष्ट कहा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास की जमीन को ट्रांसफर करने के हम विरोधी नहीं हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। हमने तो यह कहा कि आपने जो यह अमेंडमैंट लाई है, यदि यह ओपन हो जाएगी तो इसका दुरुपयोग होगा। उसकी पुष्टि राजस्व मंत्री जी ने कर दी है कि इसको कोई भी कर सकता है। इन्होंने कहा कि कोई भी

संस्था इसको कर सकती है। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है और मुख्य मंत्री जी को इस पर राजनीतिक स्कोर सैटल करना भी नहीं चाहिए। हम प्रदेश-हित में सोच रहे हैं और धार्मिक संस्था के हित की बात सोच रहे हैं। इसलिए हमने कहा था कि आप सलैक्ट कमेटी बनाएं और हो सकता है कि इससे बैटर सॉल्यूशन निकल आएं जिससे हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी न हो, कोई नुकसान न हो। इसलिए मेरा आग्रह है कि मुख्य मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी, मेरा नाम और श्री जय राम ठाकुर जी का नाम लिया है कि ये विरोध करते हैं। इन लाइनों को कार्यवाही से निकाला जाए क्योंकि यह विरोध नहीं है। इसमें हमारा भी समर्थन है लेकिन हम चाहते हैं कि इससे हिमाचल प्रदेश का हित सुरक्षित रहे। हम भी विधायक हैं और हमारे विचार भी सुनें जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये हमारे विचार सुनें बिना ही बहुमत में होने पर बिल पास करते जाएं।

20.12.2024/1525/टी0सी0वी0/एच0के0-2

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, राधा स्वामी सत्संग के ऊपर अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि दो विधायक वहां धरने पर बैठे थे। यह बात गलत है। उस दिन हमीरपुर में हमारी मीटिंग थी और माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी बिलासपुर से आ रहे थे। हम इनको रसीव करने के लिए वहां पर गए थे और वहां राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे लोग इक्ट्ठा हुए थे। माननीय सदस्य आने में कुछ लेट गए और हम उस हॉस्पिटल की अथोरिटी के पास गए कि आखिर में मसला क्या है तो उन्होंने कहा कि 20 तारीख को यह हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। उस हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारी जनता खड़ी थी तो हमने उनसे भी पूछा कि आप लोग यहां पर क्यों एकत्रित हुए हैं तो उन्होंने कहा कि हम मुख्य मंत्री जी से मिले थे और हमने उनके समक्ष अपनी बात रखी है। माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार जी भी उस हॉस्पिटल की अथोरिटी से मिलकर आए थे। हमने हॉस्पिटल के बाहर जो जनता खड़ी थी उनसे कहा कि आपने यदि अपनी बात रखनी है तो आप साइड में खड़े होकर अपनी बात रखें। हमने सिर्फ वहां पर इतनी-सी बात रखी थी

लेकिन हमने वहां पर किसी प्रकार का कोई धरना नहीं दिया और न ही जनता को उकसाया। हमीरपुर के अधिकतर लोग उस सत्संग सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और ये सारे लोग वहां पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं। अगर हम इत्तफाक से वहां चले भी गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमने उनको उकसाया या कोई धरना दिया। हमने तो उनको यह भी कहा कि ऑर्डिनेंस लाकर इस मसले का हल किया जा सकता है। हमने बस इतनी-सी बात कही थी।

20.12.2024/1525/टी0सी0वी0/एच0के0-3

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है लेकिन जिस तरह से इनका काम करने का तरीका है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आप अपनी पार्टी के अंदर इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं लेकिन विपक्ष के ऊपर इस तरह का दबाव और परिस्थितियां पैदा नहीं कर सकते। हम अपनी ओपीनियन देने के लिए स्वतंत्र हैं। हमने अपनी भाषा में वही कहा है जो आपने सुना है और रिकॉर्ड में गया है। क्या हमने विरोध शब्द कहा है? मुख्य मंत्री जी ने जानबूझकर इस विषय को उधर से रिकॉर्ड में लाने की कोशिश की है। इसमें भी आप राजनैतिक रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहे हैं जोकि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम कह रहे हैं कि हमारी उस संस्था के प्रति श्रद्धा और हमारी आस्था है।

एन0एस0 द्वारा जारी

20-12-2024/1530/एन0एस0-एच0के0/1

श्री जय राम ठाकुर----- जारी

हमने कहा कि मदद करने का रास्ता निकालना है और यह जरूरी नहीं है कि आज ही इसी वक्त निकालना है। आओ, हम मिलकर बैठते हैं। सलैक्ट कमेटी के लिए कितने सारे

बिल इस सदन में गए हैं। इस कमेटी में असंख्य बिल गए हैं। यहां पर आराम से चर्चा करके दोनों पक्ष बैठ करके रास्ता निकालते हैं। जब साथ बैठते हैं और चर्चा होती है तो रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। लेकिन यही करना कि मैं ही ठीक हूं और यही ठीक है तो यह सोचना गलत है। क्या कानूनी तौर पर यह सही है? यह ठीक है कि माननीय नेगी जी ने पिछली सरकार व नोटिफिकेशन का जिक्र किया तो उसके कारण वॉयोलेशन्ज हुई हैं। वह सब कुछ रिकॉर्ड में हैं और उसका हिस्सा है। उसको न आप छुपा सकते हैं और न हम छुपा सकते हैं। लेकिन फिर भी एक मन सबका यही है कि न आपने बोला और न हमने बोला। चलो, इस संस्था के प्रति हमारा सम्मान है। इसीलिए हम आज ऐसा कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत कीजिए। हो सकता है कि जो रास्ता आपने निकाला है उससे और बेहतर रास्ता निकल सके। इसलिए आप इसे सलैक्ट कमेटी को भेजिए। जहां हम चिंतन और मंथन करके रास्ता निकालें। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक संस्था के लिए एक्ट प्रदेश में लाया जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर एक्ट बनता है तो पूरे प्रदेश के लिए बनता है। आप बाकी संस्थाओं को उसमें से कैसे बाहर निकाल पाएंगे? अध्यक्ष महोदय, आजकल चेरिटेबल अस्पतालों की संख्या कम नहीं है और ये संख्या बहुत ज्यादा है। आप पता कीजिए कि कांगड़ा व हमीरपुर में कितने ज्यादा चेरिटेबल अस्पताल हैं। वहां पर कई संतों के आश्रम व डेरे बन गए हैं। जब यह दौर शुरू होगा तो बहुत सारी चीजें उसमें होंगी। आप उनको कैसे करेंगे। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। इसलिए हम इसकी गंभीरता को समझते हैं। राजनैतिक दृष्टि से बातें कहना और जबरदस्ती लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। फिर आप कोशिश करते रहिए। इस तरह से हमने नहीं किया है और न ही बोला है, उसको आप भी नहीं बोल सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इस पर विचार कीजिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि संस्था है, संगठन है लेकिन उनसे ऊपर मेरे लिए प्रदेश है और प्रदेश हित है कि नहीं यह महत्वपूर्ण है। क्या इसमें प्रदेश हित है? इस पर विचार करने की जरूरत है। प्रदेश हित सर्वोपरि है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप तुलना नहीं कर सकते हैं।

20-12-2024/1530/एन0एस0-एच0के0/2

Speaker : The things which are related to the Bill will be part of the record rest will not.

श्री जय राम ठाकुर : इसके बावजूद अभी हम इस विषय पर बात कर रहे हैं और पूरे आदर, सम्मान व श्रद्धा के साथ संस्था के प्रति भावनाएं व्यक्त करते हुए मेरा दोबारा से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप इसे सलैक्ट कमेटी को भेजिए। फिर हम इस पर विचार करेंगे और हो सकता है कि इससे बेहतर रास्ता निकल आए। इस बेहतर रास्ते से न आप पर और न किसी और पर इस तरह की अंगुली उठे जिस तरह की अंगुली नेगी जी पूर्व की सरकार पर उठा रहे हैं। उस तरह की अंगुली नहीं उठनी चाहिए। सिर्फ एक ही वजह है कि यह संस्था धार्मिक संस्था है और इसके प्रति आदर है, इस कारण से मामला नहीं वॉयोलेशन रिकॉर्डिड है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको सलैक्ट कमेटी को भेजें और जबरदस्ती न की जाए।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

20.12.2024/1535/RKS/वाईK/-1

श्री जय राम ठाकुर ...जारी

जिद्द किसी चीज के लिए अच्छी नहीं होती है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। आदमी का स्वभाव है कि इसी वक्त चाहिए और यह अच्छी चीज नहीं है। आप कृपया सब्र कीजिए। जो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आपने विरोध के शब्द कहे हैं, वे हमने नहीं कहे हैं। आप कृपया इन शब्दों को एक्सपंज करवाएं।

मुख्य मंत्री : ये कह रहे हैं कि जो शब्द मैंने कहे हैं उन्हें आप एक्सपंज करें।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमने विरोध नहीं किया है that should not be a part of the record. That will not be a part of the record. मुख्य मंत्री जी अब आप बोल सकते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी नीयत साफ है। हमने हमेशा हिमाचल का हित सर्वोपरि रखा है। हम हिमाचल के हितों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हिमाचल के हर हित के लिए हमारी सरकार लड़ाई लड़ेगी। मैंने अपने शब्द प्रूडेंटली थिंकिंग के साथ कहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस अमेंडमेंट को सलैक्ट कमेटी को भेज दें। यह एक किस्म का विरोध ही होता है। यह अनदेखा विरोध है ताकि यह मामला कई सालों तक सलैक्ट कमेटी में चलता रहे। राधा स्वामी सत्संग ब्यास बहुत बड़ी संस्था है। यह एक अच्छी संस्था है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकर इस अमेंडमेंट का समर्थन करना चाहिए। हम इस अमेंडमेंट का समर्थन कर रहे हैं। जो भी संस्था चैरिटेबल का काम करेगी उसके साथ हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री जी क्या आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे?

20.12.2024/1535/RKS/वाईK/-2

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, शायद यहां पर बहुत सारे माननीय सदस्य इस संस्था से जुड़े होंगे लेकिन मैं किसी सत्संग का सदस्य नहीं हूं। आज हम जो कानून बदलने जा रहे हैं वह केवल राधा स्वामी सत्संग ब्यास के लिए ही नहीं है। अगर आप इस बिल को देखें तो इसमें जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हें हमने सैक्शन-5 के तहत छूट दी है। उन्हें हमने 150 बीघा से ऊपर जमीन चैरिटेबल, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के लिए दी है। उससे आगे वे उस जमीन पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर श्री जय राम ठाकुर जी आपने विरोध नहीं किया है तो फिर बहस करने की क्या आवश्यकता है। आप हां में हां मिलाइए और यह बात खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कहीं भी दुरुपयोग नहीं होने वाला है क्योंकि हमने इसमें 150 बीघा से ऊपर की शर्त रखी है। अगर यह जमीन चैरिटेबल और धार्मिक कामों के लिए उपयोग नहीं होगी तो यह वापिस सरकार के अधीन आ जाएगी। मैंने आपकी शंका का इसी बिल में समाधान कर दिया है इसलिए मेरा आग्रह है कि बिल नं0 42 को पारित किया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024(2024 का विधेयक संख्यांक 42) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 42) को पारित किया जाए।

20.12.2024/1535/RKS/वाईK/-3

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 42) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 42) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 42) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

"हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 42) पारित हुआ"

श्री बी.एस. द्वारा जारी

20.12.2024/1540/बी.एस./एच.के.-1

अध्यक्ष जारी...

मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं कांग्रेस के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ध्वनि मत से राधा स्वामी सत्संघ ब्यास का जो चैरीटेबल संस्थान चल रहा है उसके लिए भूमि स्वीकृत करवाने का कानून पास किया। मुझे दुःख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, कि उन लोगों ने हां की हां न कह कर दो मुंही बात की है। अगर वे विरोध भी नहीं करते और हां भी कर लेते तो अच्छा होता। इससे भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी का पता लग रहा है। विपक्ष के जो 28 विधायक यहां पर बैठे थे उन्होंने इस बिल का पक्ष नहीं लिया है और एक किस्म से चुप रह कर विरोध किया है। हिमाचल प्रदेश के सभी विधायकों को इसका समर्थन करना चाहिए था। यही में कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसका समर्थन नहीं किया, यह बड़े दुःख की बात है, धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 41)पर विचार किया जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 41) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 41)पर विचार किया जाए।

माननीय सदस्य इस पर बोल सकते हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री इसका उत्तर देंगे। मेरे पास माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी का संशोधन आया है। वैसे तो संशोधन within parameters नहीं है। But I will allow the Hon'ble Member Shri Randhir Sharmaji to spell out his viewpoint.

20.12.2024/1540/बी.एस./एच.के.-2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 41) लाई है, जो धारा-89 में संशोधन ले करके आई है। यह जिला परिषद के वॉर्ड होते हैं, उनके पुनर्गठन के बारे में है। सरकार ने कहा है कि इनका पुनर्गठन करने के किए जो अभी तक जिला परिषद के वॉर्ड 25 हजार से ऊपर हैं उनमें पुनर्गठन के बाद 25 हजार से कम आबादी का प्रावधान किया गया है। मेरा मात्र इतना कहना है कि 25 हजार से कम इतनी टर्म है कि फिर पांच हजार पर भी वॉर्ड बन सकता है और 10 हजार पर भी वॉर्ड बन सकता है। इसलिए इसमें मिनिमम जनसंख्या क्या होगी? अगर आप 25 हजार को कम करना चाहते हैं तो 20 या 15 हजार

की संख्या रखें। अन्यथा इसमें 5 और 10 हजार में भी वॉर्ड आ जाएंगे। मेरा सिर्फ यही संशोधन है कि इसमें कोई मिनिमम संख्या रखनी चाहिए, मेरा इसमें यही कहना है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी जो एक्ट में प्रावधान है वह 25 हजार की जनसंख्या से ऊपर का है। परंतु ऐसा देखा गया है कि जनजातीय क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, हालांकि उसमें जनसंख्या कम है परंतु भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार एक-एक पंचायत का आपको पता है और आपके क्षेत्र में भी है। वहां पर पैदल दो-दो घंटे लगते हैं। जिला परिषद का जो वॉर्ड होता है वह तकरीबन 14-17 पंचायतें एक वॉर्ड के अंदर रहती हैं। परंतु कई स्थानों पर भौगोलिक परिस्थिति बहुत अलग रहती है। इसी कारण इसमें संशोधन किया जा रहा है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन्हें देख करके यह किया जा रहा है और ऐसा भी नहीं है कि 5-5 हजार जनसंख्या में इसे बनाया जा रहा है। यह बात भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। क्योंकि वित्तीय स्थिति को देखते हुए भी मैं जिम्मेवारी के साथ बात कर रहा हूं। लेकिन कुछेक क्षेत्र ऐसे हैं कि वहां पर यह जरूरी है। क्योंकि वे क्षेत्र बिल्कुल अलग-थलग पड़ते हैं। उसी मंशा से इसे

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

20.12.2024/1545/dt/ag-1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी...

25 हजार से नीचे ला रहें इसको हम कंसट्रेन नहीं कर सकते की आप 25 हजार से नीचे 5 हजार लिखें या 10 हजार लिखें, भौगोलिक परिस्थति को देखते हुए हम इस एक्ट में एन्हांसमेंट कर रहे हैं।

श्री रणधीर शर्मा : जैसे मंत्री महोदय ने ट्राइबल एरिया की बात कही लेकिन हमारे क्षेत्रों में भी जिला परिषद के कई वार्ड बड़े हो गये हैं। ये वार्ड बहुत साल पहले बने थे अब आबादी ज्यादा हो गई है। मंत्री महोदय आप पूरे प्रदेश में रीऑर्गनिजेशन अलाउ कीजिए। मेरा ये

कहना है कि किसी क्षेत्र के लिए मिनिमम आबादी क्राइटेरिया तो फिक्स कीजिए। जैसे 1000 आबादी होने पर ही एक पंचायत का गठन किया जाता है। अगर आप इसको ओपन छोड़ेंगे तो फिर इसमें कोई लेवल नहीं रहेगा। मेरा इतना ही कहना है। मैं रीऑर्गनिजेशन के खिलाफ नहीं हूं। आप रीऑर्गनिजेशन कीजिए परंतु इसके लिए आप मिनिमम आबादी का क्राइटेरिया फिक्स करेंगे तो अच्छा रहेगा।

Speaker : This is related to the backward panchayats. अब इस अमेन्ड्मेंट में माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल अपने व्यू प्वाइाट रखेंगे।

श्री त्रिलोक जम्वालः अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने कहा इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जिसकी बात माननीय मंत्री जी कर रहे हैं वह तो फिक्स होना ही चाहिए। जब ये 25000 से ऊपर था तो ये पूरी स्टेट के लिए था लेकिन अब इसे बिल्कुल खुला छोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इसे 15000 कर दीजिए या 12000 कर दीजिए लेकिन इसमें एक लिमिट तो रखिए । क्या ये केवल ट्राइबल एरियाज के लिए है या जो बैक्वर्ड पंचायतें अन्य जिलों में हैं उनके लिए भी है? मान लीजिए एक वार्ड में 8 बैक्वर्ड पंचायतें हैं और 8 ओपन हैं, तो क्या आप उन 8 पंचायतों के लिए भी ये प्रावधान करेंगे? आप बैक्वर्ड शब्द लिख रहें हैं लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया इसके लिए नहीं है तब तो सारी पंचायतें इसमें फॉल करेंगी, फिर तो वह सारी पंचायतें भी कंसीडर करनी पड़ेंगी। इसलिए हमारी पंचायते भी जिला परिषद वार्ड वाइज जो बैक्वर्ड पंचायतें हैं उसमें चाहे 2 पंचायतें या 3 पंचायतें है, वह आएंगी?

20.12.2024/1545/dt/ag-2

Speaker: Provided also that the State Government may after having due regards to the geographical location - firstly geographical location - lack of means and transportation and communication and the administrative convenience notify a territorial constituency for backward gram panchayat

having a population less than 25000. This is very specific. Anyway, Hon'ble Minister.

Rural Development and Panchayati Raj Minister: Sir, I will repeat myself. माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल जायज है। इसमें ट्राइब और बैक्वर्ड शब्द अलग-अलग है भौगोलिक स्थिति को देखते हुए and it is need based also पर बैक्वर्ड पंचायत शब्द को भी हम इसमें इंन्क्लयूड कर रहे हैं। हम लोग यह पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए मागेंगे। फिर need base नोटिफीकेशन करेंगे। बाकि जो पोपुलेशन वाला क्राईटेरिया जो माननीय सदस्य बोल रहें कि 25000 से नीचे ये हम रुल्ज में भी रखेंगे।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने काफी इग्जॉस्टिड रिप्लाई दे दिया है। अभी मैं डोडरा-क्वार गया तो डोडरा-क्वार का जिला परिषद वार्ड में जनसंख्या बहुत कम है। लेकिन वह वार्ड 100 किलोमीटर का है और आने-जाने में लगभग 6-7 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र हैं इसलिए यहां ऐसी परिस्थितियां हैं क्योंकि यहां पर कहीं बिग हिमालय हैं, कहीं मीड हिमालय हैं और कहीं शिवालिक हिल्स हैं, तो हमें भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए भी कार्य करने पड़ते हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा ये जो बिल लाया गया है ये इस संदर्भ में लाया गया है ताकि डेमोक्रेटिक प्रोपोजिशन सही ढंग से हो।
अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (**संशोधन**) **विधेयक, 2024** (20**24 का विधेयक संख्यांक 41**)पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (**संशोधन**) **विधेयक, 2024** (20**24 का विधेयक संख्यांक 41**)पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

20.12.2024/1545/dt/ag-3

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

पारण

अध्यक्ष : अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 41)को पारित किया जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 41)को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024

(2024 का विधेयक संख्यांक 41) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 41)को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 41)पारित हुआ"

श्री एन.जी. द्वारा जारी

20-12-2024/1550/ए.जी.-एन.जी./1

बिल नम्बर-41 पारित होने के पश्चात.....जारी

नियम-102 के अंतर्गत सरकारी संकल्प

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मंत्री नियम-102 के अंतर्गत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 (एफसीए) में संशोधन कर आपदाओं में खेती योग्य भूमि बह जाने पर तबादले में सरकारी वन भूमि व लघु एवं सीमांत किसानों को 10 बीघा तक सरकारी वन भूमि खेती करने हेतु प्रदान करने का आग्रह करता है।"

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 (एफसीए) में संशोधन कर आपदाओं में खेती योग्य भूमि बह जाने पर तबादले में सरकारी वन भूमि व लघु एवं सीमांत किसानों को 10 बीघा तक सरकारी वन भूमि खेती करने हेतु प्रदान करने का आग्रह करता है।"

माननीय सदस्य इस पर चर्चा कर सकते हैं और माननीय राजस्व मंत्री उसका उत्तर देंगे। मेरे पास एक सूची आई है और उसके अनुसार माननीय कृषि मंत्री, श्री चन्द्र कुमार जी इस चर्चा की शुरूआत करेंगे।

20-12-2024/1550/ए.जी.-एन.जी./2

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप इस विधान सभा में इस प्रकार के कई संकल्प लेकर आए हैं। यह एक्ट वर्ष 1980 में बना था और भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। हम हर बार किसी-न-किसी फोरम में इस विषय पर प्रस्ताव या चर्चा लेकर आते हैं और उसे पारित करके भारत सरकार को प्रेषित करते हैं। यह एक्ट तभी रिपील होगा जब संसद द्वारा इसे रिपील किया जाएगा। वर्ष 1980 का एक्ट बहुत comprehensive एक्ट है। हमारी वन सम्पदा बहुत खुली है और इस पर अनेक तरह की एंक्रोचमेंट्स हो रही थी। भारत सरकार ने जिस मंशा के साथ इस एक्ट को इनैक्ट किया उससे यह एक्ट देश की सभी स्टेट्स को मानना पड़ेगा। वन मंत्री के तौर पर मुझे भी बहुत बार बैठकों में इस विषय को रखना पड़ता था कि हमारी छोटी सी स्टेट है और हमने सड़कें भी बनानी है तथा अन्य विकास कार्यों को भी करना है। इस संदर्भ में उन्होंने सारे हिन्दुस्तान में 2-3 सैंटर्स खोले और हमारा सैंटर चण्डीगढ़ में खोला गया। उस सैंटर में हिमाचल प्रदेश,

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

20.12.2024/1555/केएस/एएस/1

कृषि मंत्री जारी....

पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में रिलेक्सेशन के लिए जो-जो भी केस जाते थे और पूरे के पूरे केसिज़ तैयार करके वहां के सरकारी कर्मचारी जो वहां पर लगाए गए थे, कई बार हमारे यहां के फोरैस्ट ऑफिसर भी उन कमेटियों के मैम्बर रहे हैं, उसको देखकर वे रिलेक्सेशन दे देते थे और कई बार कमेटी विज़िट भी करती थी। तो यह एक रिलेक्सेशन

उन्होंने दी थी कि जिन-जिन राज्यों में इस प्रकार के कोई मसले हैं, चाहे वह सड़क बनाने का है, हाइडल पावर प्रोजैक्ट बनाने का है या इंडस्ट्रीज़ का कोई डवलपमेंटल वर्कस ले जाने का है तो उसकी रिलेक्सेशन के लिए आपको उस कमेटी के समक्ष अपने दस्तावेज ले कर जाने पड़ते थे और वहां से रिलेक्सेशन हो जाती थी। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने हमारे ऑफिस को देहरादून शिफ्ट कर दिया। वहां पर भी हमारे आई.एफ.एस. ऑफिसर श्री शर्मा जी उस कमेटी के हैड रहे हैं। उसके बाद दोबारा हमने रिप्रेज़ेंट किया तो वह दोबारा यहां चंडीगढ़ में ही वह ऑफिस उन्होंने खोल दिया। तो यह जो एक्ट है, अगर इसमें कोई अमेंडमेंट्स लानी हैं तो सैंटर का 1980 का एक्ट जो है, सैंटर की पार्लियामेंट में ही वह रिलेक्सेशन मिल सकती है। यहां से तो आपको छोटी-मोटी क्लीयरेंसिज़ मिल जाएंगी। वह इसीलिए रखे थे कि स्टेटों के मसले बड़े उलझे हुए थे और उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये ऑफिस यहां खोले थे। अगर हम संशोधन लाने के लिए रिकमेंड भी करें तो वे संशोधन नहीं लाते हैं। जब तक यह 1980 का एक्ट रिपील नहीं होगा तो हमें वहां खुले रूप से कोई परमिशन नहीं मिल सकती। या तो हमारे पार्लियामेंट के चुने हुए सदस्य इसको वहां पुट अप करें, इस एक्ट को रिपील करने के लिए अपील करें लेकिन यह होगा नहीं। मैं यही चाहता हूं कि जो कुछ रिकमेंडेशन्ज़ हमारी वहां पर जाएं, चाहे वह फोरैस्ट का डिपार्टमैंट है, पी.डब्ल्यू.डी. या आई.पी.एच. का डिपार्टमैंट है या दूसरे सम्बन्धित डिपार्टमैंट्स हैं, अपने पूरे कागज़ात बनाकर रिकॉर्ड टाइम पर अपने ऑब्जैक्शन उस कमेटी को अगर फाइल करें तो वहां से बहुत सी क्लीयरेंसिज़ मिलती हैं। हमने सड़कों तथा पानी की स्कीमों की क्लीयरेंस करवाई है। उस वक्त एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी मैं ही था तो हमारे पास जितने प्रोजैक्ट लगे हैं, हाइडल के जितने प्रोजैक्ट्स हैं, उनकी क्लीयरेंस भी यहीं मिल जाती थी और अगर कोई कम्पलिकेटिड केस होते थे जैसे मान लो वाइल्ड लाइफ के क्लीयरेंस के केसिज़ होते थे वे वाइल्ड लाइफ बोर्ड में जाते थे। और वहां से कुछ

20.12.2024/1555/केएस/एएस/2

ऑब्जैक्शन्ज़ लगते थे जिनको रैक्टिफाई करके हम भेजते थे तो वहां से क्लीयरेंस मिल जाती थी। यह मंशा तो ठीक है लेकिन हम इस प्रकार से भारत सरकार से रिकमेंडेशन करेंगे, चाहिए तो यह कि हमारे पार्लियामेंट के मैम्बर इसको वहां उठाएं ओर इस एक्ट को रिपील करें ताकि हमारे डवलपमेंट वर्कस के ऊपर कोई प्रश्नचिन्ह न लगे। थोड़ी-बहुत अगर हमें रिलेक्सेशन मिलती है तो चंडीगढ़ में जो कमेटी बैठी हुई है, वही रिलेक्सेशन देती है। यह मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष : मेरी रिक्वेस्ट है, before deliberating एक तो इसका कंटेंट पढ़ लें. हमने संशोधन मांगा है और हम इस असेंबली से रिकमेंड कर रहे हैं to the Lok Sabha that in view of our exigencies केंद्र सरकार इसमें संशोधन करें. जो माननीय मंत्री जी ने एक्सप्लेन की है। इसलिए we are not to go beyond that कि एक्ट रिपील हुआ है। रिपील की बात ही नहीं हो रही है। We are just asking for the amendment ताकि हमारे हिमाचलियों के हित उस अमेंडमेंट से प्रोटैक्ट हो सके। The other speakers, be confined to this content only. Hon'ble Education Minister you please speak.

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको पुनः बधाई देता हूं कि आज हमारी हिमाचल प्रदेश विधान सभा में भी ज़ीरो आवर प्रारम्भ हुआ है। एक और इतिहास आपने इस गौरवमयी विधान सभा में आज के दिन प्रारम्भ किया। साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण संकल्प यहां पर हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी ने नियम-102 के तहत लाया है, जिसके तहत हाउस के द्वारा केंद्र से पुरजोर सिफारिश करनी है कि नियम 1980 के तहत एफ.सी.ए. एक्ट के तहत, जिस तरह से पूरे प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

20.12.2024/1600/av/एएस/1

शिक्षा मंत्री ------- **जारी**

और आए दिन हमें विशेषकर जो हमारे विस्थापित लोग होते हैं उनको रीहैब्लिटेट करने में जो समस्याएं आती हैं, उसका एक समाधान केंद्र सरकार के माध्यम से निकले तो मैं उसके

लिए माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं। इन्होंने माननीय सदन में यह संकल्प प्रदेश हित में लाया है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमारा कैलेमिटी प्रोन प्रदेश है। यहां पर आये दिन प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं और इसका सबसे बढ़ा उदाहरण वर्ष 2023 था। उस समय प्रदेश की लगभग 13 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ था। उस समय लगभग 500 से अधिक बहुमूल्य जानें गईं तथा हजारों की संख्या में लोग बेघर हुए। मैं समझता हूं कि हम उसमें एक तरह से लाचार होकर अपने प्रदेशवासियों को जो आपदा में ग्रस्त हुए, उनको रीहैब्लिटेट करने यानी उनके घर पुनः बनाने व उनको दोबारा से आबाद करने में असमर्थ रहे हैं। उसका प्रमुख कारण जैसे कि यहां पर माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी ने कहा कि हम समझते हैं कि हम अपनी जमीन उनको अलॉट करने में असमर्थ रहे हैं। उसके पीछे मुख्य बाधा मैं समझता हूं कि यह एक्ट है।

इस वर्ष भी विशेषकर मैं समेज गांव की बात करना चाहूंगा जोकि जिला कुल्लू और शिमला के बीच में स्थित है। वहां पर भी काफी लोगों की बहुमूल्य जानें गईं। वहां कई गांवों का नुकसान हुआ और उनको रीहैब्लिटेट करना सरकार का परम कर्तव्य है। हिमाचल प्रदेश के 90 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और हमारी 70 प्रतिशत आबादी सीधे तौर पर कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। यहां पर जो नियम-102 के तहत बात रखी गई है, उदाहरण के तौर पर हमारे सैटलमैंट में ही अगर हम पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगभग अढ़ाई लाख से अधिक लोग हमारे इसमें इन्वॉल्व्ड हैं जहां पर हमारे लघु और सीमान्त किसानों के पास 20 बीघे से कम जमीन है। हिमाचल प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या इसके अंतर्गत आती है और अढ़ाई लाख वे लोग हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2002 में एक पॉलिसी बनी थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस वक्त भी हमारे कई लघु व सीमान्त किसानों ने अपनी जमीन को नियमित करने की बात की थी। वहां भी सबसे बड़ी बाधा एफ0सी0ए0 से

20.12.2024/1600/av/एएस/2

संबंधित आई थी। मैं समझता हूं कि हम जो केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं इसके लिए आने वाले समय में, क्योंकि समय के साथ-साथ जहां पोपुलेशन बढ़ी है वहीं साथ-ही-साथ आपकी लैंड होल्डिंग में कमी आई है। हमारी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान भी जब माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे, उस समय भी ठाकुर कौल सिंह जोकि तत्कालीन राजस्व मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उन्होंने भी हमारे जो लघु व सीमान्त किसान हैं, उस बात को वहां पर सीमित करते हुए ताकि हमारे डाउन ट्रोडन लोगों को उसका लाभ मिले, यह सिफारिश की थी। आज हमारी वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान भी हमारे राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। इन्होंने भी इन्हीं लाइन्स पर अपनी बात रखी है। मैंने जैसे पहले कहा कि हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारी इण्डस्ट्रीज सीमित क्षेत्रों में हैं। हमारे लघु व सीमान्त किसानों के हित भी कहीं-न-कहीं इस नियम के साथ जुड़े हैं कि हम केंद्र के इस एफ0सी0ए0 एक्ट में संशोधन लाएं। इसके माध्यम से हमारे किसानों को फायदा मिले और साथ-ही-साथ प्रति वर्ष जो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, उसके कारण हमारे हजारों की संख्या में लोग बेघर हो रहे हैं।

टी सी द्वारा जारी

20.12.2024/1605/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

शिक्षा मंत्री ... जारी

चाहे सरकार कोई भी रही हो, नीतियां हम अवश्य बनाते हैं कि हम ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में गृह बनाने के लिए 2 या 3 बिस्वा जगह देंगे लेकिन स्थिति यह है कि हम एक भी घर अपने कार्यकाल के दौरान नहीं बना पाते हैं। इसलिए हम नियम-102 के तहत चर्चा कर रहे हैं और केन्द्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इन बातों को प्रैक्टिकल रूप देने में हमें जो समस्याएं आ रहीं हैं उनका समाधान किया जाए। मेरा विपक्ष के साथियों से भी आग्रह है कि

केन्द्र में आपकी सरकार है इसलिए आप भी इसमें अपना सहयोग दें। हिमाचल प्रदेश के सभी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसलिए प्रदेश के हित में नियम-102 के तहत जो चर्चा लाई गई है, हम सभी इसके लिए प्रयास करें।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

मैं पुनः माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने प्रदेश के हित में, आपदाग्रस्त लोगों के हित में जो यहां पर चर्चा लाई है, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब श्री केवल सिंह पठानिया जी चर्चा में भाग लेंगे। Please be very specific.

20.12.2024/1605/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, नियम-102 के अंतर्गत माननीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी जो प्रस्ताव लेकर आए हैं उसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विस्तार से अपने विचार रखे। पिछले वर्ष जो आपदा आई उसमें बहुत-सारे लोगों की जानें गईं और प्रदेशभर में नुकसान हुआ। यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करने जा रहा है कि जिन लोगों का इस आपदा में नुकसान हुआ उनको 10 बीघा सरकारी जमीन खेती करने के लिए दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस आपदा से धारकंडी के इलाके में ग्राम पंचायत हारोब, रूलेहड़, पटैदा गांव, खड़ी बेई, रजोल और कठवां में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेघर हो गए। यहां पूर्व की सरकार के समय में भी आपदा आई थी। इसके अलावा आपके साथ लगता ककडोली-घटा भटियात का इलाका है, वहां भी इसी तरह से लैंड स्लाइड हुआ था। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया है और सरकार चाहती है कि उन बेघर लोगों को जमीन अलॉट की जाए। लेकिन हमारा जो वन संरक्षण अधिनियम-1980 है जिसके कारण यह जमीन उनको अलॉट नहीं हो पा रही है। इसके लिए पहले भी सरकार ने प्रयास किए लेकिन इस अधिनियम के कारण यह संभव नहीं हो पाया है। इसलिए यह मामला माननीय सदन केन्द्र को भेज रहा है। मैं चाहता हूं कि

शाहपुर विधान सभा क्षेत्र में बहुत से लोग बेघर हुए हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस आपदा में 24 लोगों की वहां पर मौत हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बधाई भी देना चाहूंगा, आपने शून्य काल शुरू कर इतिहास रचा है। आपने एक पिटिशन कमेटी भी बनाई है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि यहां माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में माननीय मंत्री द्वारा आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन यहां जो अधिकारी बैठे होते हैं वे उस पर गौर नहीं करते हैं और वही प्रश्न 02 या 03 बार दोबारा से लगाना पड़ता है। इसलिए इन अधिकारियों की भी जिम्मेवारी फिक्स की जाए। इसी तरह से मैं राजस्व मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जहां-जहां भी नुकसान हुआ है और उसके बारे में जो आश्वासन दिए गए हैं उसके लिए भी अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स की जाए। अध्यक्ष महोदय, जहां आपने शून्य काल शुरू किया है, यह विधायकों व जनता के हित की बात है। इसके अलावा आपने 30 साल के बाद एक नई कमेटी बनाई है, यह भी पूरे प्रदेश के लोगों के हित की बात है।

एन0एस0 द्वारा जारी

20-12-2024/1610/एन0एस0-डी0सी0/1

श्री केवल सिंह पठानिया----- जारी

आपने नई कमेटी बनाई और यह कमेटी 30 वर्षों के बाद बनी है। इसमें भी पूरे प्रदेश के लोगों की हित की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि एश्योरैंस को आप प्रोटैक्ट करेंगे क्योंकि आपने इतिहास रचा है। यह भी टाइम बाउंड होना चाहिए। किसी माननीय सदस्य ने मांग उठाई है और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है तो उस आश्वासन को उस संबंधित विभाग ने पूरा करना है तथा वहां से भी चिट्ठी इनिशिएट होनी चाहिए कि इसमें इतना काम हुआ है और ये मुश्किल आ रही है। मैं आपसे यह प्रोटैक्शन चाहता हूं। नियम-102 के अंतर्गत जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

20-12-2024/1610/एन0एस0-डी0सी0/2

अध्यक्ष : अब श्री रणधीर शर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, नियम-102 के अंतर्गत माननीय राजस्व मंत्री संकल्प लेकर आए हैं। हालांकि, ये भी जानते हैं कि यह कितना संभव है और कितना नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 जब से आया है उसके बाद इनकी भी सरकारें केंद्र में रहीं हैं। उसके बावजूद हटने की बजाए यह और मजबूत होता गया। आज हम सब जानते हैं कि इस एफ0सी0ए0 एक्ट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय मॉनीटर करता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री नैना देवीजी सेंक्चुरी एरिया था और उस सेंक्चुरी एरिया को हटाने की जब बात आई थी तो उस समय मैं पहली बार विधायक बना था और इसी सदन में प्रस्ताव लेकर आया था। उसको हटाने में 6 वर्षों का समय लगा था और वह भी तब हुआ जब उतनी ही जमीन हिमाचल प्रदेश में और सेंक्चुरी एरिया डिक्लेयर करनी पड़ी थी। इसलिए काफी मुश्किल है पर फिर भी सरकार अगर सही मंशा से लाई है तो ठीक है और अगर राजनैतिक मंशा है तो फिर ये जानें। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमें थोड़ा प्रेक्टिकल होना पड़ेगा। अभी माननीय रोहित ठाकुर जी ने भी कहा है। वर्ष 1998 से वर्ष 2003 के बीच भी यह मुद्दा आया था। तब भी एफ0सी0ए0 की परमिशन नहीं मिली। हिमाचल सरकार की पॉलिसी है कि लैंडलैस आदमी को 2 बिस्वा जमीन देनी है और ये भी हम नहीं दे सकते। हम 2 बिस्वा दे नहीं सकते और 10 बीघा की मांग करेंगे तो यह कितना प्रेक्टिकल है, आप इस पर जरूर विचार करें। हमें उतनी ही मांग करनी चाहिए जितनी संभव हो। दूसरा, मैं इसमें और शामिल करना चाहूंगा। आपने इसमें उन किसानों की बात की है जिनकी प्राकृतिक आपदा में जमीन गई है। इसके अलावा भी बहुत ऐस लोग प्रदेश में हैं जिनको जमीन देने की आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भाखड़ा बांध बना। भाखड़ा बांध विस्थापितों में से भी अभी लगभग 400 से ज्यादा विस्थापित ऐसे हैं जिनको प्लॉट नहीं मिले। बिलासपुर में प्लॉट मिलने में एफ0सी0ए0 आड़े आ रहा है। वहां पर कहीं और सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि, जब हमारी सरकार थी तब कुछ लोगों को

सरकारी जमीन से प्लॉट दिए गए। लेकिन अभी भी 400 से ज्यादा विस्थापितों को प्लॉट नहीं दिए गए हैं क्योंकि एफ0सी0ए0 से नहीं दे सकते हैं। इसलिए अगर आप प्रस्ताव कर रहे हैं तो उन भाखड़ा बांध विस्थापितों को भी इसमें जोड़ा जाए। आप लैंडलैस में जिनको 2 बिस्वा देना चाहते हैं उनको भी जोड़ा जाए। अनेक बिजली प्रोजैक्ट लग रहे हैं और उसमें

20-12-2024/1610/एन0एस0-डी0सी0/3

भी लोग विस्थापित हो रहे हैं, लैंडलैस हो रहे हैं चाहे 2 बिस्वा या 4 बिस्वा हो, आप उनकी भी बात कीजिए। ऐसी अनेक कैटेगरीज हैं। अध्यक्ष महोदय, कई कारणों से विधवा महिलाएं लैंडलैस हो रही हैं। उनको मकान बनाने के लिए वर्ष 1998 से वर्ष 2003 के बीच प्रावधान किया था परन्तु एफ0सी0ए0 के कारण नहीं हो पाया।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

20.12.2024/1615/RKS/HK/-1

श्री रणधीर शर्मा... जारी

ऐसी अनेक categories को आप इसमें शामिल करें। हम इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे लेकिन आप सब जानते हैं कि यह सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसको माननीय उच्चतम न्यायालय मोनिटर करता है और यह बात वहां तक जानी है। इसलिए आप उतनी ही बात करें जितनी संभव हो सके तभी हम इसका समर्थन कर पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

20.12.2024/1615/RKS/HK/-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर जी।

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो नियम-102 के तहत संकल्प सभा पटल पर रखा है इसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं। पानी, हवा और जंगल हमारे हैं लेकिन आज हम इस हालत में है कि अगर हमारे विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में कोई आपदा आ जाए तो हम अपने लोगों को दो बिस्वा भूमि भी नहीं दे सकते। इस संकल्प में 10 बीघा जमीन उपलब्ध करवाने के बारे में लिखा है। मैं पहली बार विधायक बनकर आया हूं। मैंने अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र के इलाकों का दौरा किया है। वर्ष 1995 में चम्बा में फ्लड आया था जिसके कारण मणिमहेश की सड़क 2-3 महीनों तक बंद रही। उस समय मेरे निर्वाचन क्षेत्र की 2-3 पंचायतों में भी लैंड स्लाइड आया। उस लैंड स्लाइड में जिन लोगों की जमीन गई वे आज तक उसी एरिया में रहने को मोहताज हैं। उन्होंने दोबारा से उसी एरिया में घर बनाए और जब तीन साल बाद उस एरिया में दोबारा स्लाइड आया तो वे लोग आज भी खतरे में जी रहे हैं। वे चैन से नहीं सो पा रहे हैं। हम लोगों ने अपनी असहूलियत के हिसाब से कानून बनाए हैं। वर्ष 2024 में एफ.सी.ए. में बहुत सारे संशोधन हुए हैं इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि हम संशोधन नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय आप हमारे जिला से हैड करते हैं। चम्बा जिला का नेशनल हाइवे आज भी दो लेन हैं जबकि पूरे प्रदेश में अब फोर लेन हाइवे बन रहे हैं। हमारा नेशनल हाइवे अभी दो लेन भी पूरा नहीं हुआ है। कांदू से आगे जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आती है उसकी वजह से यह हिस्सा आज भी पूरी तरह से चौड़ा नहीं हो पाया है। जहां पेड़ नहीं थे वहां तो कटान हो गया है लेकिन आगे यह रोड चौड़ा नहीं हो पाया है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं तो केंद्र सरकार से कई योजनाएं आई जिनमें हमें पैसा मिल रहा था। केंद्र सरकार ने कहा कि आप जमीन उपलब्ध करवाएं और वह जमीन संबंधित विभाग के नाम होनी चाहिए। वह जमीन एफ.सी.ए. के अंडर नहीं होनी चाहिए। एफ.सी.ए. के कारण हमारी कई स्कीम्ज लैप्स हो गई हैं। हमारे पास उन स्कीम्ज के लिए पैसा ही नहीं आया। अगर मैं डवलपमैंट के हिसाब से बात करूं तो यह हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बाधा है। ऐसा नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता। अगर सत्तापक्ष व विपक्ष के बुद्धिजीवि

लोग यहां से पूरी तैयारी के साथ केस मूव करें तो यह 10 बीघा जमीन देना कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा। यह बात ठीक है कि पहले यह काम नहीं हुआ होगा लेकिन अब संशोधन हो रहे

20.12.2024/1615/RKS/HK/-3

हैं। अगर हम इसका ठीक ढंग से संशोधन करेंगे तो इससे हमें बहुत फायदा होगा। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल के लिए अपनी विधायक निधि से 6 लाख रुपये जमा करवाए हैं। लेकिन अब मुझे पता लगता है कि एफ.सी.ए./एफ.आर.ए. में 1.6 हैक्टेयर से ऊपर भूमि स्कूल के लिए नहीं दी जा सकती।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

20.12.2024/1620/बी.एस./एच के-1

श्री नीरज नैय्यर जारी...

अब यह पेचिदा मसला हो गया है कि राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल के लिए 25-30 बीघा जमीन आबंटित करनी है। ऐसी-ऐसी दिक्कते इस एफ.सी.ए. एक्ट से आ रही हैं। मैं एक बार फिर से पुरजोर तरीके से इस संकल्प में अपने को सम्मिलित करना चाहता हूं, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भुवनेश्वर गौड़ जी चर्चा में भाग लेंगे।

20.12.2024/1620/बी.एस./एच के-2

श्री भुवनेश्वर गौड़ : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी जो संकल्प ले करके आए हैं कि वर्ष 1980 का जो एफ.सी.ए. एक्ट है इसमें संशोधन किया जाए। जो आपदा की बात हम कर रहे थे, इस वर्ष भी और पिछले वर्ष भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत से लोगों को नुकसान हुआ है। बहुत से लोग ऐसे थे जिन लोगों के नदी के साथ बाग-बगीचे थे और वहां पर घर भी बनाए थे। वे सारे बह गए और वही लोग लैंडलैस भी हो गए। हमने सभी को कंपनसेशन दिया। राहत तो उन्हें दी गई परंतु घर बनाने के लिए उनके पास जमीन नहीं है। जिन लोगों को हमने कंपनसेशन दिया वह बहुत कम था। क्योंकि जमीनों की जो वैल्यू है वह बहुत ज्यादा है जिस जमीन को हमने कंपनसेट किया अगर किसी की पांच बीघा जमीन भी चली गई तो वह पांच बिस्वा की भी मदद नहीं ले सकता। मैं समझता हूं कि यह संकल्प प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा एक छोटा सा प्रदेश है और हमारे जो लोग हैं उनकी जो लैंड होल्डिंग है वह बहुत सीमित है। साथ में एक और ऐसा भी देखने को मिला कि बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कई वर्षों से उसी जमीन पर रह रहे थे। उनके मकान भी वहां पर बन रहे थे परंतु जब यह आपदा आई और लैंड स्टेटस चैक हुआ तो वह जमीन उनके नाम नहीं थी। परंतु उन लोगों ने अपनी उम्र भर की पूंजी उसमें लगा करके अपने घर बनाए थे और जब यह आपदा आई तो उन लोगों को हम राहत भी नहीं दे पाए और उन्हें रिहैबिलिटेट भी नहीं कर पाए हैं। हम जो एफ.सी.ए. कानून की बात कर रहे हैं। इसके साथ-साथ जो हमारे लैंड लैस लोग हैं। हम उन्हें भी दो बिस्वा और तीन बिस्वा जमीन नहीं दे पाए हैं। हमारे क्षेत्र में जो पिछली सैटलमेंट हुई है और सैटलमेंट में जो वेस्ट लैंड थी, उसे भी फोरेस्ट लैंड का दर्जा दे दिया गया है। तो क्यों न सरकार उसको ठीक करे और एक बार पुनः जो इस लैंड का स्टेटस सैटलमेंट से पहले का था वह रिस्टोर करे। फिर से वह provincial government land declare हो। ताकि राज्य सरकार उन लोगों को दो-तीन बिस्वा के पट्टे दे, धन्यवाद।

20.12.2024/1620/बी.एस./एच के-3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री बलबीर वर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री महोदय ने जो नियम-102 के अंतर्गत सरकारी संकल्प इस सदन में लाया है, इस संकल्प में अगर थोड़ी चीजें और भी डाल दी जाएं तो अच्छा रहेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सड़के बनी हुई हैं और वर्तमान में उनमें गाड़ियां चल रही हैं और जो रास्ते, सड़कें और भवन हैं, इनमें स्कूल के भवन भी शामिल हैं। जो स्कूल की बिल्डिंग्ज बनी हैं, वे फोरेस्ट लैंड में हैं।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

20.12.2024/1625/डीटी/वाइके-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा.... जारी

मेरा आग्रह है कि स्वास्थ्य संस्थान और अन्य सरकारी संस्थानों को भी इसमें इंडल्ज कर दिया जाए जो फोरेस्ट लैंड में बने हैं। आज भी इसमें मालिकाना हक वन भूमि का है। उसे भी इंडल्ज किया जाए। जो मोटरेबल और पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें हैं उन्हें भी इसमें इंडल्ज कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में पहले बहुत कम सड़कें थीं। आज इतनी सड़कें बन गई हैं जिसकी वजह से प्रदेश में बाढ़ आ रही है और फिर बाढ़ से लोगों की जमीनों को नुकसान हो रहा है। जब सड़कें मैटल हो जाती है तो पानी सीपिज नहीं हो पाता जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। जो कल्वर्ट लगाए जाते हैं वे चोप हो जाते हैं। मैं नेरवा नदी का उदाहरण देना चाहूंगा। नेरवा की नदी पहले 50 फीट चौड़ी थी आज वह नदी 600 फीट चौड़ी हो गई है। क्योंकि जो पहले पानी सीपिज होता था वह अब सीधा खड्ड में पहुंच रहा है। इस नदी के बहाव से लोगों की आर-पार की सारी जमीनें बह जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसी कितनी नदियां होंगी जिनसे लोगों का कितना नुकसान हुआ होगा अगर हम यह आंकड़ा केंद्र सरकार को भेजें कि हिमाचल प्रदेश में कितने लोग लैंड लैस है तो इससे हमें काफी फायदा होगा। जिनके पास घर और कृषि के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है आप उनका सर्वे

करवाएं। दूसरा सर्वे यह भी करवाएं कि ऐसे कितने किसान-बागवान हैं जिनके पास 5 बीघा से कम भूमि है। अगर यह प्रोपोजल आप केंद्र सरकार को भेजेंगे तो दिल्ली की सरकार भी गहन चिंतन करेगी। जिन लोगों के पास भूमि नहीं होगी उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे। आप यह प्रोपोजल केंद्र सरकार को भेज दें कि जो सदियों से यहां लोग रह रहे हैं उनके पास कोई जमीन नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत से लोग हैं जिनका बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। माननीय मंत्री जी ने भी उस क्षेत्र का दौरा किया है। वहां पर ग्यारह घर है जो लैंड स्लाइड के कारण हिल गए थे। वहां की सैंकड़ों बीघा जमीन भी हिल गई थी। एक कुपवी में नोहरा बोरा गांव है उसकी पूरी जमीन भी हिल गई है। आप इन गांवों की फोटोग्राफ लेकर दिल्ली भेजें ताकि हम यह बता सकें कि इन वजह के कारण हमें यह दिक्कतें आ रही हैं। एस.सी.परिवारों में भी उनके पास 4-5 बिस्वा लैंड बची है। इसलिए उनका भी सर्वे किया जाए कि जो गरीब लोग हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। अगर आपने 10 बीघा का प्रावधान रखा है तो इसे 5 बीघा के क्राइटेरिया में लाएं ताकि इससे उन गरीब

20.12.2024/1625/डीटी/वाइके-2

लोगों का भी फायदा हो। हिमाचल प्रदेश में जो लोग सदियों से रह रहे हैं उनकी लैंड फोरेस्ट में आ गई है। क्योंकि जितनी भी बेस्ट लैंड हैं उसे वन भूमि में डाल दिया गया है। यह जरूर इंक्लूड करें कि जिस लैंड में बागवानों-किसानों का अधिकार था उसे फोरेस्ट लैंड से बाहर किया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : आज प्राइवेट मैम्बर्ज डे है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो सुजैशन्ज आ चुके हैं उनके अलावा सुझाव दिए जाएं ताकि प्राइवेट मैम्बर्ज डे का कम-से-कम रेजोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस हो जाए। अब माननीय चंद्र शेखर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री चंद्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय राजस्व मंत्री द्वारा सरकारी संकल्प नियम - 102 के तहत लाया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

श्री एन जी द्वारा जारी

20-12-2024/1630/वाई.के.-एन.जी./1

श्री चंद्र शेखर.....जारी

अध्यक्ष महोदय, मेरे धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र में लगातार त्रासदियां आती रही हैं। मेरे क्षेत्र के तनेड़, भूर, सरसकांड, समोड़, लंगेड़, बरांग, मोरला, तनिहार, हियूण, सजोपिपलू आदि सभी क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर डिज़ास्टर आते रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य क्षेत्र हैं। इनमें एजिज़ (पंचायतों का अंतिम छोर) के अंदर बहुत नुकसान होता है। इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कि उन ऐजिज़ में अनुसूचित जाति समाज के लोग बसते हैं। शायद हमने ही उन लोगों को वहां पर स्थान दे रखा है। कालांतर में जो चीज़ें घटी थी उसका नतीजा आज यह है कि ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए। Hon'ble Member come to the intent of the Resolution, don't go to other things.

श्री चंद्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, बिलकुल उसी पर आ रहा हूं। वर्ष 1980 में यह अधिनियम आया था। मुझे लगता है कि यह एक्ट ट्राइब्स को प्रोटैक्ट करने के लिए लाया गया था क्योंकि सरकारें व प्रभावशाली लोग इसका गलत तरीके से उपयोग न कर पाएं।

अध्यक्ष महोदय, अब यह स्थिति हो गई है कि डिज़ास्टर के बाद हम उन लोगों को दो बिस्वा जमीन भी नहीं दे पा रहे हैं। इस प्रकार के बहुत सारे मसले बन गए हैं और वे राजनीतिक रंग लेते जा रहे हैं। प्रेशर ग्रुप्स व राजनीतिक पार्टियां अख़बारों में यह कह रही हैं कि स्थानीय विधायक आपदा प्रभावित लोगों को जमीन नहीं दे पा रहा है। हमारे अंदर भी उनके प्रति संवेदनाएं हैं और इसके पीछे की दास्तांओं को अख़बारों में जा कर कौन

बताएगा? उन्हें कौन बताएगा कि इसमें वर्ष 1980 का एक्ट रुकावट बन रहा है। इस एक्ट के कारण हिमाचल प्रदेश की सरकार व पूरा सदन हैंडिकैप्ड नज़र आ रहा है।

20-12-2024/1630/वाई.के.-एन.जी./2

हमारे प्रदेश से कुल 7 सांसद चुने जाते हैं जिनमें 4 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद शामिल हैं। लोकतंत्र की बुनियाद लोगों से ही बनती है। यहां पर विपक्ष व सत्तापक्ष के लोग एक ही बात कह रहे हैं। इस प्रकार का संकल्प पहले भी इस माननीय सदन में आया होगा। मेरा आग्रह है कि उनको (माननीय सांसदों को) भी पार्टी बनाया जाए। इसके अलावा यहां पर खेल के मैदान और रोड के बारे में माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने भी कहा है। प्रदेश सरकार व माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले वर्ष 4500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी और उसे हम अक्षरशः लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपदा प्रभावित लोगों के पास दो बिस्वा जमीन भी नहीं है। यदि उनके पास जमीन ही नहीं होगी तो वे घर कहां पर बनाएंगे? परसों मेरे पास रिवाल्सर से एक फोन आया कि श्री नैना देवीजी मंदिर में एक शौचालय का निर्माण किया जाना है। वह मंदिर बहुत पौराणिक है और हमारी आस्था का केन्द्र है। जो श्रद्धालु रिवाल्सर जाते हैं वे श्री नैना देवीजी मंदिर में भी अवश्य माथा टेकते हैं। वहां पर वन विभाग वाले एक शौचालय का निर्माण भी नहीं होने दे रहे हैं। वे लोग तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन उस मंदिर में जो सुविधाएं क्रिएट की जानी चाहिए थीं उनसे आम जनता वंचित रह रही है। जिस कारण सरकार पर आक्षेप आता है कि सरकार इस पर काम क्यों नहीं कर रही है। यदि मैं वन विभाग वालों को कहूं कि शौचालय बनने दो तो मैं यही कह रहा हूं कि 'कानून तोड़ो' और यदि मैं न कहूं तो आम जनता कहेगी कि विधायक ने हमारी मदद के लिए कुछ नहीं बोला। इस प्रकार की बहुत अजीबोगरीब परिस्थितियां बन जाती हैं और इस पर यह माननीय सदन बिलकुल एक मत है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए। Hon'ble Member Shri Chander Shekharji, there are two issues one is FRA and one is FCA. In FRA, you have a right to get the land diverted for these purposes, that area is very less. FCA is a wider. So, FRA that you can do in diversion of land but this is FCA.

20-12-2024/1630/वाई.के.-एन.जी./3

श्री चंद्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी इश्यूज़ को एक ही बात में कह रहा हूं क्योंकि आपने मुझे बहुत कम समय दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए। इसलिए हमारे सभी माननीय सांसदों को इस मसले को बेहतरीन तरीके से संसद के अंदर रखना चाहिए क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो बाद में आएगा पहले तो संसद द्वारा जनहित में अपनी स्थिति को स्पष्ट करके कानून पारित करना चाहिए जिससे हमे राहत मिल सके। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुख राम चौधरी जी, आप 2-3 मिनट में अपनी बात बोलिए।

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में माननीय राजस्व मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि "यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 (एफसीए) में संशोधन कर आपदाओं में खेती योग्य भूमि बह जाने पर तबादले में सरकारी वन भूमि व लघु एवं सीमांत किसानों को 10 बीघा तक सरकारी वन भूमि खेती करने हेतु प्रदान करने का आग्रह करता है।"

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की चर्चा करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में यमुना, गिरी व बाता नदी बहती है। पहले इनकी चौड़ाई 10 मीटर से लेकर 25 मीटर तक थी लेकिन आज इनकी चौड़ाई लगभग एक किलोमीटर तक पहुंच गई है। इन तीनों

नदियों में लोगों की हज़ारों बीघा भूमि बह गई है। इन नदियों की लगभग 27 सहायक नदियां व छोटे-बड़े नाले भी हैं।

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

20.12.2024/1635/केएस/एजी/1

श्री सुख राम चौधरी जारी ---

कम से कम पांच हजार बीघा जमीन किसानों की उन नदियों के बीच में है। नई जमीन देने की तो बहुत दूर की बात है, मैं चाहता हूं कि यह रैजोल्यूशन पर फोकस किया जाए जिन किसानों की जमीन नदियों में चली गई, वह तो वेस्ट ही हो गई है। वहां पर आज खेती नहीं हो सकती। वहां पानी बह रहा है। कम से कम उन लोगों को तो उतनी जमीन दे दी जाए जितनी की उनकी जमीन गई है। जो व्यक्ति, जिसका घर चला गया, वह अपनी जमीन में घर बना नहीं सकता, दूसरी जमीन उसके पास घर बनाने के लिए है नहीं तो कम से कम वह जमीन वन भूमि को चली जाए और उसको अच्छी जमीन घर बनाने के लिए दी जाए। तबादले के रूप में जमीन दी जाए। और जो हमारे लोगों की जमीन नदियों में बह गई, हम तो तबादले की बात कर रहे हैं। तबादले में उनको जमीन दे दो ताकि उनके दुख-दर्द तो दूर हों।

अध्यक्ष : यह नया आइडिया है। वैसे चौधरी साहब, यह संकल्प के प्रिव्यू से बाहर है जो आप सजैस्ट कर रहे हैं।

श्री सुख राम चौधरी : सर, इसको ऐड किया जाए।

अध्यक्ष : यह इसमें ऐड नहीं होगा। यह तो स्पैसिफिक इशू है और एफ.सी.ए. का है। Anyway, your viewpoint has come.

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दूसरे जो ऐसे गांव है, मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक गांव डोंडली है। आजादी से पहले के लोग वहां बसे हैं। उनके घर बने हैं, मीटर लगे हैं परंतु आज भी वह वन भूमि है। उनके ऊपर तलवार लटकी रहती है। कम से कम उस जमीन को तो उन लोगों को, जो वर्षों से वहां रह रहे हैं,आजादी के समय से रह रहे हैं, उनको तो उसका मालिकाना हक दिया जाए ताकि उनको बसने के लिए जमीन मिल सके, यह मैं कहना चाहता हूं।

Speaker: Now I will request the Hon'ble Revenue Minister to reply क्योंकि रोहित जी, आज हाउस का टाइम एक्सटेंड नहीं होता। ...(व्यवधान) आज टाइम एक्सटेंड नहीं होता । आज पांच बजे के बाद हाउस का टाइम एक्सटेंड नहीं होता। 15-20 मिनट का समय बचा है। आज प्राइवेट मैम्बर्ज़ डे है।

20.12.2024/1635/केएस/एजी/2

आज टाइम एक्सटेंड नहीं होगा फिर मंत्री जी यह डैफर हो जाएगा । This is not my fault. This is what I am requesting you. There is no need of insistence.

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य, श्री राकेश कालिया वैल में आकर बैठ गए)

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष जी, आप सिर्फ एक आदमी को बोलने से रोक रहे हैं। यह कोई तरीका है? आप हमारे साथ हमेशा ऐसे ही करते हैं।

अध्यक्ष : अभी 8 लोगों के नाम हैं and you (Shri Rakesh Kalia ji) are not need to argue may like this. …(Interruption) Hon'ble Minister. …(Interruption) No, no. …(Interruption) Chair is not to be dictated. I am requesting you. This dictation I will not take.

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, रिक्वेस्ट है कि इनको दो मिनट बोलने दीजिए।

अध्यक्ष : बोलने देता हूं but not like this. …(Interruption) I am not to seek a dictation from him. राकेश कालिया जी, बोलिए। ...(व्यवधान) बोलना है तो बालिए।

श्री राकेश कालिया : पहले तो सभी सदस्यों का धन्यवाद जिन्होंने मेरे सेंटिमेंट्स को समझा। मैं सात महीने में पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा सभी ने समर्थन किया, मैं आपका आभारी हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता था लेकिन मैं आज शुभ दिन सोच रहा था कि आज शुरू करना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैंने बहुत बार हाथ खड़ा किया, मुझे लगा कि मुझे इग्नोर किया गया है तो मैं अपने सेंटिमेंट्स रोक नहीं पाया।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज नियम-102 के अंतर्गत जो प्रस्ताव राजस्व मंत्री द्वारा लाया गया है, मैं भी उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो हमारे यहां से एफ.सी.ए. के केसिज़ भेजे जाते हैं, जो हमारा नुकसान हुआ है, चाहे वह पार्वती वैली में है या हमारी ब्यास रीवर वैली में है, पार्वती वैली में भी नुकसान हुआ है, ...(व्यवधान) सुन्दर ठाकुर जी, आप चुप करिए, मैं आपके समय में नहीं बोलता । मुझे कम्पलीट करने दो। ...(व्यवधान)

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

20.12.2024/1640/av/एजी/1

श्री राकेश कालिया------- जारी

...(व्यवधान) मैं यह कहना चाह रहा था कि हमारे हिमाचल प्रदेश में अब यह हर साल का एक सिस्टम हो गया है। …(Interruption)

Speaker: Jamwal ji, he is much more senior than you and I understand him and his temperament also. I understand him. Don't try that in any case he will be abetted.

श्री राकेश कालियाः मैं यह कह रहा था कि हमारे यहां प्रत्येक दो-तीन वर्ष के बाद भयंकर बाढ़ आ जाती है। उसमें चाहे पारछू नदी की बात करें या सतलुज व ब्यास नदी की बात करें। बाढ़ के कारण हमारी महत्वपूर्ण लैंड बह जाती है और बहुत सारे लोग बेघर भी हो जाते हैं। यहां पर जो संकल्प लाया गया है जिसके तहत आप एफ0सी0ए0 के केसिज के संदर्भ में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इसको वन विभाग के साथ टेकअप करके एक मजबूत केस बनाकर केंद्र सरकार को भेजें ताकि

हमारे लैंडलैस लोगों को कोई फायदा मिले। मैं चाहता हूं कि इसमें आप ऐसे लोगों को भी शामिल करें जोकि डैम्ज बनने के कारण लैंडलैस हुए हैं। इसमें उन लोगों को भी शामिल करके एफ0सी0ए0 क्लीयरेंस के लिए एक मजबूत केस बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाए ताकि सबको 10 बीघा लैंड अलॉट की जा सके। हिमाचल में जो अदर दैन लैंड है उसको शायद वन भूमि ही कहा जाता है, तो उसमें से दी जा सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे बहुत सारे लोगों को फायदा मिल सकता है। वैसे तो मैं और बातें भी कहना चाहता था परंतु समय की पाबंदी के कारण मैं अपने आपको यही तक सीमित रखता हूं। धन्यवाद।

Speaker: Thank you very much. Hon'ble Minister. …(Interruption) He (Shri Rakesh Kalia ji) is with us and not with you and he has no intention to go there. Let me tell you. …(Interruption) He is being taken care of very properly. …(Interruption) I withdraw my words. माननीय राजस्व मंत्री जी, आप बोलिए।

20.12.2024/1640/av/एजी/2

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज के इस संकल्प में मेरे मंत्रिमण्डल के दो सहयोगी आदरणीय श्री चन्द्र कुमार जी और आदरणीय श्री रोहित ठाकुर जी ने भी इसमें भाग लिया है। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। श्री रोहित ठाकुर जी विशेषकर वर्ष 2015 से हिमाचल प्रदेश में एनक्रोचमैंट को लेकर और जो लोग आज कोर्ट के ऑर्डर से बेदखल हुए हैं, उनकी चिंता को लेकर प्रयास करते रहते हैं। ये चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ये हमेशा इनकी चिन्ता करते हैं। अभी हमारे मंत्रिमण्डल की एक सब-कमेटी बनी है, उसमें भी श्री रोहित ठाकुर जी साथ हैं। हमने बहुत कोशिश की कि इसको किसी तरह से एफ0सी0ए0 के परव्यू से बाहर निकाले परंतु इसमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। हमारे दूसरे माननीय सदस्य खासकर उप-सचेतक श्री केवल सिंह पठानिया, श्री रणधीर शर्मा, श्री नीरज नैय्यर, श्री भुवनेश्वर गौड़, श्री बलबीर सिंह वर्मा, श्री चन्द्र शेखर, श्री सुख राम चौधरी और श्री राकेश कालिया जी ने इसमें अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। मैं दो-चार बातें पहले करना चाहता हूं जिसमें एफ0आर0ए0 को लेकर थोड़ी-सी भ्रान्तियां हैं। एफ0आर0ए0 का कानून वर्ष 2006 में बना था, जिसमें वन भूमि खासकर शैड्यूल ट्राइब के

लोगों के लिए और जो परम्परागत सदियों से वन भूमि पर रह रहे हैं। उनके लिए एक कानून ऐसा बना जोकि एफ0सी0ए0 कानून से ऊपर है। उसमें पात्र व्यक्तियों को ग्राम सभा के अनुमोदन पर 50 बीघा तक लैंड देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त एफ0आर0ए0 3(2) में 13 डवलपमैंटल वर्क्स के अंतर्गत प्रत्येक काम के लिए एक हैक्टेयर जमीन देने का प्रावधान है। यहां पर श्री नीरज नैय्यर जी अपने स्कूल की बात कर रहे थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप एफ0सी0ए0 में जाकर अपना पैसा क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आप एफ0आर0ए0 (2) के अंतर्गत 12 बीघा जमीन स्कूल के भवन के नाम ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त 12 बीघा जमीन आप खेल मैदान और 12 बीघा स्किल डवलपमैंट के नाम से ले सकते हैं।

टी सी द्वारा जारी

20.12.2024/1645/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

राजस्व मंत्री ... जारी

और यह 36 बीघा तो वैसे ही हो गई है। यदि और भी जमीन लेना चाहे तो कम्यूनिटी भवन के नाम से 12 बीघा ले सकते हैं। जब वर्ष 2006 में देश के प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह जी थे और केन्द्र में यू0पी0ए0 की सरकार थी तो उस समय एफ0आर0ए0 का एक्ट बना था। उस समय यू0पी0ए0 की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी थी। उन्होंने यह एक ऐतिहासिक कानून बनाया है। यहां पर सड़कों की बात हुई। जितनी भी सड़कें हैं उनको आप 3/2 में बना सकते हैं और उसेसिर्फ ग्राम सभा से अनुमोदित करवाना पड़ता है। आपको किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी ग्राम सभा 50 प्रतिशत कोरम के साथ उसको अनुमोदित कर देती है तो आपका केस बन जाएगा। अभी श्री सुख राम चौधरी जी कह से थे कि आजादी से पहले लोग जंगलों में रहे थे। आप एफ0आर0ए0 का फायदा

लीजिए और उनको जमीन दिलाइये। आपको ट्राइबल डवलपमैंट डिपार्टमैंट की तरफ से यदि कोई भी मदद चाहिए तो आप ले सकते हैं क्योंकि नोडल ऑफिस हमारा डिपार्टमैंट है। हमने एफ0आर0ए0 कमेटियों का गठन भी किया है। उपायुक्त को एस0डी0एल0सी0 बनाया गया है। यदि आपको उनका सहयोग चाहिए तो आप हमें लिखकर दें। हम वहां पर कैंप भी लगवाएंगे और आपकी मदद भी करेंगे। इसके लिए ट्राइबल होना जरूरत नहीं है। यदि वे परम्परागत रूप से वन में रहते आए हैं तो उनको उनका हक मिलेगा। हिमाचल प्रदेश का सारा जंगल हमारा है। इस संकल्प को हम नियम-102 के तहत मजबूरी में लेकर क्यों आए हैं क्योंकि केन्द्र सरकार ने एफ0सी0ए0 के कानून में संशोधन नहीं किया। मार्च, 2023 में केन्द्र सरकार ने एफ0सी0ए0 में भी संशोधन करके बहुत-सारे परिवर्तन किए हैं। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से 100 किलोमीटर पीछे तक अगर सड़क बनानी हो या आर्मी के लिए किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करना हो तो केन्द्र सरकार की नोटिफिकेशन के द्वारा उनको एफ0सी0ए0 से बाहर किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत-सारे केस एफ0सी0ए0 से बाहर किए गए हैं। हमारा इस संकल्प को लाने का मकसद यह था कि हिमाचल प्रदेश में बहुत-सारी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। बाढ़ के

20.12.2024/1645/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

कारण हमारी जमीनें बह जाती हैं और एफ0सी0ए0 के तहत हम लोगों को जमीन तबादले में नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वर्ष 1952 की जो नोटिफिकेशन हुई, उसके तहत जितनी भी वेस्ट लैंड थी उसको वन भूमि माना गया। वन भूमि की मालिक तो हिमाचल सरकार है लेकिन किस्म वन भूमि होने के कारण हम भी उस नियम के दायरे में आ जाते हैं और अगर एक इंच भूमि भी किसी काम के लिए लेनी हो तो हम नहीं ले सकते हैं। यह तो एफ0आर0ए0 3/2 है जो हमारे पास है। लेकिन यह तो केन्द्र सरकार का कानून है और आपको पता है कि केन्द्र में इस प्रकार के कार्य करवाने में कितना समय लग जाता है। आज भी हमारे हजारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसलिए इस संकल्प के रूप में हम केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों

को देखते हुए, एफ0सी0ए0 में संशोधन किया जाए। ताकि बाढ़ के कारण जिनकी भूमि बह जाती है उनको तबादले में जिस भूमि को वन भूमि डिक्लेयर किया गया है, उसको दिया जा सके। हम डी0पी0एफ0 में नहीं मांग रहे हैं, जहां पर जंगल खड़ा है। हम यू0एफ0 में भूमि मांग रहे हैं, जहां पर अन-डिमार्केटिड फॉरेस्ट है। इसी तरह से लघु किसान जो पांच बीघा से कम जमीन वाले हैं या सीमांत किसान है जिनके पास पांच बीघा से दस बीघा तक भूमि है, उनको भी तबादले में जमीन दी जा सके। आज की तारीख में खेती तभी संभव है जब हमारे पास एक चंक ऑफ लैंड उपलब्ध हो जिसमें खेती करके लोग अपने जीवन का निर्वाह कर सके। इसलिए हमने 10 बीघा तक की परमिशन की मांग की है। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से भी सहयोग चाहूंगा क्योंकि केन्द्र में आपकी पार्टी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश से सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप वहां पर भी उनके माध्यम से इस मुद्दे को उठाकर संशोधन लाएंगे तो इससे हिमाचल प्रदेश का हित होगा। उसमें न तो कोई इस पार्टी का होगा और न उस पार्टी का होगा जिसकी भी भूमि बाढ़ से बह जाएगी वह उसके लिए पात्र होगा। जिसके लिए भी आप लघु या सीमांत किसानों को भूमि की मांग करेंगे, वह सबको मिलेगी। जहां तक आपने कहा कि इसमें प्राकृतिक आपदाओं के अलावा जैसे कोई डैम आस्टिज है या हाइडल प्रोजैक्ट के आस्टिज हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। यह आपने बिल्कुल सही कहा है।

एन0एस0 द्वारा जारी

20-12-2024/1650/एन0एस0-ए0एस0/1

राजस्व मंत्री ----- जारी

मैं इस प्रस्ताव का दायरा बढ़ा कर आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें जो संशोधन साथियों ने चाहा उसमें उनको भी शामिल किया जाए जो आपदाओं के अलावा प्रभावित हैं, उनको भी भूमि प्रदान करने की इजाजत दी जाए। यह कोशिश की जा सकती है। संशोधन तो केंद्र सरकार ने करना है। जब वे अन्य चीजों के लिए कर रहे हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेशन्ज के लिए एफ0सी0ए0 में मार्च 2023 में अमेंडमैंट हुई है और उसमें बड़े-बड़े कॉर्पोरेशन्ज को फायदा दिया गया है। जब कॉर्पोरेशन्ज को फायदा दिया जा रहा है तो क्यों न हमें भी फायदा दिया

जाए। यह एक कोशिश है और पता नहीं इस कोशिश में आपका कितना सहयोग मिलेगा? आप अगर चाहेंगे तो मिल भी सकता है। अगर आप सही मायने में हिमाचल के हितैषी हैं तो आपका सहयोग होगा और हम आगे बढ़ेंगे। वैसे मैं लिखित में लाया था लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं उसे नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस है। मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि इस संकल्प में इन्होंने साथ दिया है और यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को जाए। यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय T.N. Godavarman Versus Union of India केस की बात कही गई है। हम वहां भी पैरवी करेंगे। पहले तो सबसे बड़े मंदिर पार्लियामैंट में यह बात पहुंचाएं फिर उसके बाद देखते हैं कि वहां से कितना सहयोग मिलता है और उसके बाद हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। इसको अमेंडिड फॉर्म में खेती योग्य भूमि बह जाने में तबादले में सरकारी वन भूमि व लघु एवं सीमांत किसानों को 10 बीघा और जो अन्य प्रभावित लोग हैं जैसे बांध विस्थापित हैं या अन्य को भी भूमि देने का प्रावधान किया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि यह सदन केंद्र सरकार से पूरजोर सिफारिश करता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 (एफ0सी0ए0) में संशोधन कर आपदाओं में खेती योग्य भूमि बह जाने व जो अमेंडमैंट माननीय नेगी जी ने प्रपोज की है, पर तबादले में सरकारी भूमि व लघु एवं सीमांत किसानों को 10 बीघा तक सरकारी वन भूमि खेती करने हेतु प्रदान करने का आग्रह करता है। इसे अमेंडिड फॉर्म में किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

20-12-2024/1650/एन0एस0-ए0एस0/2

अभी 7 मिनट का समय शेष हैं क्योंकि आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस है। पहला संकल्प श्री संजय अवस्थी व कुमारी अनुराधा राणा जी का है और उनका लिखित में आया है कि they want to withdraw this Resolution and the next time they will come with an amended form. I am permitting the withdrawal. इसमें सबजैक्ट मैटर इकट्ठा कर दिया था। दोनों माननीय सदस्यों का सबजैक्ट मैटर कंपाइल करके कंसोलिडेटिड बनाया था जिसको ये विद्ड्रॉ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगली बार अमेंडिड फॉर्म में देंगे। दूसरा संकल्प माननीय सुख राम चौधरी जी का है और मैं उनसे

अनुरोध करूंगा कि वे अपना संकल्प प्रस्तुत करें ताकि that will be come for discussion in the next Session.

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों पर चर्चा मांगी है और अगर आप कल अलाउ कर देंगे तो हम क्लब करके कल इस चर्चा को कर लेंगे।

अध्यक्ष : तो क्या यह भी विद्ड्रॉ समझूं ?

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी तो 5.00 बजे तक चर्चा भी पूरी नहीं होगी और जवाब भी नहीं आएगा।

अध्यक्ष : अभी यह इंट्रोड्यूस हो जाएगा और अगले सैशन में आ जाएगा। अगले सैशन में it will take a priority क्योंकि जब प्राइवेट मैम्बर डे पर डिस्कशन शुरू होती है, ...(व्यवधान) नहीं, वह तो हम ला रहे हैं। चौधरी साहब, आप संकल्प प्रस्तुत करना चाह रहे हैं या नहीं?

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश में लगे सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों को हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने पर यह सदन विचार करें।"

अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि यह सदन सरकार से सिफारशि करता है कि "हिमाचल प्रदेश में लगे सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों को हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने पर यह सदन विचार करें।"सात मिनट का समय है।

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी---

20.12.2024/1655/RKS/HK/-1

अध्यक्ष ... जारी

हमारे पास 5 मिनट का समय शेष है। सभी माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग ले सकते हैं लेकिन सदन का समय पूरा होने के बाद इस विषय पर अगले सत्र में चर्चा होगी।

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उस पर भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रदेश में विभिन्न विभागों में हजारों कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी अपने सेवाएं न दें तो ये विभाग हैंडिकैप्ड हो जाएंगे। जो एजेंसीज आउटसोर्स कर्मचारियों को रखती हैं वे इन कर्मियों से नौकरी के बदले कमीशन लेती है। जिन कर्मचारियों को विभागों में सेवाएं देते हुए 10-15 साल हो गए हैं वे विभाग इन कर्मियों को कभी भी निकाल सकते हैं। हाल ही में सरकार ने बिजली बोर्ड में लगे ड्राइवर्ज जिनकी रोजी-रोटी वहां से चलती थी, जिनकी 5 वर्ष से 15 वर्ष की सर्विस हो गई थी, वगैर नोटिस दिए हुए उन्हें सेवाओं से निकाल दिया गया। जब लोग कोरोना काल में अपने परिवार के लोगों के साथ खड़े नहीं होते थे तो उस समय जिन आउटसोर्स कर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग में अपनी उत्कृष्ठ सेवाएं दी थीं उन्हें भी सर्विस से बाहर कर दिया गया है। ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जिन्हें विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देते हुए 10-15 साल का समय हो गया है लेकिन उन्हें अपनी नौकरी का खतरा मंडरा रहा है। ये कर्मचारी रेग्यूलर कर्मचारियों से ज्यादा काम करते हैं लेकिन इन्हें 10 महीने की ही सैलरी दी जाती है। इनकी डेढ़ या दो महीने की सैलरी कमीशन में चली जाती है। बिजली विभाग में बहुत से टी-मेट, मीटर रीडर व लिपिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मियों के सहारे ही यह विभाग चला हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की भी यही हाल है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में लगभग 40 हजार आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि जैसे हरियाणा सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत लेकर उनकी मिनिमम पे साढ़े 14 हजार रुपये से 32 हजार रुपये कर दी है उसी तर्ज पर इनकी सेवाएं यहां भी ली जाए। पांच साल बाद हरियाणा सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि 58 वर्ष तक उन कर्मचारियों को सर्विस से बाहर नहीं निकाला जाएगा। उन कर्मियों का पी.एफ. भी कटता है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन देने का प्रावधान है। जो सरकारी

20.12.2024/1655/RKS/HK/-2

पोस्टें निकाली जाती हैं अगर उसमें ये कर्मचारी क्वालिफाइ हो जाते हैं तो उन्हें नौकरी के अनुभव के नम्बर भी दिए जाते हैं। इस तरह सरकार को भी अनुभवी लोग मिल जाते हैं।

अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं इस माननीय सदन की बैठक कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित करूं

श्री बी.एस. द्वारा जारी

20.12.2024/1700/DC/BS/1

Speaker continues….

My endeavour has been to accommodate each and every Hon'ble Member of this august House on all issues and without restricting them to a particular point which is involved in the discussions. However at times I have found that out of rage and out of reservations some sought of undesirable behaviour is expressed by the Hon'ble Members in the House. I hereby again reiterating that my support will be with all the Hon'ble Members, but they also have to be in decorum. With these words, I expect from all the Hon'ble Members to maintain the decorum in the House. Thank you very much.

The House is adjourned till tomorrow i.e 21.12.2024 till 11.00 am.

Dharamshala -176215 **Yash Paul Sharma**

Dated:20th,December,2024 **Secretary**